वार्षिक रिपोर्ट
Annual REPORT
2018-19

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सर्विसिज़ इंक

रा.सू.वि. के. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप में (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टिः

''भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।''

मिशनः

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना ।

उद्देश्यः

सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, सूचना–विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, निकनेट व संबद्ध अवसंरचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना ।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र की राजस्व उपार्जन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता के निरन्तर विकास को प्रोन्नत करना ।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसंरचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक अपने उद्देश्यों के अनुसार ,मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएं प्रदान कर रही है–

- हार्डवेयर
- सिस्टम सॉफ्टवेयर
- अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर
- सॉफ्टवेयर विकास
- इंट्रा–नेटवर्किंग
- व्यापक क्षेत्र की नेटवर्किंग
- वीडियो कांफ्रेंसिंग
- कस्टमाईज्ड सॉफ्टवेयर
- आई टी प्रशिक्षण
- आई टी परामर्श सेवाएं
- आई टी कार्यान्वयन संबंधी सहायता
- डेटा/सदस्यता सेवाएं

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।

निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकः ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total IT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology. Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics Centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise supplementing that developed by NIC, in directions which will increase the revenue earning capacity of NIC.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & Services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us etc.:

- Hardware
- Systems Software
- Application Software
- Software Development
- Intra-Networking
- Wide Area Networking
- Video-conferencing
- Customized Software
- I.T. Training
- I.T. Consultancy
- I.T. Implementation Support
- Data/Membership Services

NIC Services Inc. is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-19

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक
नई दिल्ली
National Informatics Centre Services Inc.
New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 11

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र 42

आय व व्यय लेखा 44

नकदी प्रवाह विवरण 46

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा टिप्पणियॉ 49

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 99

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 106

CONTENTS

Board of Directors 113

Notice for 24rd Annual General Meeting 115

Directors' Report 117

Balance Sheet as at 31st March, 2019 147

Income and Expenditure Account 149

Cash Flow Statement 151

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2019 154

Auditor's Report 200

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 206

निदेशक मण्डल
(31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	श्री पंकज कुमार अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	श्रीमती किरण सोनी गुप्ता अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार), इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्री संजय कुमार राकेश संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ. बी. के. मूर्ति वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ. नीना पाहूजा महानिदेशक, अर्नेट इंडिया
		श्री दीपक चंद्र मिश्रा उप महानिदेशक, एनआईसी
		डॉ. (श्रीमती)रंजना नागपाल उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री विष्णु चन्द्र उप महानिदेशक व अपर वित्तीय सलाहकार, एनआईसी
		श्री नागेश शास्त्री उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री पी.वी. भट्ट उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, कर्नाटक
		श्रीमती शालिनी मथरानी उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र
		श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक, निकसी
कम्पनी सचिव	:	डॉ. गिरीश कुमार
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआरओ 604) सनदी लेखाकार I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स – नई दिल्ली	:	कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, एवं आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली.

निदेशक मण्डल
(30.09.2019 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	श्री पंकज कुमार अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	श्रीमती किरण सोनी गुप्ता अपर सचिव, और वित्तीय सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ० बी.के. मूर्ति वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ. नीना पाहूजा महानिदेशक, अर्नेट इंडिया
		श्री दीपक चंद्र मिश्रा उप महानिदेशक, एनआईसी
		डॉ. (श्रीमती) रंजना नागपाल उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री विष्णु चन्द्र उपमहानिदेशक, एनआईसी व अपर वित्तीय सलाहकार, एन आई सी
		श्री नागेश शास्त्री उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री पी. वी. भट्ट उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक
		सुश्री शालिनी मथरानी उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र
		श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक, निकसी
कम्पनी सचिव	:	श्रीमती अंजु स्याल (कार्यकारी कंपनी सचिव)
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआरओ 604) सनदी लेखाकार I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स – नई दिल्ली	:	कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, एवं आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली.

24वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य–व्यापार संपन्न करने के लिए इसकी 24 वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को अपराह्न 12.00 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जायेगीः

सामान्य कार्यव्यापारः

1. दिनांक 31.3.2019 की स्थिति अनुसार लेखा–परीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय लेखा और उसके संबंध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, विचार करना और उनका अनुपालन करना और
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक का नियतन करना ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर
सर्विसिज इंक

ह0/–
(अंजु स्याल)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.09.2019

टिप्पणीः

1. मत देने वाला सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करने का पात्र है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी का सदस्य होने के नाते कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह ऐसी किसी कंपनी का सदस्य न हो ।
3. इसे प्रभावी होने के लिए परोक्षियों के प्रपत्र बैठक शुरु होने से कम–से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रुप से भरे जाने चाहिए तथा कार्यालय में जमा हो जाने चाहिए।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंक

ह0/–
(अंजु स्याल)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.09.2019

निकसी–सीएस/24वीं एजीएम/300

सूचना

सूचना दी जाती है कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थगित की गई 24 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को अपराह्न 5.00 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं. 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जाएगी।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी)के लिए
ह0/–

(अंजु स्याल)
कंपनी सचिव
(अतिरिक्त प्रभार)

प्रतिलिपि
अध्यक्ष,निकसी
निकसी के सभी शेयरधारक
बोर्ड के सभी सदस्य

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा कम्पनी के कार्य–व्यापार व प्रचालन कार्यों से संबंधित 24 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं ।

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्व वर्ष 2017–18 की तुलना में संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) वित्तीय विशेषताएं

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	2018 - 19	2017 - 18
(क)	**प्राप्तियॉ**		
1.	बिक्रियां	194.74	384.83
2.	सेवायें व सहायता	954.79	873.53
3.	ब्याज/अन्य आय	90.80	78.08
	योग (क)	**1240.33**	**1336.44**
(ख)	**व्यय**		
1.	खरीद	*241.40	*395.71
2.	सेवायें व सहायता	852.53	767.20
3.	कर्मचारियों के पारिश्रमिक व लाभ	10.92	8.29
4.	अन्य व्यय	**182.49	74.37
5.	मूल्यह्रास	50.86	40.21
	योग (ख)	**1338.20**	**1285.78**
	कुल अधिशेष (क)–(ख)	**(-) 97.87**	**50.66**
6.	कर हेतु प्रावधान	12.64	19.62
7.	**निवल अधिशेष**	**(-) 85.23**	**31.04**
	पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार अधिशेष व आरक्षिति	636.82	605.78
	कम करेः पूर्वावधि के लिए जीआईए परियोजनाओं/मूल्यह्रास में भिन्न ब्याज	**(-) 52.21**	**0.00**
	कुल आरक्षिति और अधिशेष (9+10)	**499.38**	**636.82**

* जिला अवसंरचना का प्रसार करने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 26.88 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 58.05 करोड़ रूपये शामिल हैं।

** बिक्री कर/वैट के लिए प्रावधान करने के संबंध में 1.18 करोड रुपये तथा पूर्तिकारों को आग्रिम हेतु प्रावधान करने के संबंध में 17.12 करोड़ रूपये, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करने के संबंध में 95.88 करोड़ रूपये. शामिल हैं।

टिप्पणीः भुवनेश्वर, पुणे और शास्त्री पार्क में डॉटा केंद्रों पर वहन होने वाली व्यय राशि को परिसंपत्तियों के अधीन अचल परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है ।

(1) परिचालन सीमांत राशि

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में सभी प्रकार की परियोजनाओंध्सेवाओं के लिए अर्थात् हार्डवेयरध्सॉफ्टवेयरध्जनशक्ति आदि के लिए निकसी की परिचालन सीमांत राशि की दरों में (जिसे पूर्व में "प्रशासनिक प्रभारों" के रूप में जाना जाता है) संशोधन को निम्नानुसार अनुमोदित किया हैः

परियोजना मूल्य	परियोजना मूल्य का %
50 करोड़ रूपये तक	7% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रूपये से कम हो जाता है अथवा उसके समकक्ष है तो निकसी 7% की दर से संभावी प्रभाव के अनुसार परिचालन सीमांत राशि को वसूल करेगी।)
50 करोड़ से ऊपर	5% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है तो निकसी 50 करोड़ रूपये से अधिक के मूल्य पर केवल 5% की दर से संभावी प्रभाव के अनुसार परिचालन सीमांत राशि को वसूल करेगी।)

उपर्युक्त दरें तत्काल प्रभावी होती हैं। तथापि, सभी वर्तमान समझौता ज्ञापनध्करार, 31.10.2017 तक जारी किये गये प्रोफार्मा बीजक (पीआईएस) को परिचालन सीमांत राशि की वर्तमान स्लैब दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 01.11.2017 की कार्यालय आदेश संख्या 129/05–06/निकसी–सीएस एतद्द्वारा निकसी के दिनांक 15.01.2015 की कार्यालय आदेश संख्या 129/05–06/निकसी–सीएस को अधिक्रमित करती है।

(2) लाभांशः

यह कम्पनी एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) है और इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को उसके सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना निषेध है।

(3) आरक्षिती हेतु स्थानांतरण

कंपनी ने आरक्षिती हेतु कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है ।

(4) डी पी ई द्वारा ग्रेडिंग

(i) मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया

- डीपीई प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् निकसी की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ समझौता ज्ञापन करने हेतु प्रत्येक वर्ष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है।
- डीपीई ने समझौता ज्ञापन पर आंतरिक अनुसचिवीय समिति (आई एम सी) की स्थापना की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

1	सचिव, डीपीई	अध्यक्ष
2	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो।	सदस्य
3	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो ।	सदस्य
4	अपर सचिव, नीति आयोग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो।	सदस्य
5	सचिव डीपीई किसी अधिकारी का चयन करेंगे, जो आवश्यक समझे जाने वाले मामले में वित्त विशेषज्ञ हो।	
6	संयुक्त सचिव/सलाहकार (समझौता ज्ञापन) डीपीई, समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे।	

- मसौदा समझौता ज्ञापन को, जिसमें वित्तीय और गैर वित्तीय मानदंड शामिल है, एमईआईटीवाई के माध्यम से डीपीई को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करने से पहले निकसी द्वारा अपने बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है ।
- आईएमसी इसकी सीमाओं पर बातचीत करती है तथा बैठकों में समझौता ज्ञापन में उललिखित लक्ष्य निर्धारित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, एनआईसी तथा निकसी के पदाधिकारी उपस्थित होते हैं ।
- समझौता ज्ञापन में निकसी तथा एमईआईटीवाई के बीच हस्ताक्षर किये जाते हैं ।
- वित्तीय वर्ष की समापति के पश्चात्, विधिवत् रुप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा–परीक्षित लेखा निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण सहित डीपीई को प्रस्तुत किये जाते हैं ।
- उपर्युक्त के आधार पर, डीपीई समझौता ज्ञापन में उललिखित लक्ष्य के मद्दे निकसी के वास्तविक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ग्रेडिंग की घोषणा करता है।

(ii) डी पी ई द्वारा निकसी की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	लेखा परीक्षित आंकड़ो के आधार पर समझौता ज्ञापन स्कोर
2017 - 18	ठीक
2016 – 17	उत्कृष्ट
2015 – 16	उत्कृष्ट
2014 – 15	उत्कृष्ट
2013 – 14	बहुत अच्छा
2012 – 13	**बहुत अच्छा**
2011 - 12	बहुत अच्छा
2010 - 11	खराब

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य दृ समझौता ज्ञापन के लिए वैकल्पिक पैरामीटरों पर वार्षिक कार्य–निष्पादन

- पूर्व वर्षो में दुर्गम राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि (10 अंक) : → (–) 14.60%

  (2017–18 में 226 के लिए 2018–19 में प्राप्त की गई 193 परियोजनाएं)

- नये उत्पादों और सेवाओं का परिचय (संख्या) (10 अंक): →09
- पूर्व वर्ष में केंद्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों/संगठनों से ई–शासन परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (%) : (10 अंक) : → (–)16.95%

  (वर्ष 2017–18 में 2884 के मद्दे, 2018–19 में 2395 परियोजनाएं प्राप्त की गई)
- परिचालन (सकल) (दिनों की संख्या) से राजस्व के कुल दिनों के रूप में प्राप्ति योग्य (निवल) व्यापार : (10 अंक) : → 55.24
- उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तथा उसका प्रमाणन (तारीख) (10 अंक) → 28.09.2018

(5) वित्तीय वर्ष 2018–19 में चल रही मुख्य परियोजनाँ

राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

मार्च 2010 में शुरू की गयी एनकेएन परियोजना को लगभग 5990/– करोड़ रूपये की लागत से दस वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा अनुमोदित किया गया है। एन आई सी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि निकसी सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सहायता प्रदान कर रही है तथा उसकी प्राप्ति में मदद भी दे रही है। यह परियोजना उच्च गति वाले डाटा संचार नेटवर्क की स्थापना करेगी, जो उच्चतर अधिगम और अनुसंधान संस्थानों को परस्पर जोड़ेगी ताकि उनके बीच जानकारी, संसाधन को स्थापित करने और उसके सृजन, अर्जन करने में सुविधा प्राप्त हो। यह राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करने, एनआईसी जिला केंद्रों को संस्थान संबंधी कनेक्टिविटी से जोड़कर सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी क्लासरूम की सुविधा भी प्रदान करेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निकसी ने इस परियोजना के लिए एमईआईटीवाई से 320 करोड़ रूपये प्राप्त किये हैं तथा 31.03.2019 तक 3776.06 करोड रू. की कुल निधि प्राप्त की । वर्तमान अनुमोदन के अनुसार यह परियोजना मार्च 2020 में पूरी होने वाली है।

शास्त्री पार्क, दिल्ली में निकसी डॉटा केन्द्र (एन डी सी)

शास्त्री पार्क, दिल्ली में राष्ट्रीय ध्डाटा केंद्र (एनडीसी) सरकारी विभागों और उनके संगठनों को आपदा प्रबंधन सुविधा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा है जिसमें अत्याधुनिक टायर–III सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष के दौरान सहज रूप से व सफलतापूर्वक इन गतिविधियों को कार्यान्वित करना जारी रखा। निकसी ने क्लाउड सुविधा से युक्त केंद्रों में कुछ रैकों को उन्नत किया है, जिस पर कुल अनुमोदित 191.83 करोड रूपये परिव्यय में से वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 33.47 करोड़ रुपये की व्यय राशि खर्च हुई और पिछले तीन वर्षो में 104.50 करोड़ की राशि खर्च हुई। शेष व्यय राशि अगले वर्ष में खर्च की जायेगी ।

लक्ष्मी नगर, दिल्ली में डॉटा केन्द्र

निकसी का लक्ष्मी नगर में 62 रैकों से युक्त अपना डॉटा केंद्र है। यह अपने डॉटा का रखरखाव करते हुए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों को सेवायें प्रदान कर रहा है। क्लाउड सुविधा से युक्त इन रैकों को उन्नत करने के लिए यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीय डॉटा केंद्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा

एनआईसी के पास 96 रैकों से युक्त भुवनेश्वर में डॉटा केंद्र है । निकसी ने 97.96 करोड रुपये की लागत पर 48 रैकों के संबंध में क्लाउड सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 44.62 करोड़ रुपये खर्च किये गये और पूर्व वर्ष में 6.18 करोड रुपये खर्च किये गये तथा 46.96 करोड रुपये की शेष राशि भविष्य में खर्च की जायेगी ।

निकसी विकास केन्द्र

डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली में दूसरे तल पर विकास केंद्र स्थित है, जिसमें 417 वर्कस्टेशन है, जिसका उद्देश्य प्रयोक्ताओं को परियोजना को सहज और संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(6) अन्य परियोजनायें

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निकसी ने कार्यान्वयन के लिए 2395 नई परियोजनाएं प्राप्त की, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैः

(i) एमईआईटीवाई से अन्य परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, एमईआईटीवाई से विभिन्न परियोजनाओं के अधीन निकसी ने निम्नलिखित गतिविधियों को जारी रखाः

परियोजना का नाम
आधार समर्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस)
सामान्य न्यूनतम फ्रेमवर्क का विकास (सीएमएफ)
निकनेट का सुरक्षा संवर्धन
सुरक्षा मूल्यांकन अनुसंधान और अन्वेषणात्मक परीक्षण केंद्र स्थापित करना
साइबर सुरक्षा उत्पाद आश्वासन की सुविधा का प्रचार करना
भारत में ई–शासन को कार्यान्वित करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन वेबसाइट
वेब का अंतरराष्ट्रीयीकरण. मानकीकरण और W3C भारत की पहल
पूर्व – सक्रिय शासन और समय का कार्यान्वयन (प्रगति)
ई–मेल समाधान
भारत सरकार के लिए ई–मेल अवसंरचना प्राप्त करना
एनडीएसएपी के लिए ओपन सरकार के डॉटा प्लेटफॉर्म का संवर्धन और उसकी नामावाली तैयार करना
राष्ट्रीय डॉटा केंद्र में राष्ट्रीय ई–शासन ऐप स्टोर
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रशिक्षण के अधीन ई–अस्पताल
ई–ताल

(ii) विभागों/संगठनों से परियोजनाएँ (एमईआईटीवाई) के अलावा)

विभाग/संगठन	निकसी की परियोजना कोड	विवरण
उपभोक्ता कार्य विभाग	C180380MPND	उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जनशक्ति को किराये पर लेना।
राजकॉम्प इंफो सविर्सिज लिमिटेड	S181195MPRJ	राजकॉम्प इंफो सविर्सिज लिमिटेड द्वारा जनशक्ति को किराये पर लेना
ई–न्यायालय एम एम पी (न्याय विभाग)	C182210GNND	ई–न्यायालय एम एम पी (न्याय विभाग) में विभिन्न मदों की प्राप्ति।

विभाग/संगठन	निकसी की परियोजना कोड	विवरण
राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, दिल्ली	N180292GNND	ई–मेल अवसंरचना प्राप्त करना ।
विदेश मंत्रालय, दिल्ली	C182098SWND	विदेश मंत्रालय, दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर मदों की प्राप्ति ।
राजकॉम्प इंफो सविर्सिज लिमिटेड	S181113GNRJ	राजकॉम्प इंफो सविर्सिज लिमिटेड द्वारा विभिन्न मदों की प्राप्ति
खाद्य और जन वितरण विभाग	C180649GNND	खाद्य और जन वितरण विभाग द्वारा विभिन्न मदों की प्राप्ति
गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	S181066GNGJ	गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विभिन्न मदों की प्राप्ति।
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरीज मुख्यालय	P181744EPND	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरीज मुख्यालय के लिए जेपनिक अनुप्रयोग सहायता प्रभार।
पंचायती राज प्रभाग ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड	S180652GNJH	पंचायती राज प्रभाग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड में विभिन्न मदों की प्राप्ति।
यूनिक आई डी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली	C181914MIND	यूनिक आई डी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली में एस एम एस सेवाएं।
एनर्जी एफोसीऐंसी सविर्सिज लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	P181285MPUP	एनर्जी एफोसीऐंसी सविर्सिज लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा जनशक्ति को किराये पर लेना
स्कूल, शिक्षा और साक्षरता विभाग, दिल्ली	C181416GNND	स्कूल, शिक्षा और साक्षरता विभाग, दिल्ली द्वारा विभिन्न मदों की प्राप्ति
राजकॉम्प इंफोसविर्सिज लिमिटेड	S182381WDRJ	राजकॉम्प इंफोसविर्सिज लिमिटेड में वेबसाइट का विकास।
सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय मुंबई	S182330WDMH	सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय मुंबई में वेबसाइट का विकास।

7. निकसी में नये व्यवसाय प्रभागों का गठन

उत्पाद व्यवसाय प्रभाग (पी बी डी)
एनआईसी द्वारा विकसित किये गये अनुप्रयोगों/उत्पादों के लिए दक्षिण एशियन, अफ्रीकन, लेटिन अमेरिकन आदि देशों में विपणन क्षेत्र को उजागर करना। प्रत्येक विदेशी परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जायेगी। इसकी लागत लचीली होगी क्योंकि उसके विकास व्यय की पूर्ति एनआईसी बजट से की जायेगी।
डॉटा विश्लेषण हेतु उत्कृष्ट केंद्र (सीईडीए)
डॉटा विश्लेषण क्षेत्र में सुविज्ञता और उत्कृष्टता के क्षेत्र में पैठ बैठाकर उन्नत विश्लेषण/मशीन अधिगम क्षमता की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करके और उसका पता लगाने की प्रक्रिया अपनाना। यह उपयुक्त उपकरणों, प्रविधियों, ठीक सुविज्ञता से युक्त लोगों की तैनाती करके और उनकी पहचान करके तथा जटिल नीति से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहायता प्रदान करके सभी स्तरों पर सरकारी विभागों की गुणवत्ता डॉटा विश्लेषण सेवाएं उपलब्ध करायेगी ।
क्लाउड सेवा और डॉटा केंद्र व्यवसाय प्रभाग

निकसी शास्त्री पार्क, पुणे, और भुवनेश्वर में स्थित राष्ट्रीय डॉटा केंद्रो से क्लाउड सेवाएं कार्यान्वित कर रही हैं। भोपाल केद्रों को अगले तीन वर्षों में सृजित भी किया जायेगा । नये प्रभाग को स्थापित किया गया है जिससे कि भविष्य में और वर्तमान क्लाउड सेवाओं को और अधिक दक्षतापूर्वक तथा प्रभावी प्रबंधन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके ।

(8) वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विशेषताएं

		अप्रैल, 2018 से मार्च 2019	**अप्रैल 2017 से मार्च 2018**
(क) प्राप्त की गई नई परियोजनाओं का खंड–वार ब्यौरा	1. हार्डवेयर मदें	35	126
	2. सॉफ्टवेयर मदें	01	13
	3. जनशक्ति	1120	1547
	4. वेब / सॉफ्टवेयर विकास	66	119
	5. नेटवर्क	72	111
	6. सामान्य परियोजनायें	492	545
	7. अन्य मदें	609	423
	योग	**2395**	**2884**
(क) जारी किये गये कार्य आदेशों की खंडवार संख्या		**अप्रैल, 2018 से मार्च 2019**	**अप्रैल 2017 से मार्च 2018**
	हार्डवेयर मदें	19	1457
	सॉफ्टवेयर मदें	164	132
	जनशक्ति	7357	8107
	नेटवर्क व विविध	2664	1158
	योग	**10204**	**10854**
(ग) जारी किये गये प्रोफार्मा बीजक	**जारी किये गये पी आई की संख्या**	**अप्रैल, 2018 से मार्च 2019**	**अप्रैल 2017 से मार्च 2018**
	हार्डवेयर	543	1002
	सॉफ्टवेयर	165	31
	जनशक्ति	5925	7299
	नेटवर्क	1056	703
	विविध	3391	2035
	योग	**11080**	**11070**

(घ) प्लवमान निविदा		**अप्रैल, 2018 से मार्च 2019**	**अप्रैल 2017 से मार्च 2018**
	खुली निविदाओं की संख्या	19	12
	सीमित निविदाओं की संख्या	01	01
	योग	**20**	**13**
(ड.) समझौता ज्ञापन/करार		**अप्रैल, 2018 से मार्च 2019**	**अप्रैल 2017 से मार्च 2018**
	निकसी द्वारा विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ करार किया गया।	51	61

(9) जनशक्तिः

भारत के राजपत्र में दिनांक 03.03.1998 की अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनशक्ति संरचना (प्रोफाइल) के अनुसार, निकसी में जनशक्ति की तैनाती एनआईसी से पूरी तरह से उनके पदों सहित अस्थायी आवर्तन करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी ।

निकसी के कुल स्टाफ की संख्या 31–03–2019 की स्थिति के अनुसार 29 थी।

(10) कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी का कोई भी कर्मचारी कम्पनी नियमावली, 2014 (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था ।

(11) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) धारा 8 कम्पनी है (पूर्व में धारा 25 कम्पनी) । निकसी का उद्देश्य आई सी टी सोल्यूशनोंध् प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है और उसका लाभ, यदि कोई है, को लागू करना या अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अन्य आय दर्शाना और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने के लिए निषेद्ध है।

बोर्ड ने अपनी दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को आयोजित 99वीं बैठक में सीएसआर कमेटी को निम्नानुसार संदर्भ शर्तों के अनुसार गठित कियारू

- बोर्ड की सीएसआर नीति बनाने के लिए सिफारिश करना और उसे निर्मित करना, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निकसी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया जायेगा।
- कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना।
- कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर निगरानी करना।
- निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के पश्चात् कोई अन्य मामला जोकि सी एस आर समिति उपयुक्त समझे अथवा निदेशक मंडल द्वारा समय– समय पर निदेशित किया जाये।

निकसी के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सीएसआर कमेटी की बैठक के लिए कोरम में उसकी कुल संख्या का एक तिहाई होगा(एक तिहाई के आंशिक भाग को पूर्णांकित करके एक माना जाएगा) अथवा दो सदस्य होंगे, जो भी ज्यादा हो।

बोर्ड ने दिनांक 8 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी 102वीं बैठक में सीएसआर समिति को पुनः गठित किया है। तदनुसार, सी एस आर समिति को बोर्ड द्वारा दिनांक 28.06.2018 को आयोजित 106वीं बैठक में पुनः संगठित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैः

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पदनाम
1.	श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश शास्त्री, उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य
3.	श्री डी सी मिश्रा, उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य
4.	डॉ.(श्रीमती) रंजना नागपाल, उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य

सी एस आर नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 27.03.2019 को आयोजित 109 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सी एस आर गतिविधियों पर वहन किये जाने वाली 1.76 करोड रुपये की व्यय राशि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया ।

सी एस आर समिति ने 15.04.2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया और यह संस्तुति प्रस्तुत की कि निर्धन रोगी कोष, जिसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के अधीन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एम्स, रायपुर के "अर्पण" (जरूरतमंदों के लिए एम्स रायपुर के रोगियों को सहायता) के रूप में जाना जाता है, को सी एस आर के माध्यम से 1.76 करोड रुपये की राशि का अंशदान दिया जाये । बोर्ड ने 30.07.2019 को आयोजित अपनी 110 वीं बैठक में उस पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया ।

(12) निगमित शासन

निगमित शासन एक नैतिक दृष्टि से संचालित व्यापार प्रकिया है जोकि संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है । इसे नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेकर और मूल्यों के लिए एक निश्चित प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाता है। निकसी में, यह जरुरी है कि हमारी कम्पनी के मामले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधि ात हों। यह हमारे पणधारियों का विश्वास बनाये रखने और लाभ के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में संयोजित बोर्ड की बैठकों और सामान्य बैठकों की संख्या

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष 2018–19	तारीख	स्थान
1.	असाधारण सामान्य बैठक	14.06.2018	राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
2.	106वीं बोर्ड की बैठक	28.06.2018	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
3.	107वीं बोर्ड की बैठक	26.09.2018	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

4.	23वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26.09.2018	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	108वीं बोर्ड की बैठक	27.12.2018	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
6.	स्थगित 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक	27.12.2018	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7.	असाधारण सामान्य बैठक	28.02.2019	राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
8.	109वीं बोर्ड की बैठक	27.03.2019	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

(13) लेखा – परीक्षा समिति

कंपनी सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण, उससे यह अपेक्षा नहीं की गयी कि वह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियों) नियमावली 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अधीन लेखा – परीक्षा समिति गठित करे। तथापि, निदेशक मंडल ने दिनांक 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में बेहतर शासन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए निकसी में लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया जो कि इसके वित्तीय और लेखा परीक्षा मामलों की समीक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि निकसी निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुसरण करती है। निकसी के कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

बोर्ड ने दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में निकसी में उपर्युक्त संदर्भ शर्तों के संबंध में और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के संबंध में भी लेखा–परीक्षा समिति को पुनः गठित किया है । तदनुसार, बोर्ड ने दिनांक 27.03.2019 को आयोजित 109 वीं बैठक में, मूल संगठन से समय–समय पर प्रत्यावर्तन करने अथवा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने के कारण समिति के सदस्य अथवा अध्यक्ष के कार्य मुक्त होने के कारण लेखा–परीक्षा समिति को पुनः गठित किया, इस समय लेखा–परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगेः

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पदनाम
1.	श्रीमती किरण सोनी गुप्ता, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	अध्यक्ष
2.	श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य
3.	श्री नागेश शास्त्री, उपमहानिदेशक, एनआईसी	सदस्य
4.	श्री विष्णु चन्द्रा, उपमहानिदेशक, एनआईसी	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति की 3वीं बैठक 18.09.2018 को आयोजित की गई, जिसमें 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए

वार्षिक लेखाओं पर विचार किया गया और निदेशक मंडल तथा एंजीएम को प्रस्तुत करने हेतु उसकी सिफारिश की गई ।

दिनांक 26.07.2019 को लेखा परीक्षा समिति की 4 वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर विचार किया गया और निदेशक मंडल तथा एंजीएम को प्रस्तुत करने हेतु उसकी सिफारिश की गई ।

(14) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 तथा धारा 149 (4) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गयी ।

(15) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति जिसमें धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत निदेशक की स्वतंत्रता सकारात्मक गुण, अर्हता निर्धारण हेतु मानदंड सहित अन्य मामले शामिल है

कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट कंपनी होने के नाते कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) के अंतर्गत पणधारी रिलेशनशिप समिति तथा कंपनीज (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियों) की नियमावली 2014 के नियम 6 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(16) फार्म एम जी टी – 9 में वार्षिक रिटर्न का हवाला

कंपनीज (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में । फार्म एम जी टी 9 अर्थात वार्षिक रिटर्न का हवाला अनुबंध में प्रस्तुत किया जाता है ।

(17) सामग्री परिवर्तन तथा बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली प्रतिबद्धताएं

कोई भी सामग्री परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, नहीं हैं, जो रिपोर्ट की तारीख तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच में हुई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो ।

(18) व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

(19) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक लेखा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक लेखाओं को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र मैसर्स एस. वैश, सनदी लेखाकार, 169, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली–110003 से प्राप्त भी किया गया।

(20) ऊर्जा, तकनीकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

ऊर्जा व तकनीकी अवशोषण के संरक्षण पर सूचना शून्य है । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उपार्जन शून्य था तथा कंपनी का बाह्य (वनजहव) खर्च भी शून्य था।

(21) कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी ऋण/दी गयी गारंटी/किये गये निवेश के लिए कोई भी अग्रिम राशि नहीं दी गयी है ।

(22) पार्टी से संबंधित लेनदेन

कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के फार्म एओसी–2 में धारा 188 की उपधारा (।) में सभी संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेन–देन अव्यावहारिक आधार पर थे तथा व्यापार के सामान्य अवधि में हुए थे ।

कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के नियम तथा अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) के अनुपालन में:

1. अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन–देन के विवरण जो अव्यावहारिक आधार पर नहीं थे : शून्य

2. सामग्री अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन–देन के विवरण, जो अव्यवहारिक आधार पर थे : शून्य

(23) भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण सामग्री के आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री के कोई आदेश नहीं हैं ।

(24) सहायक कंपनी

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है ।

(25) लेखा परीक्षक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निकसी के लेखा की लेखा–परीक्षा करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआरओ 604) सनदी लेखाकार, ।–79, 7वां तल, हिमालय हाउस, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001 की नियुक्ति की गयी ।

(26) निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण :

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ग) के अधीन अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एतद्वारा निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

क) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय, सामग्री रवानगी से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण देते हुए लागू लेखा विधि मानकों का अनुसरण किया गया था ।

ख) कि निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको अनवरत रूप से लागू करते हुए और अधिनिर्णय देते हुए प्राक्कलन प्रस्तुत किया जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण था, जिससे कि उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि तथा वित्तीय वर्ष की समापति पर कम्पनी की कार्य स्थिति के बारे में सही और उचित विचार प्रस्तुत किए जा सकें ।

ग) कि कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखेबाजी को रोकने व उसका पता लगाने तथा अन्य

अनियमितताओं को दूर करने तथा उससे बचाव करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा–विधि रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित व पर्याप्त ध्यान दिया था।

घ) कि निदेशकों ने एक कार्यरत संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया ।

ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया गया था तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियॉ तैयार की गयीं थीं तथा ऐसी प्रणालियॉ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं ।

(27) आभार–पूर्ति

बोर्ड ने केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रालयोंधविभागोंध्संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कम्पनी को सहयोग, सहायता व मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया है । निदेशक भी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनका महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए उनके आभारी हैं । बोर्ड ने सदस्यों, बैकरों तथा ग्राहकों को उनके सतत सहयोग देने के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया है । बोर्ड ने भी कम्पनी के सभी स्टाफ व कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त किया है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितम्बर, 2019

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न के उद्धरण

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण की तारीख	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणीध्उप–श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 (अब धारा 8 कंपनी)
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	हॉल सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 फोन : 91–11–26105054, 26105193
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है – हां/नहीं	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	शून्य

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

सभी व्यवसाय संबंधी गतिविधियों जिनमें कंपनी की कुल बिक्री की 10% अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान लगा हो, बताया जायेगा। :

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का %
1	आईसीटी सॉल्यूशन – हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	–	16.94
2	जनशक्ति, नेटवर्क और अन्य	–	83.06

III. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियों के विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/संबद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमेट	प्रत्यक्ष	योग	कुल शेयर का %	डीमेट	प्रत्यक्ष	योग	कुल शेयर का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क)संबद्ध व्यक्ति/एचयूएफ									
(ख)केंद्रीय सरकार	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(ग)राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ)निकाय निगम									
(ड़)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च)कोई अन्य									
उप–योग (ए) (1)									
(2)विदेश									
(क)एनआरआई–संबद्ध व्यक्ति									
(ख)अन्य संबद्ध व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)निकाय निगम									
(घ)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड़)कोई अन्य									
उप–योग (ए) (2)									
प्रवर्तकों की कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग	लागू नहीं								
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्रीय सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ड़) उद्यम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज)विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
झ) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)									
उप–योग (बी)(1)	लागू नहीं								

2. गैर–संस्थान क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) संबद्ध व्यक्ति i) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी है। ii) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी है। ग) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें) **उप–योग (बी) (2)**	लागू नहीं								
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	लागू नहीं								
सी) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
सकल योग (ए+बी+सी)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(ii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	**शेयर होल्डर का नाम**	**वर्ष के शुरू में शेयर होल्डिंग**			**वर्ष की समाप्ति पर शेयर होल्डिंग**			
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों का ऋणभार/ बंधक शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों का ऋणभार/ बंधक शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का %**
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	योग	**200000**	**100**	**शून्य**	**200000**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन है)

क्र.सं.		**वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग**	
1		**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
2	वर्ष के शुरू में	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के दौरान धारित प्रवर्तक शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, तथा वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
4	वर्ष की समाप्ति पर				

(iv) सबसे ऊपर के दस शेयर होल्डरों (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर और एडीआर के होल्डरों के अलावा) के शेयर होल्डिंग पैटर्नः

क्र.सं.		वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	सबसे ऊपर के दस शेयरधारकों के प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के शुरू में	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
	वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया है)				

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंगः

क्र.सं.		वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	केएमपी और प्रत्येक निदेशकों के के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के शुरू में	शून्य			
	वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
	वर्ष की समाप्ति पर				

V. कंपनी का ऋणभार जिसमें बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परंतु जो भुगतान हेतु देय नहीं है, शामिल है।

	प्रतिभूत ऋण जिसमें जमा राशि शामिल नहीं है	**अप्रतिभूत ऋण**	**जमा राशि**	**कुल ऋणभार**
एएसक्यू वित्तीय वर्ष के शुरू में ऋण भार i) मूल राशि ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	लागू नहीं			
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन - - आवर्धन - - कटौती				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणभार i) मूल राशि ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		श्री मनोज कुमार मिश्रा 01.04.2018 से 31.03.2019	**38.61 लाख रूपये प्रति वर्ष**
1	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	निकसी को भारत सरकार द्वारा रा.सू.वि. केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में संवर्धित किया गया है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 (1) के अनुसार प्रबंध निदेशक को भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी की तैनाती करके महानिदेशक एनआईसी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कंपनी के श्री प्रबंध निदेशक को (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दिये जाने वाला प्रबंधकीय पारिश्रमिक केवल 38.61 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 34.47 लाख रूपये) था ।	
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के अनुसार – अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें।		
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें कुल (ए) अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		
	योग (ए)		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि	
		-------	-------	-------	-------
	1. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।	लागू नहीं			
	योग (1)				
	2. अन्य गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
	योग (2)				
	योग (B)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कुल सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	योग
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	कंपनी के कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक 10,07,574/– रुपये (पूर्व वर्ष 9,17,000/–रुपये) है।		लागू नहीं	10,07,574/– रू.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं			
3	स्वीट इक्विटी				
4	कमीशन – लाभ के % के अनुसार – अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
	योग	**10,07,574/– रू.**			

VII. जुर्माना/दंड/अपराध करना

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/लगाये गये शुल्क के विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]	दायर की गई अपील, यदि कोई है। (विवरण दें)
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराध					
ख. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराध					

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2019

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निकसी के लेखाओं पर मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, सनदी लेखाकारों से प्राप्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए अवलोकनों के उत्तर

	लेखा परीक्षा अवलोकन	निकसी के उत्तर
	अर्हता प्राप्त विचार हमने नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंकोरपोरेटिड ('कंपनी') के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष से लेकर उसकी समाप्ति तक, तुलन पत्र और आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियां अैर अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचना के सार भी शामिल है। हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा हमारी रिपोर्ट के अर्हता प्राप्त विचार के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानियों, इक्विटी में परिवर्तनों तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं ।	
1.	प्रबंधन द्वारा सूचित किए गए अनुसार एनकेएन परियोजना के संबंध में अनुदान सहायता प्राप्त परियोजना के खातों की लेखा परीक्षा पर अभी कारवाई चल रही है। तदनुसार, वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को एनकेएन परियोजनाओं के ऐसे गैर लेखा– परीक्षित खातों के आधार पर संकलित किया गया है। ऐसी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा करने के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है। (टिप्पणी 57 देखें)	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सभी अनुदान सहायता परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा का कार्य पूरा किया गया है और एन के एन परियोजना को छोडकर लेखा परीक्षा फर्म से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। तथापि, इस पर कार्रवाई चल रही है और यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।
2.	कंपनी ने बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रणाली लेखा– परीक्षा को वैधीकृत किए बिना पूर्व वर्ष के दौरान 01 जुलाई, 2017 से ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर को कार्यान्ति किया। डॉटा निष्ठा में संभावित प्रणाली में कमजोरी होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में बताये गए अनुसार परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पड़ने वाला प्रभाव, यदि कोई हो, का इस समय पता नहीं है।	निकसी ने प्रमाणित फ्रेमवर्क के संबंध में ऑरेकल ई–बिज ईआरपी अनुप्रयोग की प्राप्ति करने, उसे प्रस्तुत करने, उसे कार्यान्वित और उसका रखरखाव करने के लिए दिनांक 22.03.2013 को मैसर्स रोल्टा इंडिया लिमिटेड को कार्य आदेश दिया। जबकि उसे प्रस्तुत करते समय फर्म ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार जांच शेष राशि को टेली से ईआरपी में स्थानांतरित किया तथा 30.06.2017 तक टेली पैकेज और ई–आरपी दोनो में समांतर कार्य किया। चूंकि उपर्युक्त प्रक्रिया ने अधिकतम सीमा तक संतोषजनक रूप से कार्य किया ,इसलिए निकसी ने दिनांक 01.07.2017 से टेली पैकेज में लेखा कार्य करना पूरी तरह से बंद कर दिया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा कार्य को ईआरपी में तैयार किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 ईआरपी में पूरी तरह से कार्य करने का पहला वर्ष होने के कारण कुछ कमियां देखी गई, जिसमें बाद में सुधार किया गया। निकसी में ईआरपी मॉड्यूल के अनुसार आंतरिक टीम द्वारा इसमें पाई गई किसी कमी को तत्काल परिशोधित किया गया ।

3.	हमारे विचार में, परिसंपतति संयंत्र और उपस्कर का प्रत्यक्ष सत्यापन करने, विक्रेता की शेष राशियों की पुष्टि/मिलान करने, विक्रताओं के कार्य–निष्पादन , बैंक गारंटियों को जारी करने की प्रक्रिया, ग्राहकों द्वारा बैंक खाते में ई–भुगतान के जरिये सीधे ही जमा राशि जमा करने/अन्यथा और देय राशियों की वसूली करने के संबंध में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण उसके परिचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। (अनुबंध 'क' देखें)	अचल परिसंपत्तियों, विक्रेता शेष राशियों की पुष्टियों, निष्पादन, बैकं गारंटी, पहचान न की गई निधियों और बकाया देनदारों की वसूली करने के संबंध में वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उपलब्ध हैं। तथापि, लेखा परीक्षा के अवलोकन के अनुसार इन गतिविधियों को भविष्य में और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।
4.	व्यापार देय राशि के संबंध में शेष राशियों (टिप्पणी– 18), प्राप्ति योग्य व्यापार (टिप्पणी–9) ग्राहकों से प्राप्त की गई अग्रिम राशियों (टिप्पणी–20) बयाना जमा राशियों की प्राप्तियाँ (टिप्पणी–19), प्रतिभूति जमा राशियों (टिप्पणी–17) और ग्राहकों से प्राप्त की गई अनुदान सहायता राशियों (टिप्पणी –20) के संबंध में शेष राशियां वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किये परिमाणात्मक मिलान करने और/अथवा प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली पुष्टियों के अनुसार होगी। ऐसी पुष्टि के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देयताओं और/अथवा आय/व्यय पर पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है ।	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेष राशियों के संबंध में शेष पुष्टि पत्र जारी किये गये है। इसकी यह नियमित विशेषता है कि ऐसे पत्रों को विभागोंध्संगठनों आदि को जारी किया जाता है ,परंतु उसके लिए इसका बहुत ही नगण्य प्रत्युत्तर प्राप्त होता है।
5.	ग्राहकों से प्राप्त की गई अग्रिम राशियों, जो 1,11,852.70 लाख रुपये की राशि है, के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 20 देखें। संबंधित लेखाओं की समीक्षा करने पर बहुत से ग्राहकों के बारे में यह पता चलता है, जहाँ पर वर्ष की समाप्ति के अनुसार 3 से अधिक वर्षों के लिए बकाया राशियाँ शेष है। भारत सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अधिकांश रूप से प्राप्त की गई इन अग्रिम राशियों का कंपनी द्वारा विभिन्न बैकों में ब्याज की विभिन्न दरों पर सावधि जमा राशियों में और परिपक्वता प्रोफाइलों में निवेश किया गया है। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशियों के संबंध में ऐसी बेकार पड़ी हुई निधियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उन्हें सावधि जमा राशियों में निवेश किया गया, इसलिए प्रत्येक ग्राहकों से संविदा की तदनरूपी निबंधन व शर्तों के आधार पर ऐसी प्रत्येक अग्रिम राशि और रिटर्न की प्रबंधन द्वारा समीक्षा किये जाने की जरूरत है। प्रत्येक ऐसे अग्रिम राशियों के संबंध में उपलब्ध की जाने वाली संविदाओं, दस्तावेजों और विवरणों के अभाव में ऐसे विवरण उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देयताओं औरध्अथवा आयध्व्यय के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफ के संबंध में मामलों पर पडने वाले संपूर्ण प्रभाव का इस समय पता नहीं हैं।	निकसी विभिन्न सरकारी विभागों संगठनोंध्सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों से हजारों नये क्रय आदेश प्राप्त करती है। उन आदेशों के लिए इन गतिविधियों को पूरा करने के बाद, निकसी लेखा विवरणों का अंतिम निपटान करती है और उसे संबंधित प्रयोक्ताओं को भेजती है ताकि अधिक व्यय राशि के लिए राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके अथवा उसमें दी गई खर्च न की गई शेष राशियों की वापसी हेतु बैंक विवरणों की सूचना दी जा सकें। जबकि कुछ प्रयोक्ता बैंक विवरण देते हैं परंतु बहुत से मामलों में वह प्राप्त नहीं होते हैं और इस प्रकार खर्च न की गई राशि निकसी के पास रह जाती है। तथापि, लेखा परीक्षा के अवलोकन के अनुसार निकसी यथाशीघ्र प्रयोक्ताओं को खर्च न की गई राशियों की वापसी करने तथा ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए प्राथमिकता आधार पर और प्रयास करेगी ।

6	टिप्पणी संख्या 44 देखें जो कि स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32,383.09 लाख रुपये और लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65,445.02 लाख रुपये डी ओ टी द्वारा प्रस्तुत की गई मांग की गणना करने के संबंध में पिछली लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के दौरान डी ओ टी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्तध प्रदान की गई राशि के संबंध में है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने वाले मामले को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पडने वाला परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है और वह मात्रात्मक है ।	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एतद द्वारा निकसी की ओर से दूरसंचार विभाग के साथ समय–समय पर इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। तथापि, यह मामला अभी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिनिर्णय अधीन है । इस मामले में अंतरिम निर्णय के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा करारध्रारंभिक अनुमोदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रभारों का भुगतान किया जायेगा । तथापि, निकसी ने दिनांक 31.03.2017 को दूरसंचार विभाग को यह लाइसेंस सुपुर्द कर दिया, इसलिए उस के बाद कोई गतिविधियां संपन्न नहीं की गई और 31.03.2017 तक लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान दूरसंचार विभाग के अनुमोदन के अनुसार किया गया है ।
7.	"नियंत्रण" का स्थानांतरण करते समय अर्थात् ग्राहकों द्वारा माल की स्वीकृति पर उसकी पहचान करने के बदले, महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी –2) (vii) देखें) के संबंध में बीजक प्रस्तुत करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान करने के संबंध में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित "ग्राहकों के पास संविदाओं से राजस्व राशि" पर भारतीय लेखांकन मानक 115 का कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है। भारतीय लेखांकन मानक 115 के संदर्भ में राजस्व राशि की पहचान करने के परिणामस्वरूप कंपनी की सूचित आय, हानि और परिसंपत्तियों/देयताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का इस समय पता नहीं है।	निकसी की नीति के अनुसार, उसकी माल की बिक्री की संबंध में बीजक तैयार करते समय उसके राजस्व की पहचान की गई है। कंपनी राजस्व पहचान के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 18 में वर्णित संकल्पना का मिलान करने के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू भारतीय लेखांकन मानक के सभी प्रावधानों तथा अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन करती है ।
वर्ष के लिए परिसंपत्तियों/देयताओं और/अथवा आय/व्यय राशियों और हानियों के संबंध में उपर्युक्त पैराग्राफ (1) से (7) में संदर्भित मामलों के प्रभाव का पता नहीं है।		
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस ए) के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा–परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे और वर्णित किया गया है । हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये नीति कोड के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों तथा उसके अधीन नियमावली के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा से संबंधी नीतिगत अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है और हमने नीति कोड और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा–परीक्षा साक्ष्य हमारे उपयुक्त विचार का आधार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है ।		
1.	वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने "डिजिटल इंडिया पहल की पूर्ति करने के लिए जिला अवसंरचना का जिला 2.0 प्रसार कार्य" के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिसका कुल परिव्यय चरण 1 के लिए 9900 लाख रू. है, जिसकी कंपनी द्वारा अपनी "नकदी आरक्षिती" में से पूर्ति की जायेगी। अनुमोदन की शर्तों के अनुसार ,कंपनी को कोई आय प्राप्त नहीं होगी और सृजित की गई तदनुरूपी परिसंपत्तियाँ न तो उसकी अपनी होगी और न वह किसी के कब्जे में रहेगी । तदनुसार कंपनी ने 5804.99 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 2687.54 लाख रू.) की संपूर्ण व्यय राशि को खर्च किया है इसलिए इस वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा में सूचित की गई हानियों पर उसका काफी प्रभाव पड़ा है । (टिप्पणी 58 देखे ।)	निकसी को राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र के अधीन धारा 25 कंपनी (अब धारा 8) के रूप में 1995 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2016 में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयध्एन आई सी ने इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली निकसी के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों की स्थिति की समीक्षा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयध्एन आई सी से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए उसके लिए एक समिति गठित की गई । अन्यों के लिए समिति ने भारत में 708 एन आई सी के जिला केंद्रो को उन्नत करने के लिए जनवरी 2017 में जिला 2.0 परियोजना के रूप में "डिजिटल इंडिया पहल कार्य की पूर्ति के लिए जिला अवसंरचना का प्रसार" की सिफारिश की, जिसकी अनुमानित

		लागत 3 वर्षों की अवधि में 296.78 करोड रू. है और इसे तीन चरणों में अर्थात 99 करोड रूपये प्रतिवर्ष की लागत पर पूरा किया जायेगा। निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100 वीं बैठक में बिना किसी निवेश रिटर्न के 99 करोड रू. की लागत पर जिला 2.0 परियोजना के केवल I चरण पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। निकसी ने तदनुसार व्यय राशि प्रस्तुत की ।
2.	टिप्पणी संख्या 45 देखें ,जो कि प्रशासनिक प्रभारों के रूप में एन के एन परियोजना पर खर्च की गई व्यय राशि की 1% की दर पर पहचान की गई आय राशि के लिए परिचालन राजस्व से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संबंध में है। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से अनुमोदन मिलने पर कार्यान्वित किया जायेगा, जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।	एन के एन की उच्च स्तर की समिति ने दिनांक 19.07.2017 को आयोजित अपनी 11वीं बैठक में इस परियोजना में 1% की दर पर निकसी के प्रशासनिक प्रभारों के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य यह था कि एनआईसी सीसीआई के द्वारा प्राप्त संपूर्ण अनुमोदन के भीतर आईएफडी, एमईआईटीवाई द्वारा इस संबंध में जाँच किये जाने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगी। एनआईसी ने आईएफडी, एमईआईटीवाई को परीक्षा और सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा था। तथापि, आईएफडी, एमईआईटीवाई से कुछ अवलोकन प्राप्त होने थे, जो विचाराधीन है। निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24.09.2010 को आयोजित अपनी 69 वीं बैठक में इस परियोजना में 1 : की दर से राशि वसूल करने का अनुमोदन भी प्रदान किया तथा निकसी वित्तीय वर्ष 2010–11 से उस पर तदनुसार कार्रवाई कर रही है।
3.	टिप्पणी संख्या 46 देखें, जिसमें वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशन के अनुसार, कंपनी की परिचालन सीमांत राशि को वित्तीय वर्ष 2018–2019 से सहसंबंधित किया गया और मूल आई सी टी अवसंरचना की लागत को उन्नत करने और ओ एंड एम की 7% की दर पर व्यय राशि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय डाटा केंद्र के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त परिचालन सीमांत राशि में इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त कमी आई ,जिसका वर्ष के आय और व्यय लेखा में सूचित की गई हानियों पर काफी प्रभाव पड़ा।	निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.12.2018 को आयोजित अपनी 108वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया । बोर्ड ने विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान कियाः ➢ निकसी एनडीसीएसपी, दिल्ली और राष्ट्रीय डॉटा केंद्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा के लिए एक अलग से परियोजना पूल खाता तैयार करेगी । ➢ राष्ट्रीय डॉटा केंद्र, शास्त्री पार्क दिल्ली और राष्ट्रीय डॉटा केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा में डॉटा केंद्र की संग्रहण सेवाओ के माध्यम से प्राप्त आय को प्रस्तावित परियोजना शीर्ष (शीर्षों) के अधीन पूल किया जायेगा । ➢ इस आय का ओ एंड एम के खर्चों की पूर्ति करने तथा राष्ट्रीय डॉटा केंद्र की मूल अवसंरचना दोनों को उन्नत करने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा । ➢ निकसी द्वारा एनडीसीएसपी में सह–स्थापन सेवा हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले वर्तमान 60 रैकों के अतिरिक्त, एनआईसी और अधिक रैकं शामिल करेगी जिससे कि मूल अवसंरचना को उन्नत करने के लिए तथा आगे आने वाले वर्षों में ओ एंड एम खर्चों की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त निधियां सृजित की जा सकें । ➢ निकसी वित्तीय वर्ष 2018–19 के आगे से एनडीसीएसपी के ओ एंड एम व्यय राशि के संबंध में 8 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च नहीं करेगी। एनआईसी द्वारा शामिल किये जाने वाले और अधिक रैको तथा उपर्युक्त बताये गये 60 रैको के माध्यम

		से प्रतिवर्ष सृजित राजस्व राशि का संबंधित राष्ट्रीय डॉटा केंद्र की मूल अवसंरचना को उन्नत करने तथा ओ एंड एम व्यय राशि की पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। ➢ निकसी अपने मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित ओ एंड एम के व्यय राशि के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के आगे से यथा लागू परिचालन सीमांत राशि और करों को 7% की दर से वसूल करेगी तथा संबंधित राष्ट्रीय डॉटा केंद्र की मूल और/अथवा/आईसीटी अवसंरचनों को उन्नत करने पर व्यय राशि को खर्च करने के संबंध में उपर्युक्त प्रभार वसूल करेगी। निकसी, बोर्ड द्वारा उक्त अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार 01.04.2018 से तदनुसार उस पर लागू करों तथा उनकी परिचालन सीमांत राशि भी वसूल कर रही है ।
4.	हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं,जहां प्रबंधन ने 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं (जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) के इस्तेमाल न की गई निधियों पर ब्याज की गणना की है, जो कि 4766.01 लाख रूपये है और उसने प्रारंभिक आरक्षिति और अधिशेष राशियों में से उक्त राशियों की कमी की है।	अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं में ब्याज की कम वापसी करने के संबंध में पिछले 3–4 वर्षोंसे लगातार डाक व दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय से लगातार लेखा परीक्षा अवलोकन और लेखा परीक्षा का प्रारूप पैरा (डी ए पी) भी प्राप्त हुआ है। 31.03.2018 तक निकसी के शुरू होने से डाक व दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किये गये ब्याज का अंतर 5281 लाख रुपये आया। इस मामले पर निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27.03.2019 को आयोजित 109 वीं बैठक में विचार किया गया और निकसी को यह सलाह दी गई कि वापसी हेतु उसकी पुनः गणना की जाये। तदनुसार निकसी ने उन आंकड़ो की पुनः गणना की है, जिसके आधार पर ब्याज का अंतर 4766.01 लाख रू. आया और उसे खातों में दर्शाया गया है । गारंटीकर्ता विभागों को उसकी वापसी करने की प्रक्रिया चल रही है ।
5.	हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में भवन के संबंध में सवारी/हक विलेख की 931.50 लाख रूपये की राशि वर्ष की समापति की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए लंबित है।	निकसी द्वारा एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामां प्लेस, नई दिल्ली के छठां तल पर हॉल न. 2 और 3 के लिए वर्ष 2003 और 2000 में निकसी दवारा खरीदे गए बिक्री विलेखों को पंजीकृत कराने के लिए नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रशन कॉपोरेशन (एनबीसीसी) के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। यह मामला अभी एनबीसीसी के पास लंबित है।

ऊपर दिए गए पैराग्राफ (1) से (5) में बताए गए मामलों के संबंध में हमारे विचार को संशोधित नहीं किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा–परीक्षक रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उससे संबंधित हमारी लेखा –परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। निदेशकों की रिपोर्ट इस लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन नहीं देगें।

भारतीय– लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दी गई हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपर्युक्त सूचना उपलब्ध हो जाने पर , अन्य बताई गई सूचना को पढ़ा जाये और ऐसा करते हुए यह विचार किया जाये कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा–परीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी अथवा अन्यथा गलत वक्तव्य देने के अनुरूप है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए शासन से साथ प्रभारित व्यक्तियों और प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कि भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, व्यापक आय के बारे में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करती है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा करने के लिए इस अधि ानियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करना तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनको रोकने की प्रक्रिया, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, अधिनिर्णय लेना, उचित और विवेक पूर्ण प्राक्कलन करना शामिल है तथा इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव करना, उसका डिजाइन बनाना और उसका कार्यान्वयन करना शामिल है जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकार्डों की पूर्णता और यर्थाथता को सुनिशचित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, जो एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें और जो सामग्री का गलत विवरण न दे, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण हो।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय,प्रबंधन कंपनी को चल रही संस्था के रूप में बना रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आंकलन करने,चल रही संस्था से संबंधित मामलों को बताने,जैसा कि लागू हो, तथा चल रही संस्था का लेखा आधार का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है,जब तक कि प्रबंधक कंपनी को बंद करने अथवा उसके कार्य व्यापारों को समाप्त करने का इरादा न कर ले, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए भी जिम्मेदार है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करने के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि होने के कारण और हमारे विचार को प्रस्तुत करने वाली लेखा–परीक्षक रिपोर्ट जारी करने के लिए कोई गलत विवरण नहीं दिए गए है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा से किसी सामग्री के गलत विवरण होने पर उसका पता हमेशा ही लगेगा । धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत विवरण प्रस्तुत हो सकते हैं और इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की काफी संभावना हो सकती है।

एसए के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भीः

- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के विवरण गलत प्रस्तुत करने के जोखिम की पहचान करना और उसका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, उन जोखिमों के लिए दायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उसे निष्पादित करना और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो कि हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की अपेक्षा ज्यादा रहता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानबाजी, या आंतरिक नियंत्रण को समाप्त करना भी शामिल हो सकता है।
- लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस तथ्य पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता को परिचालित करने के लिए और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली यथावत् उपलब्ध है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए संबंधित प्रकटीकरण और लेखांकन प्राक्कलनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना ।
- चल रही संस्था के लेखांकन आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के आधार पर और प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, चाहे यह अनिश्चितता ऐसी घटनाओं या स्थितियों के कारण बनी हुई है, जो चल रही संस्था के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने विचार को बदलना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को चल रही संस्था के रूप में बने रहने से हटाया जा सकता है।

- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण करना भी शामिल है और क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में लेनदेनों और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जा सकें।

- ऐसी सामग्री वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत विवरणों को प्रस्तुत करने की संभावना पैदा करती है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों के संबंध में यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखा–परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, शासन से प्रभारित मामलों , लेखा–परीक्षा के नियोजित क्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों की सूचना देते है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में आने वाली कोई महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल है, जिसकी हम अपनी लेखा दृपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम विवरण तथा शासन से प्रभारित वे विवरण भी प्रदान करते हैं ,जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और संबंधित सुरक्षा उपाय ,जहां लागू हो, और हमारी स्वतंत्रता से संबंधित उचित विचारों से संबंधित सभी संबंध और अन्य मामलों की उनको सूचना देने के भी उनका अनुपालन किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) की शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले शुरू नहीं किए गए है, क्योंकि कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए कंपनी को उपलब्ध छूट को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

2. इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है कि रू

   (क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे है और प्राप्त किये हैं जोकि हमारी बेहतर जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उदेश्य से आवश्यक थे।

   (ख) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा करने से दिखाई देता है।

   (ग) तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है।

   (घ) हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अंधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 से साथ पढ़ा जाये,का अनुपालन करते है।

   (ङ) हमारे विचार में, उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों का कंपनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

   (च) चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अर्हता प्राप्त न करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के संदर्भों के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है ।

   (छ) इससे संबंधित अन्य मामलों और लेखा रखरखाव से संबंधित अर्हताएं उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए अर्हता प्राप्त विचार के आधार में बताये गए अनुसार है।

(ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध क में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट में देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की परिचालन प्रभावशीलता और पर्याप्तता के संबंध में हमारी रिपार्ट अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत करती है।

(झ) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के संदर्भों के अनुसार सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते है ।

(ञ) कंपनी की (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसाररू

i. कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की वित्तीय स्थिति (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 22 देखें) पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. कंपनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल है जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियां भी शामिल थी।

iii. किसी भी प्रकार की ऐसी राशियॉ नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को आंतरिक करना अपेक्षित था।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेर्शो से संबंधित हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तिय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुंबध 'क'

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं अनुभाग" पर रिपोर्ट के अधीन पैराग्राफ में देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम")

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के सहयोजन से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक. (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने और उसकी स्थापना करने का जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उसके कार्य व्यापार को प्रभावी रूप से चलाने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का डिजाइन, कार्यान्वयन करना तथा उसका रखरखाव करना शामिल है तथा इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों का बचाव करना, धोखा–धड़ी तथा त्रुटियों को रोकना तथा उनका पता लगाना और लेखा रिकार्डों की यथार्थता तथा उनकी पूर्णता प्रस्तुत करना तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा से संबंधित मानकों तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा आयोजित की और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए डीम्ड माना जायेगा। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं उनकी योजना बनाते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा–परीक्षा करते हैं और उसको प्रमाणित तथा उसका रखरखाव किया जाता है मानो कि ऐसे नियंत्रणों को सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किया गया हो।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की यथार्थता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने तथा उनको प्रभावी रूप से लागू करने की पद्धतियों को प्रस्तुत करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना और समग्र कमजोरी होने के जोखिम को निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण रखने के प्रभावशीलता को शीघ्रता लागू करना, उसका परीक्षण करना, उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा–परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करते हुए चुनी गई पद्धतियों में वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्य, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अर्हता प्राप्त करने के विचार का आधार उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है। इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थितिवश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।

अर्हता प्राप्त विचार

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमने निम्नलिखित मामलों के संबंध में जहां वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, वित्तीय विवरणों पर अपने लेखा परीक्षा विचार प्राप्त किए हैः

लेखा परीक्षा अवलोकन	**निकसी के उत्तर**
(क) विक्रेता की शेष राशियों का मिलान/पुष्टि करना, क्योंकि जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष राशियों का गलत विवरण प्रस्तुत करने की संभावना हो गई ।	लेखा परीक्षा अवलोकन नोट कर लिए गए है और विक्रताओं को शेष राशियों का मिलान/पुष्टि करने के लिए भविष्य में पत्र भेजे जायेंगे।
(ख) विक्रेताओं की निष्पादन बैंक गारंटी जारी करना, क्योंकि जिसके कारण चूक करने वाले विक्रेताओं से क्षतियों की वसूली न होने की संभावना हो गई ।	लेखा परीक्षा अवलोकन नोट कर लिए गए है और बकाया निष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी) से संबंधित स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उसके आधार पर, पीबीजी के लिए राशियों, जिसके लिए नामिकाबद्धता आवधिकता समाप्त हो गई है, की वापिसी की जायेगीध्उन्हें जारी किया जायेगा।
(ग) उपलब्ध निधियों के संभावित गलत उपयोग करने से बचने के उद्देश्य से ग्राहकों/विभागों द्वारा कंपनी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की गई/सीधे जमा की गई राशियों का लेखा रखना।	प्रयोक्ता विभाग/संगठन निकसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निधियां अंतरित करेंगे। जबकि ऐसी बहुत सी रसीदें क्रयादेशों से जुड़ी हुई है, उनमें से कुछ की बहुत से प्रयास करने के वावजूद भी पहचान नहीं हो पाई है। लेखा परीक्षा अवलोकन नोट कर लिए गए है और अधिक प्रयास भविष्य में किए जायेंगे, ताकि ऐसी राशियों का मिलान किया जा सकें।
(घ) विक्रेताओं को अग्रिम और ग्राहकों से देय राशियों की वसूली व उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, क्योंकि जिसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं को दिए गए अग्रिम और ग्राहकों से बकाया देय राशियों के गलत विवरण प्रस्तुत करने की संभावना पैदा हो गई ।	लेखा परीक्षा अवलोकन नोट कर लिए गए हैं और ऐसी राशियों के निपटान की वसूली करने के संबंध में ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ कार्रवाई करने हेतु भविष्य में और अधिक प्रयास किए जायेंगे।
(ङ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर का प्रत्यक्ष सत्यापन करना, जिससे पूर्वोक्त लेखांकन, वर्गीकरण और प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है ।	प्रबंधन दवारा सभी अचल परिसंपततियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तथापि, लेखांकन, वर्गीकरण और उसके प्रकटीकरण के संबंध में भविष्य में और अधिक ध्यान रखा जायेगा।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी'एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2019 के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करते हुए लागू लेखा–परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के भारतीय लेखांकन विवरण के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशन से संबंधित रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा संबंधी लेनदेनों पर कार्रवाई करने के लिए यथावत प्रणाली है। यदि हाँ, तो लेखा निष्ठा तथा वित्तीय जटिलताओं, यदि कोई है, के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखा संबंधी लेनदेनों पर कार्रवाई करने की जटिलताओं का उल्लेख किया जाये।**

   कंपनी के पास ईआरपी लेखा सॉप्टवेयर के माध्यम से सभी लेखा संबंधी लेनदेनों पर कार्रवाई करने के लिए यथावत लेखा प्रणाली उपलब्ध है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूर्व वर्षोंके दौरान कार्यान्वित किया गया। तथापि, प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा वैधीकृत कराये बिना पूर्व वर्षों के दौरान ईआरपी सॉफ्टवेयर को बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कार्यान्वित किया गया। डॉटा निष्ठा में पाई गई प्रणाली की संभावित कमियों के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में बताये गये अनुसार परिसंपत्तियों/देयताओं और/अथवा आय/व्यय राशि पर पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है ।

   इसके अलावा, आवर्धन/विलोपन /मूल्यह्रास के संबंध में अचल परिसंपत्तियों की लेखा प्रणाली पर इस समय मैन्युअल रूप से कार्रवाई की जा रही है और तत्पश्चात उसे ईआरपी प्रणाली में अपलोड किया जायेगा जिससे कि ईआरपी में कोई स्वचालन माड्यूल उपलब्ध न रहे। यह सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त प्रक्रिया को यथाशीघ्र स्वचालित किया जाये जिससे कि मैन्युअल रूप से आने वाली रूकावटों के कारण होने वाली संभावित त्रुटियां से बचा जा सके ।

2. **क्या ऋण की पुनः अदायगी करने के लिए कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने/उन्हें छोड़ने के लिए वर्तमान ऋण अथवा मामलों को पुनः संरचित करने की कोई व्यावस्था उपलब्ध है ? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाये।**

   यह लागू नही होता है क्योंकि कंपनी के पास वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, ऋण की पुनः अदायगी करने के लिए कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिये गये ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को छोडने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

3. **क्या केंद्र/राज्य एजेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्ति योग्यध्राप्त की गई निधियों का उसकी निबंधन व शर्तों के अनुसार ठीक प्रकार से लेखा–जोखा रखा गयाध्उपयोग किया गया? अंतर आने वाले मामलों की सूची बतायें।**

   वर्ष 2018–19 के दौरान किसी केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कंपनी द्वारा कोई निधियां प्राप्ति योग्य नहीं थी अथवा प्राप्त नहीं की गई। अतः उनका उपयुक्त रूप से लेखा रखने और उसका उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

तारीख : 30 जुलाई, 2019 **अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ लाखो में

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
	सम्पत्तियां			
1	**गैर चालू परिसम्पत्तियां**			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	5,405.80	5,741.46
	अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	4	7,065.06	3,693.68
	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(क)ऋण	5	728.42	686.16
	(ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	325.06	322.62
	आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	7	3,516.83	-
	अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	8	1,650.48	2,539.99
2	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(क)व्यापार प्राप्तियां	9	17,398.08	28,835.15
	(ख)नकदी व नकदी के समकक्ष राशियां	10	62,678.42	40,298.20
	(ग) उपर्युक्त (ख) के अलावा बैंक शेष राशि	11	87,350.17	114,724.37
	(घ)अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	12	4,612.61	3,923.41
	चालू कर परिसम्पत्तियां(निवल)	13	14,034.31	11,164.64
	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	14	23,947.46	27,947.12
	कुल परिसम्पत्तियां		**228,712.70**	**239,876.81**
	इक्विटी और देयताएं			
	इक्विटी			
	इक्विटी शेयर पूंजी	15	200.00	200.00
	अन्य इक्विटी	16	49,937.83	63,682.41
	देयताएं			

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
	गैर चालू देयताएं			
	वित्तीय देयताएं			
	(क) अन्य वित्तीय देयताएं	17	40.45	40.45
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	7	-	145.62
	चालू देयताएं			
	वित्तीय देयताएं			
	(क) व्यापार देय राशियाँ	18	34,932.17	47,192.00
	(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	19	1,466.94	1,321.17
	अन्य चालू देयताएं	20	142,060.79	127,220.64
	प्रावधान	21	74.52	74.52
	कुल ईक्विटी और देयताएं		**228,712.70**	**239,876.81**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
मनोज कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
पंकज कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
दीपक सक्सेना
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–07–2019

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय का विवरण

₹ लाखो में

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
I	परिचालन से राजस्व	22	114,952.84	125,836.36
II	अन्य आय	23	9,080.50	7,806.36
III	**कुल आय (i)+(ii)**		**124,033.33**	**133,642.72**
IV	**व्यय**			
	व्यापार में स्टॉक की खरीद	24	24,139.51	39,571.03
	सेवा सहायता व्यय		85,252.84	76,779.95
	कर्मचारी के हितों से संबंधित व्यय	25	1,092.63	828.84
	मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	3	5,086.44	4,020.75
	अन्य व्यय	26	18,248.79	7,377.05
	कुल व्यय (iv)		**133,820.21**	**128,577.62**
V	कर से पहले लाभ (हानि) (iii-iv)		(9,786.87)	5,065.10
VI	कर व्यय		**(1,263.53)**	**1,960.83**
	(1) चालू कर		752.37	2,268.01
	(2) आस्थगित कर		(3,662.45)	(361.69)
	(3) पूर्व वर्ष के लिए समायोजित कर/(रिटन बैक)		1,646.55	54.51
VII	**चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**(V–VI)		**(8,523.35)**	**3,104.27**
VIII	**अन्य व्यापक आय**		-	-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें वर्ष के लिए आय/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**(8,523.35)**	**3,104.27**
X	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (नाममात्र मूल्य प्रति शेयर 100 रूपये):			
	(1) मूल	27	(4,261.67)	1,552.13
	(2) डाइल्यूटिड	27	(4,261.67)	1,552.13

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2

संलग्न टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता सं. 539439

ह0/–
मनोज कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
पंकज कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
दीपक सक्सेना
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–07–2019

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम

सीआईएनरू यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कराधान से पहले तथा असाधारण मदों के लिए अधिशेष/(घाटा)	9,786.87	5,065.10
निम्न के लिए समायोजनः	-	-
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	5,086.44	4,020.75
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (हानि)	(1.49)	3.06
ब्याज व्यय	5,434.04	777.72
ब्याज आय	(9,094.45)	(8,285.61)
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	9,588.17	-
अग्रिम के लिए प्रावधान	1,712.20	-
बिक्री कर और टीडीएस और डब्ल्यू सी टी की बिक्री के लिए प्रावधान	120.04	-
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पहले परिचालन अधिशेष/(घाटा)	**3,058.08**	**1,581.02**
समायोजन के लिएः		
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धिः (कमी)	1,848.91	(705.02)
ऋण व अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(546.65)	(5,940.70)
व्यापार देय और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2,726.08	19,786.19
परिचालन से सृजित नकदी राशि	**7,086.42**	**14,721.49**
प्रदत्त आय कर	(752.37)	(2,268.01)
पूर्व वर्षो के लिए आयकर	(1,646.55)	(54.51)
जीआईए परियोजनाओं से संबंधित पूर्व वर्ष का ब्याज	(4,766.01)	-
परिचालन गतिविधियों (क) से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	**(78.51)**	**12,398.97**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(8,582.47)	(5,728.25)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	6.59	1.10
प्राप्त ब्याज	9,094.45	8,285.61
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ख)	**518.57**	**2,558.46**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		

प्रदत्त ब्याज	(5,434.04)	(777.72)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ग)	(5,434.04)	(777.72)
नकदी व नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क़ख़ग)	**(4,993.98)**	**14,179.70**
वर्ष के शुरू में नकदी व नकदी समकक्ष	**155,314.18**	**141,134.48**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी व नकदी समकक्ष	**150,320.19**	**155,314.18**

टिप्पणी

टिप्पणी

1) वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ और बैंक शेष राशियों में बैंक में रखी गई नकदी तथा शेष राशियाँ शामिल है। ये विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	**31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**
नकदी व नकदी समकक्ष		
बैंकों में शेष	28,395.00	13,294.98
अग्रदाय खाता	0.50	0.07
अन्य बैंक में शेष राशियां		
सावधि जमा	121,924.69	142,019.13
	150,320.19	**155,314.18**

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता सं. 539439

ह0/–
मनोज कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
पंकज कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
दीपक सक्सेना
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–07–2019

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम

सीआईएनरू यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण

क. 100/– रूपये प्रत्येक के निर्गम,अभिदत्त और प्रदत्त ईक्विटी शेयर के लिए ईक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

विवरण	टिप्पणी	राशि
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अुनसार	15.00	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	15.00	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	15.00	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 16 देखें)

₹ लाखो में

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष प्रतिधारण उपार्जन	कुल ईक्विटी
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	60,578.14	60,578.14
वर्ष के लिए निवल आय/(हानि)	3,104.27	3,104.27
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	63,682.41	63,682.41
पूर्वावधि त्रुटि का प्रभाव		
एनकेएन के अलावा जी आई ए परियोजनाओं से संबंधित ब्याज (टिप्पणी संख्या 50 देखें)	(3,351.27)	-
एनकेएन की जी आई ए परियोजना से संबंधित ब्याज (टिप्पणी संख्या 50 देखें)	(1,414.74)	-
पूर्व वर्ष के लिए मूल्यह्रास ((टिप्पणी संख्या 52 देखें)	**(455.22)**	**-**
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार पुनः उल्लेख किया गया।	**58,461.18**	**63,682.41**
वर्ष के लिए निवल आय/(हानि)	(8,523.35)	(8,523.35)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	**49,937.83**	**55,159.06**

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
मनोज कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
पंकज कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
दीपक सक्सेना
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–07–2019

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सविर्सिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

निगमित सूचना

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंक (निगम) को राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत दिनांक 29 अगस्त, 1995 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था। निगम को सरकारी मंत्रालयोंधविभागोंध्संगठनों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है।

वित्तीय विवरणों को 30 जुलाई 2019 के निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

1. महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों तथा उसके अधीन जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा यथा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार (इसमें बाद में "भारतीय लेखांकन मानक" देखें) तैयार किया गया हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, तैयार किया गया हैः

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है (वित्तीय साधनों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

वित्तीय विवरणों को भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार चल रही संस्था के आधार पर तैयार किया गया हैं।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (INR) में प्रस्तुत किया गया हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में बताई गई सभी राशियों को अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार निकटतम लाख रुपये में पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाये। त्रुटियों को पूर्णांकित करने के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) परिसम्पत्तियों और देयताओं का चालू बनाम गैर चालू वर्गीकरण

किसी परिसम्पत्ति को चालू परिसम्पत्ति माना जायेगा जब,

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसको सामान्य परिचालन स्थिति में प्रस्तुत किया जाए अथवा उसको बेचने का विचार किया जाये अथवा उसकी खपत की जाये।
- व्यापार करने के उद्देश्य से उसे मुख्य रूप से रखा जाये।
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो।

- नकदी अथवा नकदी के समकक्ष राशि जब तक कि उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माहों के लिए निपटान करने हेतु उसका इस्तेमाल न किया जाये अथवा उसका विनिमय करने पर प्रतिबंध न लगा दिया जाये।

  अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

  एक देयता को चालू देयता माना जाता है जबः

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसका सामान्य परिचालन स्थिति में निपटान किया जाये।
- उसे व्यापार करने के उदेश्य से मुख्य रूप से रखा जाये।
- उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर निपटान करना जरूरी हो अथवा
- ऐसा कोई भी बिना शर्त अधिकार प्राप्त न हो जिससे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान की प्रक्रियाओं को टाला जाये।

  अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को गैर चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन स्थिति नकदी और नकदी के समकक्ष राशियों को प्रस्तुत करने और उन्हें वसूल करने के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों के अर्जन के बीच की अवधि होती है। निगम ने उसकी परिचालन की स्थिति के रूप में 12 माह की अवधि की पहचान की है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

(क) पहचान और प्रारंभिक मापन

भारतीय लेखांकन मानक के पारगमन होने पर, कंपनी ने पूर्व जीएएपी के अग्रेनीत मूल्य (डीम्ड लागत पर) अपनी सभी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को आंका।

लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत शामिल होती है, यदि पूंजीगत कसौटी की पूर्ति की जाती है और उसे सीधे ही अभिप्रेत इस्तेमाल करने के लिए उसकी कार्य स्थिति के अनुसार परिसंपत्त्यिों को लाने की लागत प्रभावित होती है। किसी भी व्यापार की छूट और डिस्काउंट की खरीद मूल्य पर प्राप्त मूल्य पर कटौती की जाती है। उसके बाद की लागत को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में शामिल किया जाता है या उसकी अलग–अलग परिसंपत्तियों के रूप में पहचान की जाती है, जैसा कि उपयुक्त हो, यह केवल तभी संभव होगा जबकि मदों से जुड़े आर्थिक लाभों से कंपनी को भविष्य में लाभ होगा। जब संयंत्र और मशीनरी के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर बदले जाने की जरूरत होती है, तब कंपनी उनकी उपयोगी अवधि के आधार पर उनका अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी तरह, जब मुख्यं निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत की मान्यता प्राप्त मानदंडों से संतुष्ट हो जाने पर, संयंत्र और उपस्कर को बदलने की अग्रेनीत राशि में से पहचान की जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत की वहन किए गए लाभ या हानि विवरण में पहचान की जाती हैं।

(ख) उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगी अवधि)

पीपीई की मदों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित दरों पर अथवा रिटन डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। निगम ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार पीपीई की सभी मदों की उपयोगी अवधि का निर्धारण किया है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है।

(ग) पहचान करना

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद की और प्रारंभ में पहचान किए जाने वाले किसी महत्वपूर्ण पुर्जे की निपटान करने पर पहचान नहीं की जाती हैं, अथवा जब भविष्य में उसके इस्तेमाल करने अथवा निपटान करने से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती हैं। जब परिसंपत्ति की पहचान नही की जाती है, तब परिसंपत्ति की पहचान न करने से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान प्राप्तिंयों और परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि के बीच होने वाले अंतर के रूप में उसकी गणना की जाती है) को आय विवरण में शामिल किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी अवधि और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यह्रास की पद्धतियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है और उसे उपयुक्त होने पर संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ अथवा हानियों को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि और निवल निपटान प्राप्तियों के बीच होने वाले अंतर के रूप में आंका जाता हैं और उसकी परिसंपत्ति की पहचान न हो पाने की स्थिति में, उसकी लाभ और हानि विवरण में पहचान की जाती है।

(iv) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का शुरू में लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का तत्पश्चात संचित अशक्तता हानियों तथा संचित परिशोधन हानियों की राशि को कम करके आने वाली लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि सीमित अथवा असीमित हो सकती है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को रिटर्न डाउन मूल पद्धति के अनुसार उनकी उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में परिशोधित किया गया है। सीमित उपयोगी अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन पद्धति तथा परिशोधन अवधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है। परिसंपत्तियों में शामिल किए गए भावी आर्थिक लाभों की खपत के प्रत्याशित पैटर्न अथवा प्रत्याशित उपयोगी अवधि में होने वाले परिवर्तनों पर यथा उपयुक्त पद्धति अथवा परिशोधन अवधि को परिशोधित करने के लिए विचार किया गया है तथा उन्हें लेखा प्राक्कलन में परिवर्तनों के रूप में माना गया है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर होने वाले परिशोधन व्यय की तब तक आय और व्यय विवरणों में पहचान की जाती है जब तक कि ऐसी व्यय राशि अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यों का एक अभिन्न अंग न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागत को क्रमशरू छह वर्षों अथवा तीन वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है तथा उसको परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागत को पूंजीकृत किया जाता है और उसे दस वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

(V) वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसी संविदा होती हैं जो कि एक सत्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं अथवा अन्य सत्ता की इक्विटी साधन के लिए वृद्धि प्रदान करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की वित्तीय परिसंपतियों का अर्जन को प्रभावित करने वाली लेनदेन लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकॉर्ड न की जा सकने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों की स्थिति में उचित मूल्य को जोड़कर आने वाले मूल्य पर प्रारंभ में पहचान की जाती है । वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री, जिनकी बाजार स्थान

(नियमित प्रकार के व्यापार में) परंपरागत अथवा विनियमन द्वारा स्थापित समय रेखा के भीतर परसंपत्तियों की सुपुर्दगी की जानी है, की व्यापार की तारीख को अर्थात् जिस तारीख को कंपनी परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा खरीद करने के लिए वचनबद्ध है, पहचान की जाती है ।

उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

परिशोधित लागत पर ऋण साधन

"ऋण साधनों" का परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनो शर्ते पूरी हो जाती हैः

(क) परिसंपत्तियाँ व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित की जाती है, जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह राशियों का संग्रह करने के लिए परिसंपत्तियों को धारित करना है और

(ख) परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तों में उन नकदी प्रवाह राशियों की निर्दिष्ट तारीखों पर होने वाली वृद्धि का उल्लेख किया गया है जिसका मूल बकाया राशियों के संबंध में मूल और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक पहचान के आधार पर उचित मूल्य पर पहचान की जाती है। वित्तीय देयताओं को जारी करने के लिए सीधे प्रभावित होने वाली लेनदेन लागत, जो कि आय या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं निकाली जाती है, उसे प्रारंभिक पहचान करने पर आने वाले उचित मूल्य पर शामिल किया गया है। प्रारंभिक मापन करने के पश्चात, ऐसी वित्तीय देयताओं का तत्पश्चात् प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है। परिशोधित लागत की किसी छूट अथवा अर्जन पर प्राप्त प्रीमियम और शुल्क अथवा लागत को ध्यान में रखकर गणना की जाती है, जो कि ईआईआर का एक अभिन्न भाग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ अथवा हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। अशक्तता से होने वाली हानियों की लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई)

"ऋण साधन" को एफवीटीओसीआई के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों कसौटियों की पूर्ति हो जायेः

(क) व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य की वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री करके और संविदात्मक नकदी प्रवाह राशियों दोनों का संग्रह करके पूर्ति की जाती है और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह में एसपीपीआई को दर्शाया गया है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल किये गये ऋण साधनों का प्रारंभ में तथा उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारिख पर मापन किया जाता है। उचित मूल्य आवाजाही की अन्य व्यापक आय में (ओसीआई) पहचान की जाती है तथापि, कंपनी लाभ व हानि में ब्याज आय, अशक्त हानियां तथा प्रत्यावर्तन राशियों और विदेशी मुद्रा में होने वाले लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्तियों की पहचान किये जाने पर, ओसीआई में पहले पहचान की गई संचयी लाभ अथवा हानियों का इक्विटी से लाभ व हानि में पुनः वर्गीकरण किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करने पर, अर्जित ब्याज की ईआईआर पद्दति का इस्तेमाल करके ब्याज आय के रूप में सूचना दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल) प्रस्तुत किये जाते है।

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी ऋण साधनों, जो कि एफवीटीओसीआई के रूप में

अथवा परिशोधित लागत के अनुसार श्रेणीकरण करने हेतु कसौटी की पूर्ति नहीं करती है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी उन ऋण साधनों को पदनामित करने के लिए चुनेगी, जो कि अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई के मानदंडों अथवा परिशोधित लागत की पूर्ति करती हो। तथापि, ऐसे चुनाव करने की तभी अनुमति दी जायेगी यदि ऐसा करते हुए मापन अथवा पहचान अनुरूपता (जिसे "लेखा के अमिलान" के रूप में संदर्भित किया गया है) को कम करती है अथवा उसे समाप्त करती है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को पदनामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल किये गये ऋण साधनों का लाभ या हानि में पहचान किये गये सभी परिवर्तन करते हुए उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

इक्विटी में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के क्षेत्र में किये गये सभी इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य पर मापन किया गया है। इक्विटी साधन जो कि व्यवसाय का आमेलन करते हुए अर्जनकर्ता द्वारा पहचान की गई व्यापार अथवा आकस्मिक प्रतिफल हेतु धारित किए जाते है, उन पर भारतीय लेखांकन मानक 103 (व्यवसाय का सम्मिश्रण) लागू होता है, जिसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण को प्रारंभिक पहचान के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और यह सदा एक सा रहता है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों का वर्गीकरण करने का निर्णय लेती है, तब लाभांशों को छोड़कर साधनों पर प्राप्त होने वाले सभी उचित मूल्य के परिवर्तनों की ओसीआई में पहचान की जाती है। ओसीआई से लाभ व हानि लेखा में निवेश की बिक्री करने पर आने वाली राशियों का पुनः प्रस्तुतीकरण नहीं किया जाता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल किये गये इक्विटी साधनों का लाभ व हानि लेखा में पहचान किये गये सभी परिवर्तन करते हुए उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

पहचान

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा जहां लागू हो, सदृश वित्तीय परिसंपत्तियों के ग्रुप का भाग अथवा वित्तीय परिसंपत्ति का भाग) की उस स्थिति में मुख्य रूप से पहचान की जाती है जबः

परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह राशि प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा संबंधित कंपनी ने परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह राशि प्राप्त करने के अपने अधिकारों को अंतरित किया है अथवा यह बाध्यता निर्धारित की है कि वह "नकासी" व्यवस्था के अधीन तीसरी पार्टी को सामग्री देने में विलंब किये बिना पूरी प्राप्त की गई नकदी प्रवाह राशि अदा करें और

या तो कंपनी नेः

(क) परिसंपत्तियों के प्रतिफल अथवा सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से अंतरित किया है अथवा

(ख) परिसंपत्तियों के प्रतिफल अथवा सभी जोखिमों को न तो अंतरित किया है और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिधारण किया है परंतु परिसंपत्तियों के नियंत्रण को अंतरित किया है।

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह राशि प्राप्त करने का अधिकार अंतरित करती है अथवा उसने निकासी व्यवस्था की हो, तब वह यह मूल्यांकन करती है कि क्या नियत सीमा तक उसने स्वामित्व के प्रतिफल और जोखिम

को उठाया है। जब संपत्ति के सभी जोखिम और प्रतिफलों को तत्पश्चात् न तो अंतरित किया जाता है, न ही प्रतिधारण किया जाता है, और न ही परिसंपत्ति के नियंत्रण को अंतरित किया जाता है, तब कंपनी एतद्द्वारा कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति तक अंतरित की गई परिसंपत्ति की पहचान करना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी संबद्ध देयता की भी पहचान करती है। अंतरित की गई परिसंपत्ति और संबद्ध देयताओं का उस आधार पर मापन किया जाता है जो कि कंपनी द्वारा प्रतिधारित अधिकारों और बाध्यताओं को दर्शाता है।

अंतरित परिसंपत्ति के संबंध में गारंटी के रूप में सतत भागीदारी जारी रहती है जिसका परिसंपत्ति की निम्नतर मूल अग्रेनीत राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि पर आंकलन किया जाता है जिसकी कंपनी द्वारा अदायगी करने की अपेक्षा की जा सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम के संबंध में मापन और अशक्त हानियों की पहचान करने के लिए कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को लागू करती है, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है और जिसका परिशोधित लागत अर्थात् ऋण, कर्ज प्रतिभूति, जमा राशियां, व्यापार प्राप्तियों और बैंक शेष राशियों के आधार पर आंकलन किया जाता है।

कंपनी उसकी प्रारंभिक पहचान करने से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आजीवन भर ईसीएल पर आधारित हानि भत्ता की पहचान करती है।

अवधि के दौरान पहचान किये गये ईसीएल हानि भत्ता (अथवा प्रत्यावर्तन) की लाभ और हानि विवरण (पी एंड एल) में आयध्व्यय के रूप में पहचान की गई है।

(vi) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों का आंकलन करती है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप की तारीख को बाजार के प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन करने में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप अनुमान इस संकल्पना पर आधारित होता है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाला लेनदेन निम्न स्थान पर हुआ हो या :

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभदायी बाजार में।

कंपनी द्वारा मूल या सबसे ज्यादा लाभदायी बाजार का पता लगाया जाये।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य इस अनुमान पर आंका जाता है कि बाजार के प्रतिभागी उस परिसंपतति अथवा देयता का मूल्य निर्धारण करते हुए इस्तेमाल करेंगे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि बाजार के प्रतिभागी अपने आर्थिक बेहतर लाभ के लिए कार्य करेंगे। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य माप में उन बाजार प्रतिभागी को ध्यान में रखा जाता हैं, जिनमें परिसंपतति को अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में लाकर या किसी अन्य बाजार के प्रतिभागी को, जो परिसंपत्ति का अपने उच्चतम और सर्वोत्तम प्रयोग में उपयोग करेगा, बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता हो।

कंपनी मूल्यन प्रविधियों का उपयोग करती है जो कि उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो और जिसके लिए उचित मूल्य

को मापने के लिए, संबंधित डॉटा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और दिखाई न देने वाले इनपुट के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त डॉटा उपलब्ध हो।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का आंकलन किया गया है, उन्हें सम्पूर्ण उचित मूल्य आंकलन के अनुसार महत्तवपूर्ण निम्न स्तर के इनपुट पर आधारित निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य के भीतर वर्गीकृत किया गया हैः

- स्तर 1–पहचानी गयी परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उदधृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2–मूल्यन प्रविधियाँ जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट उचित मूल्य आंकलन प्रस्तुत करने के लिए महत्तवपूर्ण है, उनका सीधे ही अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3–मूल्यन प्रविधियाँ, जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, उनका अवलोकन नहीं किया जाता है।

उचित मूल्यों का प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से, कंपनी ने प्रकृति के आधार पर, विशेषताओं तथा परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के जोखिम तथा उचित मूल्य क्रम से संबंधित स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण किया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, कंपनी के प्रबंधन परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में होने वाली आवाजाही का विश्लेषण करते हैं, जो कि कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापने या पुनः मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित होती है। आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचान की जाने वाली परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए, कंपनी यह नियत करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर श्रेणीकरण का पुनः मूल्यांकन करके पदक्रम में होने वाले स्तरों के बीच क्या कोई स्थातांतरण हुआ है (सबसे कम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कि कुल मिलाकर उचित मूल्य के माप के लिए महत्वपूर्ण है)

इस टिप्पणी में उचित मूल्य का निर्धारण करने की लेखा नीति का सार प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण से संबंधित अन्य उचित मूल्य को निम्नानुसार संबद्ध टिप्पणियों में दिया गया हैः

- महत्वपूर्ण प्राक्कलनों और अनुमानों के लिए प्रकटीकरण
- उचित मूल्य के माप पदक्रम का गुणात्मक प्रकटीकरण
- वित्तीय साधन (जिसमें अग्रेनीत आशोधन लागत भी शामिल है)

(vii) ग्राहकों के पास संविदाओं से राजस्व

राजस्व की पहचान संभव सीमा तक की जाती है ताकि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त हो और भुगतान किए जाने पर ध्यान दिए बिना राजस्व को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकें। निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता कसौटी की राजस्व की पहचान करने से पहले पूर्ति भी की जायेगीः–

माल/सेवा की बिक्री के संबंध में राजस्व

राजस्व की संभावित सीमा तक पहचान की जाती है जिससे निगम को आर्थिक लाभ होगा और राजस्व राशि को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकेगा। राजस्व को सरकार की ओर से वसूल किए गए शुल्कों अथवा करों को छोड़कर तथा भुगतान की संविदाबद्धता युक्त निश्चित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

माल की बिक्री/स्टॉक और बिक्री मदों के संबंध में राजस्व की अक्सर माल की सुपुर्दगी करते समय अथवा सुपुर्दगी का प्रमाण देते समय जब माल का नियंत्रण खरीददार के पास चला जाता है, उस समय अथवा बीजक तैयार करते समय पहचान की जाती है। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व राशि का प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य, निवल लाभ तथा भत्ते, व्यापार में छूट तथा भारी मात्रा में छूट के अनुसार आंकलन किया जाता है।

सेवा बिक्री के संबंध में राजस्व की बीजक तैयार करते समय अथवा अक्सर सेवा का प्रमाण प्रस्तुत करने पर खरीददार को सेवा पूरा करने के समय पर पहचान की जाती है। सेवा बिक्री से राजस्व को प्राप्त किए गए या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

निगम, परियोजना की लागत पर निर्भर करते हुए समय–समय पर निर्धारित दर–श्रेणी पर परिचालन सीमांत राशि की पहचान करता है। अक्सर परिचालन सीमांत राशि की दरें परियोजना लागत के अनुपात में प्रतिकूल होती है अर्थात् परियोजना की लागत ज्यादा हो जाती है, परिचालन सीमांत राशि की दरें कम हो जाती है। परियोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण परिचालन सीमांत राशि की दरों में उत्तरवर्ती कमी हो जाती है जिसका परियोजना समाप्त होने के समय पर अथवा वर्ष की समाप्ति पर तदनुरूपी क्रेडिट टिप्पणियाँ जारी करके लेखा–जोखा रखा जाता है। इस प्रकार जारी की गयी क्रेडिट टिप्पणियों को संबंधित आय शीर्ष से प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज आय

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर आंके गए सभी ऋण साधनों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर होती है जो वित्तीय देयता की परिशोधित लागत या वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रेनीत राशि के लिए यथा उपयुक्त वित्तीय साधनों या कम अवधि के लिए, अपेक्षित अवधि में प्राप्तियों या भविष्य में किए जाने वाले अनुमानित नकद भुगतान में उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, मांग और इसी प्रकार के सदृश विकल्प) की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह राशियों का प्राक्कलन लगाती है, परन्तु वह अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ब्याज आय में लाभ और हानि के विवरण में दी गई वित्तीय आय भी शामिल होती है।

(viii) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुदान सहायता परियोजनाओं के लिए अग्रिम

निकसी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से माल और सेवा की बिक्री के लिए अग्रिम राशि प्राप्त की। ये लेनदेन सत्ता के सामान्य व्यापारिक लेनदेन होते हैं। वित्तीय विवरणों में बताए गए मंत्रालयों से प्राप्त अग्रिम राशि को "अन्य चालू देयताओं" शीर्ष के अधीन "ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता", जो कि सामान्य व्यापारिक लेनदेन होते हैं, के रूप में अलग से दर्शाया गया है। इन अग्रिमों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना के समाप्त होने पर, निकसी के पास शेष राशि उपलब्ध होती है, तो गारंटीकर्ता संस्थान को ब्याज (यदि कोई है) सहित उस राशि को लौटाया जाता है। सभी अनुदान सहायता राशियों को केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया जाता हैं।

निकसी हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर की खरीद करने और जनशक्ति प्रदान करने की दिशा में सरकारी विभागों / संगठनों से विभिन्न आदेशों को कार्यान्वित करती है। वह इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार, समय – समय पर प्रत्येक आदेश की कुल लागत पर परिचालन सीमांत राशि लेती है। निकसी विभागों / संगठनों से अग्रिम राशि के रूप में उन आदेशों के लिए निधि प्राप्त करती है। निकसी द्वारा किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की जाती है, जिससे इसका सीधा लाभ मिलता है। निकसी को आर्थिक या गैर–आर्थिक परिसंपत्ति के लिए रियायती दर पर या निशुल्क कोई अनुदान राशि नहीं दी गई है।

निकसी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता जारी करने के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदनध मंजूरियों से संबंधित सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करती है।

(ix) वस्तु–सूचियां

वस्तुसूचियों की लागत में वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थिति तथा स्थान पर लाने में वहन की गई अन्य लागत, खरीद की सभी लागत, परिवर्तन लागत शामिल है। वस्तु सूची (जिसमें सॉफ्टवेयरों की वस्तु सूची भी शामिल है) की लागत पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी फस्ट – इन –फस्ट आउट (एफआईएफओ) की पद्धति के आधार पर कम हो, का मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोज्य भण्डार को नगण्य होने के नाते खरीद वर्ष में राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।

(x) सेवानिवृत्ति लाभ

एन आई सी के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार, छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान राशि की भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबंद्ध कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड वेतन पर गणना की जाती है और उसे एन आई सी को प्रेषित किया जाता है। यह कम्पनी इन कर्मचारियों को कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अदा करने के लिए दायी नहीं है, जिन्हे भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जायेगा।

(xi) पूर्वावधि मदें

पूर्वावधि मदों में सत्ता की पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों में दिये गये गलत विवरण तथा चूक शामिल होती है, जिसमें तुलन पत्र का गलत वर्गीकरण करना भी शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक–8 में प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए जिसमें गलतियाँ हुई हैं, तुलनात्मक राशियों का उल्लेख करके उनका पता लगाने के पश्चात् अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में प्रभावी रूप से दर्शायी गयी पूर्वावधि त्रुटियों का परिशोधन करना अपेक्षित है। तथापि, ऐसा गलत विवरण अव्यवहार्य हो जाता है अर्थात् जब ऐसा करने का प्रत्येक उचित प्रयास करने के पश्चात् भी सत्ता उस पर लागू नहीं की जा सकती, तब भारतीय लेखांकन मानक में पूर्व अवधियों की तुलनात्मक मदों में ऐसी पूर्वावधि की मदों के बारे में पुनरू विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(xii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनायें

प्रत्येक वर्ष में निगम रिपोर्टिंग अवधि के बाद रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित कुछ व्यय बीजक की प्राप्ति करता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् परन्तु प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख से पहले अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित विवरणों के अनुमोदन से पहले, निगम द्वारा प्राप्त किया जाता हैं जिनपर उनसे संबंधित रिपोर्टिंग अवधि में लेखा–जोखा रखा जाता है और रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन के रूप में उनपर विचार किया जाता है। ऐसे व्यय राशि से संबंधित बीजकों पर तदनुरूपी आय का उसी रिपोर्टिंग अवधि में लेखा–जोखा भी रखा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक निगम द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और यहाँ तक कि प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख के बाद भी अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन मिलने के पश्चात् प्राप्त किये जाते हैं जिनको रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन न की जाने वाली घटनाओं के रूप में विचार किया जाता है और उनका उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा–जोखा रखा जाता है जिसमें वह प्राप्त होते हैं। तदनुरूपी आय का उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा–जोखा भी रखा जाता है जिसमें वह बीजक प्राप्त हुए हैं और उनका लेखा–जोखा रखा गया है।

(xiii) लीज्ड – एक पट्टेदार के रूप में

लीज्ड को परिचालन लीज्ड अथवा वित्तीय लीज्ड के रूप में उसकी प्रारंभिक तारीख पर वर्गीकृत किया जाता है। लीज्ड

को वित्तीय लीज्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो तत्पश्चात् कंपनी के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से होने वाले सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती है। वित्तीय लीज्ड को लीज्ड परिसंपत्ति के उचित मूल्य की प्रारंभिक तारीख पर अथवा मूल्य कम होने पर लीज्ड के न्यूनतम भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। लीज्ड भुगतान को वित्तीय प्रभारों और लीज्ड देयता में कमी होने के बीच आनुपातिक किया जाता है ताकि देयता के शेष राशि पर ब्याज की सतत दर प्राप्त हो सके। वित्तीय प्रभारों की लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों के अंतर्गत पहचान की जाती है जब तक कि उन्हें सीधे ही उपयुक्त परिसंपत्ति प्राप्त न हो जाये, इस मामले में उन्हें उधार की लागतों पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए की उस अवधि में, जिस अवधि में वे व्यय किए गए है, व्यय के रूप में पहचान की जाती है।

लीज्ड परिसंपत्ति का परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि, अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है तो कंपनी पट्टे की अवधि के समाप्त होने तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति का परिसंपत्ति की अनुमानित अवधि और पट्टा की अवधि कम होने पर मूल्यह्रास किया जाता है।

परिचालन लीज्ड भुगतानों की लीज्ड अवधि समाप्त होने पर सीधे आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में पहचान की जाती है।

इसका निर्धारण करना कि क्या व्यवस्था की गई है (या उसमें शामिल है), तब लीज्ड के शुरू होने पर लीज्ड व्यवस्था पर आधारित होती है। व्यवस्था किए जाने अथवा उसमें शामिल किए जाने पर, व्यवस्था पूरी हो जाने की स्थिति में लीज्ड परिसंपत्ति अथा परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने पर निर्भर करती हैं और इस व्यवस्था में परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है, भले ही उस अधिकार का व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

लीज्ड को शामिल करने वाली व्यवस्था का उस तारीख को उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक को शुरू करने की तारीख को वित्तीय अथवा परिचालन लीज्ड के रूप में वर्गीकरण करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 प्रथम बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के अनुसार पारगमन की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है।

(xiv) आयकर

चालू आयकर

चालू आयकर कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कराधान प्राधिकारियों से वसूल की जाने वाली या भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून दरें व कानून होता है, जिस पर उसे भारत में रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाता है।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित चालू आयकर की लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) से बाहर पहचान की जाती है। प्रबंधन आवधिक रूप से कर रिटर्न में ली गई उन स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, जिन स्थितियों के संबंध में लागू कर विनियमों की व्याख्या की जा सकती है और वे प्रावधानों, जहां भी उपयुक्त हो, का मूल्यांकन करते हैं।

यदि इनका निपटान करने के लिए कोई कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद है, तो चालू आयकर परिसंपत्तयों और देयताओं को आफसेट किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर का रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से उनकी राशि को प्रस्तुत करने तथा परिसंपत्तियों तथा देयताओं के कर आधार के बीच आने वाले अस्थायी अंतर के आधार पर देयता पद्धति का इस्तेमाल करके प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं की सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचान की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए, इस्तेमाल न की गयी कर जमा राशियों तथा किसी इस्तेमाल न की गयी कर हानियों को आगे ले जाने के लिए पहचान की गयी है। आस्थगित कर की उस संभव सीमा तक पहचान की गयी है जहाँ तक कर योग्य लाभ, कटौती करने योग्य अस्थायी अंतरों के मद्दे उपलब्ध होगा और इस्तेमाल न की गई कर जमा राशियों को आगे भेजने और इस्तेमाल न की गई कर जमा हानियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उसकी उस सीमा तक कटौती की जाती है जहाँ तक कि वह लम्बी अवधि तक संभव न हो, क्योंकि पर्याप्त कर योग्य लाभ की सुविधा सभी अथवा सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होगी । पहचान न की गयी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पुनरू मूल्यांकन किया जाता है और उसकी संभव सीमा तक पहचान की जाती है जोकि भावी कर योग्य लाभ में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली करने की अनुमति प्रदान करेंगी।

उन परिस्थितियों में, जहां पर कंपनी भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अवकाश की हकदार है वहां कर अवकाश की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होने वाले अस्थायी अंतर के संबंध में किसी आस्थगित कर (परिसंपत्ति अथवा देयता) की पहचान नहीं की जाती है।

अस्थायी अंतर के संबंध में कर अवकाश की अवधि के बाद प्रत्यावर्तित होने वाले आस्थगित कर की उस वर्ष में पहचान की जाती है, जिस वर्ष में अस्थायी अंतर होते हैं।

तथापि, कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान को उस उचित सीमा तक प्रतिबंधित करती है जिस सीमा तक पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्धं होगी, जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकें।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का उन कर दरों पर आंकलन किया जाता है जो उस वर्ष में लागू करने के लिए अपेक्षित हो, जब परिसंपत्तियाँ वसूल की जाती हैं अथवा देयता का रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित करने अथवा तत्पश्चात् अधिनियमित करने पर प्राप्त कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के बाहर पहचान की गयी मदों के संबंध में आस्थगित कर की लाभ अथवा हानि के बाहर (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में) पहचान की जाती है । आस्थगित कर मदों की ओसीआई में अथवा सीधे ही इक्विटी में लेनदेन करने के संबंध में पहचान की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित कर देयतायें ऑफसेट होती हैं यदि चालू कर देयताओं के मद्दे चालू कर परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने तथा सदृश्य कर योग्य सत्ता से संबंधित आस्थगित कर और सादृश्य कराधान प्राधिकार प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद हो।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

कर कानूनों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भावी आयकर देयता का समायोजन करने के लिए

भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, उसे पुख्ता साक्ष्य प्राप्त होने पर, एक संपत्ति के रूप में माना जाता है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी की तुलन–पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में पहचान की जाती है जब यह संभव होता है कि इससे संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

(xv) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इस तथ्य का निर्धारण करती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि कोई संकेत मिलता है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण करना अपेक्षित होता है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति से अधिक हो जाती है अथवा या नकदी पैदा करने वाली इकाइयों (सीजीयू) का उचित मूल्य उसके प्रचलित मूल्य और निपटान की लागत से कम हो जाता है। संबंधित परिसंपतति के लिए वसूलनीय राशि का तब तक निर्धारण किया जाता है, जब तक कि अधिकांश स्वतंत्र रहने वाली अन्य परिसंपततियों अथा परिसंपततियों के ग्रुपों से परिसंपतति नकदी प्रवाह प्राप्त न कर लें। जब परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रेनीत राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है तो परिसंपतति की हानि हुई माना जाता है और उसे उसकी वसूलनीय राशि में पुरांकित (राइट डाउन) किया जाता है।

प्रचलित मूल्य का निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह में कर पूर्व छूट दर का इस्तेमाल करके आने वाली उनकी वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट दी जाती है जो कि परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिम और राशि मूल्य के चालू बाजार का आकलन करते हुए दिखलाई देती है। उचित मूल्य का निर्धारण करते समय, निपटान की कम लागत को, हाल ही के बाजार के लेनदेनों को खाते में लिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेनों की पहचान नहीं हो सकती है तो उपयुक्त मूल्यन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन गणनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनियों अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य के संकेतकों के लिए उदधृत शेयर मूल्यों, मूल्यन को गुणा करके सह संबंधित किया जाता है।

अच्छी प्रतिष्ठा वाली परिसंपतति को छोड़कर, परिसंपत्तियों के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह निर्धारण किया जाता है कि क्या कोई ऐसे संकेत मिले है कि पहले पहचान की गई हानियां काफी लम्बे समय तक नहीं रहेंगी अथवा उसमें कमी आई है। यदि ऐसे संकेत मिलते है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले पहचान की गई हानि को केवल उस स्थिति में बदला जाता है जब अंतिम हानि की पहचान होने तक परिसंपतति की वसूलनीय राशि का निर्धारण करने के अनुमान में कोई बदलाव होता है। प्रत्यावर्तन को सीमित किया जाता है ताकि परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक न हो जाये और न ही निर्धारित अग्रेनीत राशि निवल मूल्यह्रास से अधिक हो जाये क्योंकि पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति के लिए किसी हानि की पहचान नहीं की गई है। लाभ अथवा हानि विवरण में ऐसे किसी प्रत्यावर्तन राशि की पहचान नहीं की गई है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनः मूल्यांकित राशि पर अग्रेषित न किया जाये, उस स्थिति में उसकी प्रत्यावर्तन राशि को पुनः मूल्यन में वृद्धि के रूप में माना जायेगा।

(xvi) वित्तीय परिसंपततियों की क्षति/अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 5% की दर से प्रावधान किया जाता है जो कि तुलनपत्र की तारीख को तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया हैं।

(xvii) उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर

मूल उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर की निवल लाभ से विभाजन करके परिकलना की जाती है, जोकि वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों को प्रभावित करती है। मध्यम उपार्जन

प्रति इक्विटी शेयर की निवल लाभ से विभाजन करके परिकलना की जाती है जोकि मूल उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर को प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों को प्रभावित करती है और जो सभी मध्यम संभावित इक्विटी शेयरों का परिवर्तन करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी प्रभावित करती है। मध्यम संभावित इक्विटी शेयरों का प्राप्त आय के लिए समयोजन किया जाता है जबकि इक्विटी शेयर वास्तव में उचित मूल्य पर जारी किए जाते हैं (अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों के औसत बाजार मूल्य)। अवधि के शुरू में मध्यम संभावित इक्विटी शेयरों को परिवर्तित किया गया माना जाएगा जब तक कि बाद की तारीख में डाटा जारी ना कर दिया जाए। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए मध्यम संभावित इक्विटी शेयर का स्वतंत्र रूप से निर्धारण किया जाता है।

सभी प्रस्तुत की गई अवधियों के लिए किसी शेयर भाग हेतु इक्विटी शेयरों की संख्या तथा संभावित मध्यम इक्विटी शेयरों का क्रमशः समायोजन किया जाता है और बोनस शेयर जारी किए जाते है जिसमें निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले प्रभावित होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं।

(xviii) प्रावधान और आकस्मिकता

तब प्रावधान किया जाता है जब किसी उद्यम के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता होती है और यह संभावित होता है कि संसाधनों के बहिर्वाह को उन बाध्यताओं का निपटान करना अपेक्षित होगा, जिनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दीर्धावधि प्रावधान को कटौती की गई दर को समायोजित करके उपयुक्त जोखिम पर उनके वर्तमान मूल्यों के अनुसार छूट दी जायेगी। अल्पावधि प्रावधानों को छूट देने की जरूरत नहीं है। प्रावधानों की तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को समीक्षा की जाती है और उनको चालू प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। अनिवार्य बाध्यताओं के संबंध में प्रावधानों को सृजित करने की भी जरूरत होती है। तथापि, निगम के पास रिपोर्टिंग अवधि में कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है।

आकसमिक देयताओं का गत घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव बाध्यताओं के बारे में प्रकटीकरण किया जाता है और उनकी मौजूदगी की कम्पनी के नियंत्रण में पूरी तरह से न आने वाली भावी घटनाओं के घटित अथवा घटित न होने पर ही पुष्टि की जायेगी।

(xix) नकदी और नकदी के समकक्ष राशियां

तुलनपत्र में नकदी और अल्पावधि जमा राशियों में बैंको में जमा नकदी तथा हस्तगत नकदी तथा तीन माह से अधिक या तीन माह से कम अवधि में परिपक्व होने वाली मूल सावधि जमा सहित अल्पावधि जमा राशि भी शामिल है, जिसमें मूल्य में परिवर्तन होने का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है।

नकदी और नकदी के समकक्ष राशियों में बैंक ओवरड्राफ्ट भी शामिल है जोकि कंपनी के नकदी प्रबंधन का अभिन्न भाग है।

2.1 महत्तवपूर्ण लेखांकन अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति तथा देयताओं तथा संलग्न प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण करने की स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान का सतत् रूप से मूल्यांकन करें और वह प्रबंधन के अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित हो जिसमें भावी घटनाओं की अपेक्षायें शामिल होती हैं जोकि परिस्थितियों के अधीन उचित मानी जाती हैं। इनका पूर्वानुमान और प्राक्कलन अनिश्चित होने के कारण भावी अवधियों में प्रभावित देयताओं अथवा परिसंपत्तियों की अग्रेनीत राशियों में महत्तवपूर्ण समायोजन करने के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त होता है।

विशेष रूप से, कंपनी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ महत्तवपूर्ण अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान अपेक्षित है। इन प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आगे की सूचना और वे विभिन्न लेखा नीतियों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इसकी पद्धति को नीचे तथा वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है। प्राक्कलन में परिवर्तनों का प्रत्याशित रूप से लेखा – जोखा भी रखा गया है।

अधिनिर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करते हुए प्रबंधन ने निम्नलिखित अधिनिर्णय दिए हैं जोकि वित्तीय विवरणों में पहचान की गयी राशियों को प्रभावित करने के लिए अत्यंत महत्तवपूर्ण हैं।

आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताएं कंपनी के विरूद्ध दावा करने तथा कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच तथा अन्य दावों से संबंधित कार्य व्यवसाय की सामान्य कार्य अवधि में उत्पन्न हो सकती है। स्वाभाविक रूप से आकस्मिकताओं को केवल तभी दूर किया जाएगा, जब एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनायें उत्पन्न हों या उत्पन्न न हों। आकस्मिकताओं की मौजूदा तथा संभावित प्रमात्रा के मूल्यांकन में भावी घटनाओं के परिणाम से संबंधित प्राक्कलन का इस्तेमाल करना तथा महत्तवपूर्ण अधिनिर्णय करना शामिल है।

प्राक्कलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख पर अनिश्चित प्राक्कलन के भावी व अन्य मुख्य स्त्रोतों से संबंधित मुख्य पूर्वानुमान को नीचे वर्णित किया गया है, जोकि अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि को आगे ले जाने के लिए सम्पूर्ण समायोजन के कारण उत्पन्न महत्तवपूर्ण जोखिम उपलब्ध कराती हो। कंपनी तब उसके पूर्वानुमान पर आधारित होती है और उपलब्ध परिधियों के आधार पर प्राक्कलन करती है जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं। तथापि, भावी विकास प्रक्रियाओं के बारे में वर्तमान परिस्थितियों और पूर्वानुमान के कारण कंपनी के नियंत्रण से परे होने वाली परिस्थितियों अथवा बाजार में बदलाव आने के कारण यह परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों को उनके घटित होने पर पूर्वानुमान में दर्शाया गया है।

(क) गैर– वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह मूल्यांकन करती है, चाहे इस तथ्य का यह संकेत हो कि परिसंपत्तियाँ अशक्त हो सकती हैं। यदि कोई संकेत मिल जाता है अथवा जब ऐसी परिसंपत्तियों के लिए वार्षिक अशक्तता परीक्षण करना जरूरी हो जाता है, तब कंपनी परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है अथवा सी जी यू का उचित मूल्य उसकी निपटान लागत और उसके प्रचलित मूल्य से कम हो जाता है। इसका पृथक परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियाँ नकदी प्रवाह राशि उत्पन्न ना कर दे य जो कि परिसंपत्तियों के वर्गों अथवा अन्य परिसंपत्तियों से बड़े पैमाने पर पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। जहाँ परिसंपत्तियों अथवा सी जी यू की अग्रेषित राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है वहां परिसंपत्तियों को अशक्त माना जाता है और उसे उसकी वसूलनीय राशि में रिटन डाउन किया जाता है।

प्रचलित मूल्य का मूल्यांकन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह राशि में कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उसके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की जाती है, जिसे परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट जोखिम तथा राशि के समय मूल्य के अनुसार चालू बाजार मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित किया गया है। निपटान की कम लागत, उचित मूल्य का निर्धारण करते समय वर्तमान बाजार लेनदेनों का लेखा–जोखा रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेनों की पहचान नहीं की जाती है तो उपयुक्त मूल्यन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन गणनाओं में गुणनात्मक मूल्यन, अन्य उपलब्ध उचित मूल्य के संकेत को अथवा सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्घृत

शेयर मूल्यों को शामिल किया गया है।

(ख) वित्तीय उपस्करों का उचित मूल्य आंकलन

जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का सक्रिय बाजार में उद्घृत मूल्यों के आध ाार पर मापा नहीं जा सकता, तब डीसीआईएल मॉडल सहित मूल्यन प्रविधियों का इस्तेमाल करके उनके उचित मूल्य का आंकलन किया जाता है। इन मॉडलों इनपुट को अवलोकनीय बाजार से संभव होने पर लिया जाता है, परन्तु जहाँ यह व्यवहार्य नहीं हैं वहां उचित मूल्य को स्थापित करने में स्तरीय अधिनिर्णय अपेक्षित होता है । अधिनिर्णय में इनपुट का प्रतिफल जैसे लिक्विडिटी का जोखिम, जमा जोखिम और अस्थिरता शामिल हैं। इन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमान में होने वाले परिवर्तनों से वित्तीय उपस्करों से रिपोर्ट किये गए उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशक्तता प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि की दरों के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। कंपनी अशक्तता गणना से संबंधित इनपुट का चयन करने और इन पूर्वानुमान के बारे में अधिनिर्णय का इस्तेमाल करती है जो कि कंपनी के पिछले इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थितियों तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्राक्कलन का अवलोकन करने पर आधारित होती हैं।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान – जिस सीमा तक अस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जा सकती है वे भावी कर योग्य आय की संभावना का निधार्रण करने पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

2.2 हाल ही में भारतीय लेखांकन मानक 116 लेखा की घोषणा

30 मार्च 2019 को निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली 2019 के अधीन भारतीय लेखांकन मानक 116 लीज्ड अधिसूचित की है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू है। दोनों पार्टियों के लिए अर्थात पट्टेदार और पट्टेदाता के लिए संविदा हेतु, लीज्ड को प्रकटीकरण करने, उसकी पहचान, मापन, प्रस्तुतिकरण करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 116 में सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। भारतीय लेखांकन मानक 116 में पट्टेदार के लिए एकल लीज्ड लेखांकन मॉडल को प्रस्तुत किया गया है और पट्टेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बारह माह से अधिक अवधि वाली सभी लीज्ड के लिए परिसंपत्तियों और लीज्ड देयताओं का इस्तेमाल करने के अधिकार की जब तक पहचान करे, जब तक कि असामयिक परिसंपत्तियां संभावतरू कम मूल्य की ना हो। इस समय परिचालन लीज्ड व्यय राशियों को आय और व्यय लेखाओं में प्रभारित किया जाता है। भारतीय लेखांकन मानक 116 को पर्याप्त रूप से भारतीय लेखांकन मानक 17 में दी गई पट्टेदार की लेखांकन अपेक्षाओं में अग्रेनीत किया गया हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टेदार को परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के अधिकार पर मूल्यह्रास और आय और व्यय लेखाओं में लीज्ड देयताओं के संबंध में वित्तीय लागतों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। लीज्ड व्यवस्था के अंतर्गत पट्टेदार द्वारा किए गए लीज्ड भुगतान का एतदद्वारा लीज्ड देयताओं के लिए समायोजन किया जाएगा। इस समय, कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 116 का कार्यान्वयन करने के कारण पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है, जिससे आय और हानि तथा तुलनपत्र पर अपर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

3 – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

₹ लाखो में

	भवन	संयंत्र और उपस्कर	फर्नीचर और उपकरण	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर	योग
लागत							
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	1,985.85	147.37	561.88	7.02	2,268.91	6,589.97	11,561.01
आवर्धन	-	126.43	3.09	-	1,443.69	480.57	2,053.78
निपटान	-	-	1.27	-	9.17	130.11	140.55
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	**1,985.85**	**273.80**	**563.70**	**7.02**	**3,703.43**	**6,940.44**	**13,474.23**
आवर्धन	-	-	1,028.01	-	339.72	77.83	1,445.56
निपटान	-	-	-	-	18.35	88.72	107.07
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	**1,985.85**	**273.80**	**1,591.71**	**7.02**	**4,024.80**	**6,929.55**	**14,812.72**
मूल्यह्रास 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	962.58	119.77	437.92	5.90	1,499.89	3,901.48	6,927.55
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	50.06	82.37	34.30	0.37	473.93	300.36	941.41
अशक्त हानि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	1.21	-	8.79	126.19	136.19
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	**1,012.65**	**202.14**	**471.01**	**6.27**	**1,965.03**	**4,075.65**	**7,732.76**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	47.61	51.13	288.55	0.25	720.61	212.76	1,320.91
पूर्व वर्षों के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 52 देखें)			455.22				455.22
अशक्तता हानि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	17.44	84.54	101.98
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	1,060.26	253.27	1,214.79	6.52	2,668.20	4,203.87	9,406.92
निवल बही मूल्य							
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	925.60	20.52	376.92	0.50	1,356.59	2,725.67	5,405.80
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	973.21	71.65	92.69	0.75	1,738.39	2,864.78	5,741.47

4 – अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

₹ लाखो में

विवरण	सॉफ्टवेयर	योग
लागत		
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	4,064.34	4,064.34
आवर्धन	3,674.45	3,674.45
निपटान	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	**7,738.80**	**7,738.80**
आवर्धन	7,136.90	7,136.90
निपटान	**-**	**-**
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	14,875.70	14,875.70
परिशोधन		
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	965.77	965.77
वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	3,079.34	3,079.34
अरात्कता हानि	**-**	**-**
निपटान	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	**4,045.12**	**4,045.12**
वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	3,765.53	3,765.53
अशक्तता हानि	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	**7,810.65**	**7,810.65**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	7,065.05	7,065.05
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	3,693.68	3,693.68

5 – ऋण

₹ लाखो में

विवरण	गैर चालू	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूति जमा		
अप्रतिभूति जिन्हें अच्छा समझा गया	728.42	686.16
योग	**728.42**	**686.16**

टिप्पणीः गैर चालू प्रतिभूति जमा 10.85% प्रति वर्ष की कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की गयी है।

6 – अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

₹ लाखो में

विवरण	गैर चालू	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा		
सावधि जमा की परिवक्तता जिनकी अवधि 12 माह से अधिक की है*	291.60	291.60
सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज		
प्रोदभूत ब्याज	33.46	31.02
योग	**325.06**	**322.62**

***बैंक गारंटी के मद्दे बंधक सावधि जमा**

7 – आयकर

वर्ष के लिए आयकर व्यय के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

क. आय व व्यय लेखा:

₹ लाखो में

सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
	(i) लाभ और हानि अनुभाग		
	चालू आयकर प्रभार	752.37	2,268.01
	पूर्व वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	1,646.55	54.51
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के प्रतिकूल और मूल के संबंध में	(3,662.45)	(361.69)
	लाभ और हानि के विवरण में सूचित किये गये आयकर व्यय	(1,263.53)	1,960.83
(ii)	**(ओसीआई) अन्य व्यापक आय अनुभाग**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में पहचान की गयी मदों के सम्बन्ध में आस्थगित कर	-	-
	योग	**(1,263.53)**	**1,960.83**

(ख) 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर के द्वारा गुणा करके आने वाले लेखा लाभ और व्यय का मिलान:

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
सतत् परिचालन कार्यों से प्राप्त कर से पहले लेखा लाभ	(9,786.87)	5,065.10
बंद हो गए परिचालन से कर से पहले लाभ	-	-
आयकर से पहले लेखा लाभ	**(9,786.87)**	**5,065.10**
34.944% पर भारत की सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2018 रू 34.608%)	(3,419.93)	1,752.93
पूर्व वर्षों की चालू आयकर के संबंध में समायोजन	1,646.55	54.51
कर से छूट सरकारी अनुदान	-	-

आय से छूट	-	-
कर उद्देश्यों से कटौती न किये जाने वाले व्यय	509.85	153.39
12.91% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2018: 37.34%)	**(1,263.53)**	**1,960.83**
लाभ और हानि विवरण में सूचित किये गये आयकर व्यय	(1,263.53)	1,960.83
व्यय बंद किए गए परिचालन से प्राप्त आयकर	-	-
योग	**(1,263.53)**	**1,960.83**

(ग) आस्थगित कर

निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर **₹ लाखो में**

विवरण	तुलन पत्र		आय और व्यय का विवरण	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	**31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष**
कर उददेश्यों से वृद्धि किया गया मूल्यह्रास	(20.10)	(324.90)	(304.80)	(354.32)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	3,455.43	104.32	(3,351.11)	0.63
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	-	-	-	
प्रतिभूति जमा का वर्तमान मूल्यन(परिसंपत्तियाँ)	81.51	74.96	(6.55)	8.00
आस्थगित कर व्यय / (आय)			**(3,662.45)**	**(345.69)**
निवल आस्थगित कर संपत्तियां/ (देयताएं)	**3,516.83**	**(145.62)**		

निम्नानुसार तुलनपत्र में दर्शाया गया :

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (सतत परिचालन)	3,536.93	179.28
आस्थगित कर देयतायें (सतत परिचालन)	20.10	324.90
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देयतायें), निवल	**3,516.83**	**(145.62)**

8 – अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित लीज्ड व्यय	640.41	711.25
पूर्तिकारों को अग्रिम	1,010.07	1,828.74
योग	**1,650.48**	**2,539.99**

9 – व्यापार प्राप्तियाँ

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत , जिन्हें अच्छा समझा गया	17,398.08	28,835.15
अप्रतिभूत, जिन्हें संदिग्ध समझा गया	9,889.60	301.43
घटायें: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान*	(9,889.60)	(301.43)
योग	**17,398.08**	**28,835.15**

*वित्तीय वर्ष 2017–18 की 3,01,43,419/– रूपये की संदिग्ध ऋणों की राशि हेतु प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रत्यावर्तित किया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 5% की दर, जिसके संबंध में तुलनपत्र की तारीख को 3 वर्षों से भी अधिक वर्षों के लिए बकाया राशि उपलब्ध है, से करने के बजाय समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया है 1 कृपया टिप्पणी संख्या 53 देखें ।

10 – नकदी व नकदी समकक्ष

₹ लाखो में

विवरण	चालू संपत्तियाँ	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
बैंक में शेष		
बचत खाता	28,395.00	13,294.98
अन्य		
अग्रदाय खाता	0.50	0.07
सावधि जमा (3 माह से कम की परिवक्तता अवधि वाली)	34,282.92	27,003.15
योग	**62,678.42**	**40,298.20**

11 – अन्य बैंक शेष राशियां

₹ लाखो में

विवरण	चालू संपत्तियां	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा*	83,073.38	112,975.19
बैंक गारंटी के लिए बंधक रखी गई सावधि जमा	4,276.79	1,749.18
योग	**87,350.17**	**114,724.37**

12 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	चालू संपत्तियां	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		
प्रोद्भूत ब्याज	4,612.61	3,923.41
योग	**4,612.61**	**3,923.41**

13 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रदत्त आयकर (10,454.36 लाख रूपये का निवल प्रावधान) (पूर्व वर्ष 9701.99 लाख रूपये)	15,680.86	11,164.64
घटाएं: –		
आयकर हेतु प्रावधान (वापसी राशि, जो प्राप्त नहीं की गई)	(1,646.55)	-
लेखा संख्या 59 की टिप्पणियां देखे		
योग	**14,034.31**	**11,164.64**

14 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारियों को अग्रिम		
अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया	36.11	31.19
योग (क)	**36.11**	**31.19**
अन्य अग्रिम		
अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया		
अग्रिम राशियों और अन्य पर जीएसटी	20,066.86	19,271.52
पूर्व प्रदत्त व्यय	336.28	318.98
वसूलनीय कर*	3.21	120.04
योग (ख)	**20,406.35**	**19,710.54**
पूर्तिकार को अग्रिम	**5,217.21**	**8,205.39**
घटाएं: –		
पूर्तिकारों को अग्रिम हेतु प्रावधान (समायोजितधनिपटान नहीं की गई)	**1,712.20**	**-**
(लेखा संख्या 59 की टिप्पणियां देखें)		
योग (ग)	**3,505.01**	**8,205.39**
कुल योग (क+ख+ग)	**23,947.46**	**27,947.12**

* वसूलनीय कर का ब्यौरा

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
बिक्री कर / वसूलनीय डीवीएटी(1996–97 से 2013–14)	120.71	117.70
कार्य संविदा 2000–2001 पर टीडीएस	2.54	2.34
घटाएं :–		
बिक्री कर/वेट के लिए प्रावधान	**117.70**	**-**
WCT पर टी डी एस के लिए प्रावधान (लेखा संख्या 59 की टिप्पणियां देखे)	**2.34**	**-**
योग	**3.21**	**120.04**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

15 – इक्विटी शेयर पूंजी:

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019, की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000)	200.00	200.00
निगमित, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त शेयर		
100/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000)	200.00	200.00
योग	**200.00**	**200.00**

क) शेयरधारकों की सूचना' :

₹ लाखो में

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
महानिदेशक, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
श्री श्याम बिहारी सिंह	1	0.0005	1	0.0005
श्री नागेश शास्त्री	1	0.0005	-	-
डॉ. दीपक चन्द्र मिश्रा	1	0.0005	-	-
श्री संजय सिंह गहलौत	-	-	1	0.0005
डॉ अम्बरीष कुमार	-	-	1	0.0005
श्री विष्णु चन्द्रा	1	0.0005	1	0.0005
श्री आर.एस.मणि	1	0.0005	1	0.0005
योग	**2,00,000**	**100**	**2,00,000**	**100**

* भारत सरकार की ओर से धारित

(ख) रिपोर्टिंग वर्ष के शुरू और समाप्ति पर बकाया प्रदत्त शेयरों का मिलानः

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	संख्या	रूपये	संख्या	रूपये
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
जोड़े :– वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े हुए अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध :

कंपनी के पास एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका समतुल्य मूल्य 100/–रूपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत देने का पात्र है।

घ) 31 मार्च 2019 से तत्काल पहले 5 वर्षों की अवधि में न तो कोई बोनस शेयर जारी किया गया और न ही नकदी के अलावा प्रतिफल हेतु कोई शेयर आवंटित किया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान कोई शेयर वापिस नहीं लौटाया गया।

16 – अन्य इक्विटी :

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष आय व लेखा के अनुसार अधिशेष	63,682.41	60,578.14
पूर्वावधि त्रुटि का प्रभाव		
एनकेएन के अलावा जीआईए परियोजना से संबंधित ब्याज (टिप्पणी संख्या 50 देखें।)	(3,351.27)	-
जीआईए परियोजना एनकेएन से संबंधित ब्याज (टिप्पणी संख्या 50 देखें।)	(1,414.74)	-
पूर्व वर्षों के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 52 देखें।)	(455.22)	
पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक शेष राशि	**58,461.18**	**60,578.14**
जोड़े – वर्ष के लिए अधिशेष	(8,523.35)	3,104.27
योग	**49,937.83**	**63,682.41**

17 – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाखो में

विवरण	गैर–चालू	
	31 मार्च 2019 की की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
देय प्रतिभूति जमा	40.45	40.45
योग	**40.45**	**40.45**

18 – व्यापार प्राप्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार प्राप्तियां		
सूक्ष्म और लधु उदयमों के कारण	466.66	-
सूक्ष्म और लधु उदयमों के अलावा	34,465.51	47,192.00
योग	**34,932.17**	**47,192.00**

19 – अन्य वित्तीय देयतायें

₹ लाखो में

विवरण	चालू	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
देय बयाना जमा राशि	931.11	921.36
देय कर्मचारी लाभ	274.45	147.57
देय व्यय	19.00	9.87
प्रतिधारण राशि* (निष्पादन बैंक गारंटी)	242.38	242.37
योग	**1,466.94**	**1,321.17**

टिप्पणी संख्या 20 – अन्य चालू देयतायें

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशि और कर	413.85	1,992.35
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	111,852.71	115,804.50
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	29,518.24	9,225.79
निगमित सामाजिक जिम्मेदारियां	276.00	198.00
योग	**142,060.79**	**127,220.64**

टिप्पणी संख्या 21 – प्रावधान

₹ लाखो में

विवरण	चालू	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
स्टांप शुल्क हेतु प्रावधान	74.52	74.52
योग	**74.52**	**74.52**

टिप्पणी संख्या 22 – परिचालन से राजस्व

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
परिचालन से प्राप्त राजस्व		
व्यापार हेतु माल की बिक्री	19,433.70	38,476.45
सेवा आय	95,479.47	87,352.48
योग (क)	**114,913.17**	**125,828.93**
प्रशासनिक प्रभार	39.66	7.43
योग (ख)	**39.66**	**7.43**
परिचालनों से प्राप्त कुल राजस्व (क)+(ख)	**114,952.84**	**125,836.36**

टिप्पणी संख्या 23 – अन्य आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ब्याज की आय	**9,094.45**	**8,285.60**
अन्य गैर परिचालन आय	598.77	250.56
घटाएं :–		
अनुदान सहायता परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	587.22	428.48
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (अनुदान सहायता)	77.45	349.23
प्रतिभूति जमा राशियों पर छूट देना	51.96	47.28
वित्तीय परिसंपततियों की पहचान न होने पर लाभ	-	0.63
योग	**9,080.50**	**7,806.36**

*आयकर की वापसी पर ब्याज के संबध में 120.69 लाख रुपये (पूर्व वर्ष शून्य रुपये) शामिल है।

टिप्पणी संख्या 24 – खरीद

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
खरीद–		
हार्डवेयर	17,145.55	34,239.03
साफ्टवेयर	1,188.97	2,644.47
जिला अवसंरचना का फैलाव	5,804.99	2,687.53
योग	**24,139.51**	**39,571.03**

टिप्पणी संख्या 25 – कर्मचारी के हितों संबंधी व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
वेतन व प्रोत्साहन	1057.11	794.41
स्टाफ कल्याण	35.52	34.43
योग	1092.63	828.84

टिप्पणी संख्या 26 – अन्य व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क	7.22	7.22
बैंक प्रभार	4.29	13.14
बोर्ड बैठक की व्यय राशि	0.20	0.34
पुस्तकें व पत्रिकाएं	14.94	10.05
व्यापार संवर्धन	8.22	-
कॉल सेंटर प्रभार	-	-
जीएसटी (गैर परिवर्तनीय)	28.42	22.23
कांफ्रेस सेमिनारध्कार्यशाला व्यय	133.99	68.22
उपभोज्य भंडार	41.14	43.56
सवारी व्यय	7.71	4.79
निगमित सामाजिक जिम्मेदारियां व्यय '	176.00	198.00
डीजी सेट के लिए डीजल	2.29	4.69
संदिग्ध ऋण	9,588.17	-
बिजली और जल प्रभार	561.75	613.92
विदेशी मुद्रा में अंतर	-	0.38
भाड़ा प्रभार	7.04	-
गृह व्यवस्था व सफाई प्रभार	327.70	291.05
गृह लीज्ड प्रभार	4.37	7.24
आंतरिक लेखा–परीक्षा शुल्क	0.25	0.60
कृषि कल्याण उपकर व्यय एवं स्वच्छ भारत कर(गैर परिवर्तनीय)	1.28	613.74
सदस्यता व अभिदान प्रभार	1.43	1.01
विविध व्यय	7.43	13.31
समाचार पत्र	0.95	0.86
कार्यालय व्यय	1,804.48	1,289.18
कार्यालय किराया	2,186.94	2,585.51
मुद्रण व लेखन सामग्री	6.98	9.22
व्यावसायिक व परामर्शदायी प्रभार	220.83	234.56

डीटीएच के लिए किराया	0.45	0.45
किराया दर तथा कर	9.94	4.27
मरम्मत व रखरखाव	597.97	385.88
सेवा कर (गैर परिवर्तनीय)	30.49	222.37
टैक्सी भाड़ा प्रभार	273.37	328.60
टेलीफोन व्यय	42.72	52.31
यात्रा व्यय	315.92	348.48
वाहन – पैट्रोल	1.69	1.45
वाहन का रखरखाव	-	0.42
पूर्तिकारों हेतु अग्रिम (असमायोजितधनिपटान न किया गया)	1,712.20	-
बिक्री करध्वैट हेतु प्रावधान	117.70	-
डब्ल्यूसीटी पर टीडीएस हेतु प्रावधान	2.34	-
योग	**18,248.79**	**7,377.05**

बिजली, और जल प्रभार तथा गृह व्यवस्था तथा सफाई प्रभारों के लिए शीर्ष के अधीन आंकडों को निवल प्रतिपूर्ति के बाद दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 27 – प्रत्येक शेयर का उपार्जन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
प्रति शेयर उपार्जन		
इक्विटी शेयरधारकों को प्रभावित करने वाला अधिशेष	(8,523.35)	3,104.27
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2.00	2.00
मूल उपार्जन प्रति शेयर	**(4,261.67)**	**1,552.13**
कम उपार्जन प्रति शेयर	**(4,261.67)**	**1,552.13**
अंकित मूल्य प्रति शेयर	100.00	100.00

टिप्पणी संख्या 28 – उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी में वित्तीय उपकरण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्ति योग्य राशियाँ	-	17,398.08	-	28,835.15
नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ	-	62,678.42	-	40,298.20
अन्य बैंक शेष राशियां	-	87,350.17	-	114,724.37
प्रोदभूत ब्याज (चालू)	-	4,612.61	-	3,923.41
प्रतिभूति जमा	-	728.42	-	686.16
सावधि जमा	-	291.60	-	291.60
प्रोदभूत ब्याज(गैर चालू)	-	33.46	-	31.02
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**173,092.75**	**-**	**188,789.92**
वित्तीय देयतायें				
व्यापार देय राशियाँ	-	34,932.17	-	47,192.00
अन्य वित्तीय देयतायें (चालू)	-	1,466.94	-	1,321.17
अन्य वित्तीय देयतायें (गैर चालू)	-	40.45	-	40.45
कुल वित्तीय देयतायें	**-**	**36,439.55**	**-**	**48,553.62**

(ii) उचित मूल्य की क्रमबद्धता

सभी वित्तीय साधनों जिसके लिए उचित मूल्य की पहचान की गयी है अथवा उनका प्रकटीकरण किया गया है उनको उचित मूल्य के क्रमबद्धता के भीतर वर्गीकृत किया गया है:

स्तर–1: सदृश्य परिसंपत्तियाँ अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में मूल्य उदधृत (असमायोजित)।

स्तर–2: मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्तवपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया है।

स्तर–3: मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्तवपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट अवलोकनीय बाजार डाटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित सारणी में, जिसमें उचित मूल्य का उनके अग्रेनीत मूल्य से अनुमान लग जाता है, उनको छोड़कर कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताओं की उचित मूल्य मापन की क्रमबद्धता का प्रावधान किया गया है।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है।

नकदी और नकदी समकक्ष राशियों, व्यापार प्राप्तियां, योग्य राशियां, अन्य प्राप्तियाँ, अल्पावधि उधार, व्यापार देय राशियां तथा अन्य चालू वित्तीय देयताओं के लिए प्रबंधन यह निर्धारण करता है कि इन साधनों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर आगे ले जाई गयी राशियों का उनके उचित मूल्य में अनुमान लगाया जाता है।

कंपनी की दीर्घवधि ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का निर्धारण कटौती दर का इस्तेमाल करके कटौती की गयी नकदी प्रवाह (डीसीएफ) पद्धति को लागू करके निर्धारण किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की उधार दर को दर्शाया जाता है। इन्हें प्रति पार्टी क्रेडिट जोखिम को शामिल करके अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट को न जोड़ने के कारण उचित मूल्य की क्रमबद्धता में स्तर 3 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

29. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियाँ

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय राशियाँ, प्रतिभूति जमा, बयाना जमा राशि तथा कर्मचारी की देयतायें शामिल हैं। कंपनी की मूल वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार प्राप्तियाँ, प्रतिभूति जमा, सावधि जमा, उनके परिचालन से सीधे ही प्राप्त होने वाली नकदी और बैंक शेष राशियाँ शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन कार्यों को देखता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिम तथा उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में सलाह देते हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को यह आश्वासन देता है कि कंपनी के वित्तीय जोखिम से सम्बंधित गतिविधियों को उपयुक्त नीतियों तथा पद्धति के द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार पहचान की जाती है, उनका आंकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन नीचे संक्षेप में दिए गए इन प्रत्येक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनपर सहमति प्रदान करता है।

1. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह के उचित मूल्यों में बाजार मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जाएगी। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम हैं रू ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल होती है।

(क) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह अथवा उचित मूल्यों में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जायेगी। कंपनी बैंकों के पास रखी गयी सावधि जमा में कंपनी के निवेश से मुख्य रूप से सम्बंधित बाजार की ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी की सावधि जमा को नियत दर पर ले जाया जाता है। अतः ब्याज दर जोखिम पर निर्भर करते हुए, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक के 107 में परिभाषित किया गया है कि न कि आगे ले जाने वाली राशि के कारण और न ही भावी नकदी प्रवाह के कारण बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वृद्धि होगी।

(ख) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

विदेशी मुद्रा का जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कि भविष्य में होने वाली नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता का आर्थिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं

के उचित मूल्यों में कर देय होने से पहले परिवर्तन हो जाने पर कंपनी के लाभ पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी विदेशी मुद्रा के जोखिम को नहीं बताती है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा आर्थिक परिसम्पत्तियाँ और देयतायें उपलब्ध नहीं होती हैं।

II क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम होता है जिसे प्रति पार्टी कंपनी बाध्यताओं को निभा नहीं पाती। कंपनी मुख्य रूप से क्रेडिट जोखिम को व्यक्त करने के लिए प्रभावित होती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान करती है:

₹ लाखो में

क्रेडिट जोखिम	**श्रेणीकरण का आधार**	**प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान**
निम्नतर क्रेडिट जोखिम	बैंक शेष राशियां	12 माह में प्रत्याशित क्रेडिट हानि
मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियां तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	क्रेडिट हानि

संविदा के अनुसार स्वीकृत समयावधि के भीतर भुगतान। बकाया को प्रदर्शित करने वाली हानियों की दरें वास्तविक क्रेडिट की हानि के अनुभव और उसके प्रतिफल पर आधारित हैं।

₹ लाखो में

क्रेडिट की दर	विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार**
निम्नतर क्रेडिट जोखिम	नकदी और नकदी के समकक्ष राशियां, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष राशियां	1,50,757.01	1,55,708.74
मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियां, ऋण और अन्य वित्तीय संपत्तियां	22,739.11	33,444.72

व्यापार प्राप्तियों का संग्रहण

व्यापार प्राप्तियों में भारत के विभिन्न राज्यों के अधिकांश ग्राहक शामिल हैं इसलिए क्रेडिट जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेंद्र नहीं है।

क्रेडिट जोखिम में प्रत्याशित क्रेडिट की हानियों हेतु प्रावधान शामिल हैं। कंपनी निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान करती है।

₹ लाखो में

विवरण	सकल अग्रेनीत राशि	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां	क्रेडिट हानियां
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार			
व्यापार प्राप्तियां	27,287.68	(9,889.60)	17,398.08
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार			
व्यापार प्राप्तियां	29,136.59	(301.43)	28,835.15

हानियों के मिलान हेतु प्रावधान – प्रत्याशित क्रेडिट हानियों की अवधि

₹ लाखो में

हानि भत्ते का मिलान	व्यापार प्राप्तियां
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार हानि भत्ता	303.28
वर्ष के दौरान पहचान की गई हानि/(प्रत्यावर्तित) पुरांकित राशियां	(1.85)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार हानि भत्ता	301.43
वर्ष के दौरान पहचान की गई हानि/(प्रत्यावर्तित) पुरांकित राशियां	9,588.17
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार हानि भत्ता	9,889.60

III. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम होता है जिनका कंपनी वित्तीय देयताओं से संबंधित बाध्यताओं की पूर्ति करने में आने वाली कठिनाईयों का सामना करेगी, जिनका नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के द्वारा निपटान किया जाता है। लिक्विडिटी रखने के लिए कंपनी को यथा संभव यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास उसकी देयताओं की पूर्ति करने के लिए देयतायें देय होने की स्थिति में पर्याप्त लिक्विडिटी राशि उपलब्ध है। प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकद हुए नकदी समकक्ष राशियों तथा कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के पूर्वानुमान प्रक्रिया की निगरानी करता है। कंपनी बाजार की लिक्विडिटी का लेखा जोखा रखती है जिसमें सत्ता परिचालन कार्य पूरा किया जाता है।

संविदात्मक बतायी न गयी भुगतान राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सार नीचे सारणी में दिया गया है।

₹ लाखो में

	मांगपर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	योग
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष						
व्यापार प्राप्तियाँ	34,932.17	-	-	-	-	34,932.17
अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू)	-	-	-	40.45	-	40.45
अन्य वित्तीय देयतायें(चालू)	1,466.94	-	-	-	-	1,466.94
योग	**36,399.11**	**-**	**-**	**40.45**	**-**	**36,439.55**
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष						
व्यापार प्राप्तियाँ	47,192.00	-	-	-	-	47,192.00
अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू)	-	-	-	40.45	-	40.45
अन्य वित्तीय देयतायें(चालू)	1,321.17	-	-	-	-	1,321.17
योग	**48,513.17**	**-**	**-**	**40.45**	**-**	**48,553.62**

30. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रंबधन की संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करनी है कि वचनबद्ध कार्य कार्यक्रम की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के भीतर पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध हो। कंपनी लचीलापन बनाये रखने तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पूंजी संरचना में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसाय की दीर्धावधि नकद प्रवाह अपेक्षाओं की निगरानी करती है।

कंपनी आर्थिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूंजी संरचना को व्यवस्थित करती है और उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना का रखरखाव करने अथवा उसमें समायोजन करने के लिए कंपनी नकदी हेतु नये शेयर जारी करने के लिए, शेयरहोल्डरों को प्रतिफल पूंजी, ऐसी अन्य यथा उपयुक्त पुनः संरक्षित गतिविधियों को शुरू करने अथवा उसके स्थान पर नई ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु लाभांश भुगतान का समायोजन करेगी।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

₹ लाखो में

विवरण	31मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
उधार राशियाँ		
व्यापार प्राप्तियाँ	34,932.17	47,192.00
अन्य प्राप्तियाँ	143,642.69	128,656.78
घटायें : नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ	(62,678.42)	(40,298.20)
निवल ऋण	**115,896.44**	**135,550.58**
कुल इक्विटी	**50,137.83**	**63,882.41**
पूंजी और निवल ऋण	**166,034.27**	**199,432.99**
अनुपात (%)	**69.80%**	**67.97%**

31. आकसमिक देयतायें

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई ऑफ साइट वारंटी के संदर्भ में आकसमिक देयताओं पर विचार नहीं किया गया हैं क्योंकि परियोजनाओं के तहत पूर्ति किये गये सभी उपकरणों को वारंटी अवधि के बाद समय–समय पर विक्रेताओं/पूर्तिकारों से एएमसी के तहत शामिल किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा प्रावधान न की गई आकसमिक देयतायें नीचे दिये गए अनुसार हैः

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
कंपनी से दावे, जिनकी ऋण के रूप में सूचना नहीं दी गई है।	99.66	69.72
गारंटी	1848.84	1493.32
आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2010–11)	-	7.91
आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2012–13)	-	14.90
आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2015–16)	350.60	-
योग	**2299.10**	**1585.85**

ii. 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए स्पैक्टम प्रभारों के संबंध में 32,383.09 लाख रूपये और लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65,445.02 लाख रूपये की डीओटी द्वारा डीओटी लाइसेंस के लिए अननतिम रूप से निर्धारण किया गया है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 44 देखें)। उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगे वर्ष के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

iii. 31 मार्च, 2017 को निकसी दवारा डीओटी को सुपुर्द किए गए डीओटी लाइसेंस – राशि के संबंध में वी – सेट सेवाओं (सीएससी परियोजना और एनडीआरएफ परियोजना) से आय पर 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया गया है।

iv उपर्युक्त के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन को विश्वास हैं कि भविष्य में भी कोई वास्तविक देय/मांग नहीं होगी।

32. वचनबद्धता

कंपनी ने व्यापारिक माल की खरीद करने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गये करारों तथा क्रय आदेशों पर आध ाारित उत्तरवर्ती अवधि में इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की वचनबद्धता दी है । इन वचनबद्धताओं को स्वीकृत शर्तो के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है। तथापि, कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के संबंध में ऐसी राजस्व वचनबद्धताओं की राशि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 23.23 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 21.32 लाख रूपये) है । इसके अतिरिक्त, आरक्षिति में से पूंजी व्यय के संबंध में वचनबद्धता निम्नानुसार हैं –

₹ लाखो में

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
1	राष्ट्रीय डाटा केंद्र, भुवनेश्वर	4,696.00	9,248.00
2	एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्धन	5,386.00	12,034.00
3	जिला 2.0 – डिजीटल इंडिया पहल कार्यों का प्रचार	1,407.00	7,213.00
4	निकसी उत्कृष्ट केंद्र	-	2,650.00
5	लक्ष्मी नगर डाटा केंद्र का उन्नयन	-	816.00
6	आई टी पार्क, शास्त्री पार्क में विकास केंद्र	-	2,480.00
	योग	**11,489.00**	**34,441.00**

33. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिये गये आय व व्यय लेखा तैयार करने के सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (viii) के अनुसार सूचना

i. सी आई एफ आधार पर आयात का मूल्य : शून्य

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भूत आधार पर)

₹ लाखो में

विवरण	31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
यात्रा–स्टाफ (विदेशी)	शून्य	शून्य
योग	**शून्य**	**शून्य**

iii. विदेशी मुद्रा में उपार्जन (प्रोद्भूत आधार पर) शून्य रूपये (पूर्व वर्ष शून्य रूपये) है।

34. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक '

₹ लाखो में

विवरण	31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
कर लेखा शुल्क शामिल करते हुए लेखा परीक्षक शुल्क	7.21	7.21
व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	1.99	1.99
योग	**9.12**	**9.12**

*सेवाकर को शामिल करते हुए। इसके अलावा, 2.30 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 3.42 लाख रूपये) का विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणन कार्य के लिए भुगतान किया गया है जिसे सीधे ही संबंधित परियोजनाओं में डेबिट किया जाता है ।

35. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण –''कर्मचारी लाभ''

(i) भविष्य निधि में अंशदान

निकसी की कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि 3 मार्च,1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निकसी के सभी पदाधिकारी तथा उनके पद एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। भविष्य निधि की इस प्रयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक माह उनके वेतन से कटौती की गई है तथा सरकार से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तत्पश्चात् उसे एनआईसी को भेजा जाता है क्योंकि सम्पूर्ण लेखा का रखरखाव उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए निकसी की कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के भुगतान के संबंध में कोई देयता नहीं है।

(ii) छुट्टी वेतन

चूंकि 3 मार्च, 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) निकसी द्वारा प्रत्येक माह उनके खाते में गणना की जाती हैध्प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि.केंद्र के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार, निकसी की छुट्टी वेतन भुगतान/छुट्टी भुनाने के संबंध में कोई देयता नहीं है ।

(iii) पेंशन अंशदान

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए पेंशन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) प्रत्येक माह उनके खाते में निकसी द्वारा गणनाध्प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि. केंद्र को भेज दिया जाता है । इस प्रकार पेंशनरी लाभ के भुगतान के लिए निकसी की कोई देयता नहीं है

(iv) उपदान

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि. केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए कंपनी भुगतान करने के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसको एन आई सी द्वारा पूरी तरह से वहन किया जायेगा।

36. संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों की सूची

पार्टी का नाम	संबंध
श्री मनोज कुमार मिश्रा, प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

ii. संबंधित पार्टियों से लेन–देन

₹ लाखो में

पार्टी का नाम	लेन देन की प्रकृति	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
श्री मनोज कुमार मिश्रा	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	38.61	34.47
	योग	**38.61**	**34.47**

संबद्ध पार्टियों को 31–03–2019 की स्थिति के अनुसार देय शेष राशि : 2.59 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2.37 लाख रूपये) थी ।

37. परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज

कंपनी ने परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज के अंतर्गत कार्यालय स्थल को भाड़े पर लिया है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 17 'लीज्ड हेतु कुल भावी न्यूनतम लीज्ड भुगतान के विवरण निम्नानुसार हैः–

₹ लाखो में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
i.	एक वर्ष से अधिक नहीं	1,425.11	1302.78
ii.	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम नहीं	7,809.99	7,578.28
iii.	पांच वर्ष से अधिक	12,275.94	13,932.76

38. भारतीय लेखांकन मानक – 108 'परिचालन खंड' के अनुसार प्रकटीकरण

निकसी दिल्ली में केंद्रीयकृत कार्यालय से केवल "सूचना प्रौद्योगिकी" खंड पर ही सेवायें प्रदान कर रही है। उस पर एक खंड के रूप में विचार करते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक 108 – परिचालन खंड के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

39. शेष पुष्टि

शेष पुष्टिकरण पत्र विभिन्न शीर्षों के तहत जारी किए गए हैं। उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

40. सवारी/हक विलेख का गैर निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2003 और 2001 में क्रमशरू मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से हॉल संख्या 2 और 3, 6वां तल एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली खरीदा। तथापि, उसकी 931.50 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 931.50 लाख रूपये) के संबंध में सवारी विलेख/हक विलेख को एनबीसीसी द्वारा कंपनी से बहुत से अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद भी अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है। कंपनी द्वारा इन मामले में मैसर्स एनबीसीसी को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है। अतरू स्टैम्प ड्यूटी की राशि के संबंध में 74.51 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 74.51 लाख रुपये) का प्रारंभिक प्रावधान वित्तीय विवरणों में किया गया है और अंतर राशि, यदि कोई हो, साल में प्रावधान किया जायेगा और उसे पंजीकृत किया जायेगा ।

41. प्रबंधन के विचार में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यविधि के दौरान वसूलनीय मूल्य होना चाहिए जोकि उललिखित राशि के कम–से–कम समतुल्य हो ।

42. एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अधीन प्रकटीकरण

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
1	किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया भुगतान के लिए देय प्रधान राशि और ब्याज	466.66	शून्य
2	पूर्तिकार को की गई भुगतान की राशि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
4	प्रोदभूत ब्याज तथा शेष भुगतान न की गई राशि	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती करने वाले व्यय को न देने के प्रयोजन से, उस तारीख से जब उपर्युक्त देय ब्याज राशि का लधु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है, यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्षों में आगे की ब्याज राशि देय रह गई हो और देय हो ।	शून्य	शून्य

43. भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपत्तियों की अशक्तता'' के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपत्तियों की अशक्तता'' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान शास्त्री पार्क स्थान में स्थित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र और लक्ष्मी नगर में डॉटा केन्द्र के संबंध में एनआईसी क्लाउड सेवाओं के संवर्धन और शास्त्री पार्क स्थानों में विकास केंद्रों पर निवेश करने के संबंध में परिसंपततियों की अशक्तता का निर्धारण किया गया है जो कि कम्पनी की नकदी प्रस्तुत करने वाली यूनिटें हैं और इस संबंध में किसी अशक्तता हानि का पता नहीं चला है।

44. दिनांक 20.11.2009 की डीओपी लाइसेंस सं0 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे वी–सैट परियोजनाओं में राजस्व उत्पादन (जी आर/ए जी आर) और उस पर डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान

निकसी ने दिनांक 25.11.2009 को दूरसंचार विभाग के साथ एक वाणिजयिक वीसैट लाइसेंस समझौता किया था और दूरसंचार विभाग को तद्नुसार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है । वर्ष के दौरान इस लाइसेंस के मद्दे दो परियोजनायें यथा सीएससी और एनडीआरएफ कार्यान्वित की गयी है। अक्तूबर, 2015 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह इंगित किया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.10.2011 के आदेश में कहा था कि समायोजित सकल राजस्व की विस्तृत परिभाषा, जिसमें लाइसेंस से परे राजस्व शामिल है, अगर किसी तरह से लाइसेंसधारक को प्रभावित करती है तो लाइसेंसधारकों को छूट है कि वे टेलीग्राफ अधिनियम के खंड (4) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता न होने वाले कार्यकलाप न करें तथा ऐसे कार्यकलापों को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को स्थानांतरित कर दें । निकसी, उसके बाद एमईआईटीवाई के माध्यम से दूरसंचार विभाग से इस मामले पर कारवाई करेगी कि दूरसंचार विभाग निकसी के संबंध में केवल उन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व पर ही वसूली करेगा, न कि प्रारंभिक स्वीकृत शर्तों के अनुसार कम्पनी के पूरे राजस्व पर वसूली करेगा। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10.5.2016 के अर्धशासकीय सं0 32–4/सीसीए–दिल्ली/2015–एलएफपी (के डब्ल्यू–2) द्वारा सूचित किया कि एजीआर मामला फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय में ''अपील'' के अधीन है और 29.02.2016 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत संघ अपनी समझ के अनुसार मांगें उठाती रहेगी, हालांकि इस कोर्ट द्वारा विवाद के अंतिम निर्णय होने तक इसे लागू नहीं किया जायेगा । दूरसंचार विभाग ने आगे कहा कि मूल्यांकन कार्य, प्रासंगिक लाइसेंस करारों की निबंधन व शर्तों और समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार, अगले आदेशों तक जारी रखा जायेगा। तथापि, डीओटी ने दिनांक 09.02.2017 की पत्र सं. 7–16/2009–एलएफ/वी सेट 2015–16/107 तथा दिनांक 09.02.2017 की सं. डब्ल्यूपी एफ–1000/निकसी/वाणिज्य वी सेट/2010–11/107 के द्वारा निकसी को 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65445.02 लाख रुपये तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये निकसी को अंतरिम मूल्यांकन भेजा । इस मांग के लिए निकसी ने एमईआईटीवाई और डीओटी के साथ इस मामले पर कारवाई शुरू की । इसके अलावा,इस मामले में अभी फीडबैक प्राप्त होना है ।

निकसी ने दूरसंचार विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तदनुसार पहले अपनाई गई पद्धति के अनुसार प्रभारों का भुगतान/प्रदान किया है। परियोजनावार स्थिति निम्नानुसार हैः

(क) सीएससी परियोजना के लिए वीसैट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना में सीएससी हेतु वी सेट राजस्व के रुप में शून्य रूपये (पूर्व वर्ष शून्य रुपये) की राशि प्राप्त की गयी है। इनके विवरण निम्नानुसार है –

₹ लाखो में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
(क)	कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व	1,24,033.33	1,33,642.72
(ख)	उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (सीएससी परियोजना) से आय	शून्य	शून्य
(ग)	(ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व	1,24,033.33	1,33,642.72

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के अतिरिक्त शुल्क अथवा जुर्माना को परियोजना संख्या 80752/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया जायेगा ।

इस परियोजना में डी ओ टी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा दृ जोखा रखा जाएगा, जिसमें उसकी वसूली की जाएगी । तथापि , निकसी ने दिनांक 31–3–2017 को डीओटी को उक्त लाइसेंस सुपुर्द किया है और तत्पश्चात कंपनी दवारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई।

(ख) एनडीआरएफ परियोजना हेतु वीसैट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना के लिए वीसैट से संबंधित राजस्व के रुप में शून्य रूपये (पूर्व वर्ष शून्य रुपये) की राशि प्राप्त की गयी है। इनके विवरण निम्नानुसार है –

₹ लाखो में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
(क)	कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व	1,24,033.33	1,33,642.72
(ख)	उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (सीएससी परियोजना) से आय	शून्य	शून्य
(ग)	(ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व	1,24,033.33	1,33,642.72

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के अतिरिक्त शुल्क अथवा जुर्माना को परियोजना संख्या 111116/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया जायेगा ।

इस परियोजना में डीओटी द्वारा लगाए गए जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा–जोखा रखा जायेगा, जिसमें उसकी वसूली की गई है। तथापि, निकसी ने 31–03–2017 को डीओटी को उक्त लाइसेंस सुपुर्द किया और उसके पश्चात कंपनी दवारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई गतिविधियां शुरू नहीं की गई।

45. एनकेएन परियोजना पर परिचालन सीमान्त राशि (प्रशासनिक प्रभार)

एनकेएन परियोजना पर दिनांक 19.07.2011 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एन के एन परियोजना के अधीन व्यय पर 1% दर से परिचालन सीमान्त राशि वसूल करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग, प्रभाग (आईएफडी) से विशेष अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। तथापि, निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुमोदन मिलने के अनुसार व्यय के 1% की दर से अपनी परिचालन सीमान्त राशि की प्रविष्टि कर रही है ।

46. राष्ट्रीय डाटा केंद्र परियोजना, शास्त्री पार्क, दिल्ली के संबंध में आयध्व्यय

राष्ट्रीय डॉटा केंद्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोदयोगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान से प्राप्त वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था और जुलाई, 2011 में इसने काम करना शुरू कर दिया। स्थायी वित्तीय समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार, निकसी को प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 800 लाख रूपये की दर से उस पर परिचालनात्मक व्यय राशि को वहन करना पड़ेगा।अपने परिचालनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए निकसी को उसे आवंटित 60 रैक से आय प्राप्त करनी थी। जबकि निकसी ने 2 वर्षों के बाद भी उस पर परिचालनात्मक व्यय की पूर्ति करना जारी रखा।

एमईआईटीवाई ने यह अनुमोदित किया कि दिनांक 01.04.2014 के आगे से, निकसी राष्ट्रीय डाटा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर किराया व रखरखाव/बुनियादी ढ़ांचे के रखरखाव/बुनियादी अवसंरचना ओ एण्ड एम जनशक्ति शीर्षों पर 800 लाख रुपये तक परिचालनात्मक व्यय शीर्षवार खर्च करेगी और एनआईसी विद्युत और डीजल प्रभारों/प्रत्यक्ष सुरक्षा व गृह व्यवस्था प्रभारों/जल प्रभारों/लोजिस्टिक सहायता/आकस्मिकता प्रभारों के संबंध में निकसी द्वारा प्रारंभ में ये व्यय वहन करने के पश्चात् निकसी को अपने बजटीय प्रावधान में से इन सभी प्रभारों के 3% तक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डॉटा केंद्र की स्थापना करने के साथ ही, निकसी और एनआईसी ने शास्त्री पार्क, दिल्ली में राष्ट्रीय डॉटा केंद्र के लिए और उसके परिचालन और प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने का काम शुरू किया। निकसी के निदेशक मंडल ने 27.12.2018 को आयोजित अपनी 108 वीं बैठक में उस पर विचार किया और उसे 01 अप्रैल 2018 से निम्नानुसार अनुमोदित कियाः –

- निकसी शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डॉटा केंद्रों के लिए एक अलग परियोजना पूल खाता बनाएगी।
- इन दोनों डॉटा केंद्रों पर सह–स्थान सेवाओं के माध्यम से प्राप्त आय को प्रस्तावित परियोजना शीर्षों के अधीन रखा जाएगा।
- इन दोनों डॉटा केंद्रों पर ओ एंड एम खर्च की पूर्ति करने और मूल अवसंरचना के उन्नयन के लिए आय का इस्तेमाल किया जाएगा।
- निकसी द्वारा शास्त्री पार्क में सह–स्थान सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा 60 रैक के अलावा, एनआईसी आने वाले वर्षों के लिए ओ एंड एम खर्चों की पूर्ति करने के लिए और मूल अवसंरचना के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियां प्राप्त करने हेतु और अधिक रैक जोड़गा।
- निकसी वित्तीय वर्ष 2018–19 और उसके बाद से शास्त्री पार्क में ओ एंड एम व्यय राशि के संबंध में 800 लाख रूपये प्रति वर्ष खर्च नहीं करेगी। एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 60 रैकों और इससे अधिक रैकों के माध्यम से प्रति वर्ष प्राप्त किए गए राजस्व का उपयोग ओ एंड एम व्यय को पूरा करने और मूल अवसंरचना के उन्नयन के लिए किया जाएगा।
- निकसी उक्त ओ एंड एम की व्यय राशि और मूलध्आईसीटी मूल अवसंरचना के उन्नयन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 और उसके आगे से बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार अपनी 7% की दर से परिचात्मक सीमांत राशि वसूल करेगी।

निकसी ने तदनुसार शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर दोनों के लिए राष्ट्रीय डॉटा केंद्र में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अपनी आय और व्यय दर्ज की है।

47 एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर निकसी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये निकसी के कर्मचारियों को निकसी की सेवा नियमों के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में 189 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की है। निदेशक मण्डल की दिनांक 17.05.2006 को आयोजित उनकी 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर कंपनी द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति की गई है और उसे दिनांक 24.09.2010 को आयोजित 69वीं बैठक में संशोधित किया गया था, जोकि डीपीई/डीओटीपी के दिशानिर्देशों और सीसीएस के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के अनुसार नहीं है। उसके बाद इन सेवा नियमों को निकसी द्वारा 11.11.2014 को परिशोधन हेतु एनआईसी/डीईओटीवाई को भेजा गया है । बोर्ड की मंजूरी के अनुसार वसूली किस्तों में की जायेगी । निकसी ने मई, 2015 में कर्मचारियों के वेतन से राशि की वसूली की है । इसके लिए कर्मचारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वसूली के लिए याचिका दायर की है और इस मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देने तक दिनांक – 09.06.2015 के ''आदेश'' द्वारा कर्मचारियों से राशि की वसूली करने के संबंध में श्श्रोकश्श लगा दी गयी है । अंत में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.03.2016 के अपने फैसले में निर्णय लिया कि सेवा शर्तें, जो अपीलकर्ता को निकसी में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है और एलटीसी के उदारीकरण विकल्प को चुनने की सुविधा प्रदान करती है, उसे रोका जाये। पर उस सुविधा का सतत् रुप से लाभ उठाया गया । उसके बाद एलटीसी के नियमों में संशोधन किया गया–जिस पर कोई विवाद नही था कि निकसी के मूल विनियम तथा उसमें किये गये संशोधन लागू रहेंगे । इन परिस्थितियों में सेवा की शर्तों में बदलाव किये बिना की जाने वाली वसूली को रोका नहीं जा सका। तदनुसार प्रतिवादी अर्थात् निकसी को 2010 से पूर्व प्रतिनियुक्ति की शतों के अनुसार अधिक भुगतान की गयी राशि ही वसूल करने की अनुमति दी गयी है क्योंकि मौजूदा कुछ कर्मचारियों ने संगठन में अभी कार्यग्रहण किया अथवा जो 2010 के संशोधन के प्रतिकूल है । इस अपील को उस सीमा तक माना जाता है।

एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.07.2016 के पत्र के द्वारा निकसी को यह निदेश दिया कि जो कर्मचारी अनियमित रूप से छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा ले रहे थे उन्हे आधिक्य भुगतान की वसूली करना जारी रखें । निकसी ने दिनांक 29.07.2016 के पत्र के द्वारा एमईआईटीवाई को यह सूचित किया कि चालू निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निकसी ने छुट्टी यात्रा रियायत के कारण कर्मचारियों को किए गए आधिक्य भुगतान की वसूली प्रक्रिया पुनरू शुरू कर दी है और उन्हें इसके संबंध में 29.07.2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी भी किया जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया है कि यह वसूली अगस्त 2016 माह के वेतन से शुरू की जाएगी। इसके साथ – साथ दिनांक 16.08.2016 को निकसी द्वारा एमईआईटीवाई को यह मामला प्रस्तुत किया गया।

प्रभावित कर्मचारी दिनांक 29.07.2016 के निकसी के उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वसूली पुनः शुरू की गयी। प्रक्रिया के विरोध में अवमानना याचिका दायर करके माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए जिसमें निकसी तथा एमईआईटीवाई दोनों को प्रतिवादी बनाया गया । एमईआईटीवाई ने इस मामले पर पुनरू विचार किया और निकसी को दिनांक 17.03.2017 की टिप्पणी द्वारा यह सलाह दी कि वह इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त दिनांक 18.03.2016 के उक्त निर्णय का अनुपालन करें। एमईआईटीवाई के निर्देशों के आधार पर निकसी ने दिनांक 21.03.2017 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि एनआईसी/निकसी के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की दावा की गई राशि की वसूली न की जाये और इसके अलावा उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को पहले से वसूली की गई राशि की पुनः वापसी की जाये। प्रतिवादियों ने तदानुसार दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन की फोटोकॉपी को सुपुर्द करके, दिनांक 23.03.2017 को अपनी सुनवाई में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को इस निर्णय की सूचना दी । अवमानना याचिका को इस प्रकार संतुष्ट हो जाने पर निपटान किया गया माना गया और प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन को तत्काल लागू

करें। निकसी ने तदनुसार कारवाई की और प्रत्येक संबद्ध व्यक्तियों को वसूल की गई राशि की वापिसी की ।

इस बीच, इस मामले को नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई – मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट – केंद्र सरकार (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) – 2015 की संख्या 55 में शामिल किया गया। इस समय यह मामला संसद में लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास है।

उक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शामिल करते हुए एमईआईटीवाई ने उपर्युक्त के अनुसार नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय को सूचित किया। उसके बाद, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय ने माननीय न्यायालय के फैसले की प्रति और निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन के लिए सरकार के अनुमोदन की प्रति की भी इच्छा व्यक्त की। जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय को प्रदान की गई थी, यह सूचित किया गया कि निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन की दिशा में यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन था। इस प्रकार यह पैरा, सरकार से निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन न होने के कारण अभी भी पीएसी के विचाराधीन है।

48. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक के लिए एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना, प्रोत्साहन के संबंध में 211 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लेखाओं में 44.84 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 45.80 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है, जो निदेशक मंडल की दिनांक 22.12.2008 को आयोजित 60वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित नियमों पर आधारित है, जोकि डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है। मार्गदर्शी सिद्धांतों पर अनुमोदन लेने के लिए निकसी द्वारा इस मामले को एनआईसी/एमईआईटीवाई को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रोत्साहन पर टी डी एस की कटौती वास्तविक भुगतान के समय की जायेगी। सरकार से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अनुमोदन लेने की अभी प्रतीक्षा है। चूंकि इस मामले में अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिले हैं इसलिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान परियोजना प्रोत्साहन राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 में, वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 44.84 लाख रूपये और वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 45.80 लाख रूपयों के परियोजना प्रोत्साहन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

49 एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता

कंपनी ने दिनांक 01.07.2007 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता के संबंध में 17 लाख रुपये और परिवहन भत्ता के संबंध में 49 लाख रूपयों की आधिक्य राशि का भुगतान किया है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 17.05.2006 को आयोजित 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर इस राशि का भुगतान किया गया है जोकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं है। निकसी द्वारा एनआईसी/एमईआईटीवाई को दिनांक 11.11.2014 को सेवा नियम परिशोधन हेतु भेजे गये हैं। इसके अलावा, इस मामले में फीडबैक मिलना शेष है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, इन भत्तों के संबंध में निकसी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार सरकारी नियमावली को अपनाया है।

50. अनुदान सहायता परियोजना की उपयोग न की गयी निधि पर ब्याज

वित्तीय वर्ष 2011–12 तक, कम्पनी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए गारंटीकर्ता संस्थान से प्राप्त की गयी राशि को अनुदान सहायता प्रापति के रुप में उसे मानने के बदले ''ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशिश्श मान रही है और तदनुसार

गारंटीकर्ता संस्थान को प्रयोग न की गयी निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया ।

निदेशक मण्डल ने दिनांक 21.12.2011 को आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खाता में लागू ब्याज दर के अनुसार समय–समय पर अनुदान सहायता परियोजनाओं में उपलब्ध प्रयोग न की गयी निधि पर उपार्जित ब्याज राशि की गणना करने और उसकी वापसी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार कम्पनी ने गारंटीकर्ता संस्थानों को ब्याज राशि अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याज की दर की गणना कर उसकी वापसी की है जबकि गारंटीकर्ता संस्थानों द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की प्रयोग न की गयी शेष राशि पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि की वापसी करनी होगी। गांरटीकर्त्ता विभागों ने वित्तीय वर्ष 2016–17 तक संबद्ध परियोजना में क्रेडिट किए गए ब्याज को स्वीकार किया है और इनमें से अधिकतर परियोजनाएं अभी पूरी हो गई हैं और उनके खातों का निपटान कर दिया गया हैं। हालांकि, कंपनी द्वारा सरकार को जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की वापसी राशि को कम करने के संबंध में नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय से एक पैरा प्राप्त होना जारी है। निकसी ने इस पैरा पर उत्तर प्रदान किया था और यह अभी भी नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय के विचाराधीन है।

इसी बीच, निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में, इस मामले पर पुनरू विचार किया है और निकसी को यह सलाह दी कि वे प्रोदभूत आधार पर अनुदान सहायता पर ब्याज की वापसी करें ।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में, निकसी ने ब्याज दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर जीआईए परियोजनाओं में प्राप्त ब्याज निकाला है, जिस ब्याज दर पर निकसी ने पिछले वर्षों में सावधि जमा की थी और वित्तीय वर्ष 2018–19 में और उसके आधार पर, 31.03.2018 तक की अवधि के लिए और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संबंधित परियोजना के प्रत्येक खाते में नीचे दिए गए अनुसार भिन्न ब्याज दिया है :

₹ लाखो में

अवधि	एन के एन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजनाएं	योग
31.03.2018 तक की अवधि के लिए	1414.74	3351.27	4766.01
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए	77.45	535.60	613.05
योग	1492.19	3886.87	5379.06

31.03.2018 तक की अवधि के लिए अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं (जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) पर इस्तेमाल न की गई निधि पर प्राप्त ब्याज राशि को, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए (पूर्व वर्ष 777.72 लाख रूपये, जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) 4766.01 लाख रूपये और 613.05 लाख रूपये है, वर्ष के लिए ब्याज आय से कम कर दिया गया है।

51 प्राप्ति योग्य व्यापार

निकसी एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों से बहुत–सी नई परियोजनाएं कार्यानवित करती हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, निकसी को 40 प्रतिशत तक अथवा इसी प्रकार की दी गई अग्रिम राशि को जारी करने के लिए उसे प्रतिबंधित करती है, जबकि बहुत से मामलों में मुख्य रुप से आई सी टी हार्डवेयर की प्राप्ति करने से संबंधित मामलों में निकसी को उन मदों की प्रदायगी/प्रतिस्थापन करने के पश्चात् और उसकी पूरी सीमा तक कार्य आदेश जारी करने

होंगे। निकसी को कार्य आदेशों में दी गयी भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। इसके परिणामस्वरुप, बहुत से अवसरों पर, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया, जिसमें 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 27287.68 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 29136.59 लाख रुपये) की व्यापार प्राप्ति योग्य राशि शामिल है, जिस पर निकसी द्वारा उसे वसूल करने के लिए संबद्ध विभाग/संगठन से समय–समय पर कार्रवाई की जाती है ।

52. 5 वीं मंजिल, शास्त्री पार्क, दिल्ली के संबंध में पूर्वावधि मूल्यह्रास

निकसी ने कार्य पूरा होने के बाद, 5 वीं मंजिल, शास्त्री पार्क, दिल्ली के लिए मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को आंतरिक कार्य दिया था, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तल का काम शुरू हो गया था। तथापि, निकसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को अंतिम भुगतान किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए 455.22 लाख रुपये का मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्य इक्विटी के अधीन चार्ज किया गया है।

53. वसूली की जाने वाली असंभावित राशियों– संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, प्राप्ति योग्य– व्यापार के संबंध में 5% की दर से प्रावधान किया गया है जो तुलन पत्र की तारीख से 3 वर्षों से भी अधिक वर्षों से बकाया हैं। पीएंडटी लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि कंपनी के संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करने के लिए अपनाई गई नीति में कमी है।

निकसी द्वारा पिछले वर्षों के खातों पर उस कार्यालय को दिए गए आश्वासन तथा पीएंडटी लेखा – परीक्षा में दिए गए उपर्युक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, निकसी में एक समिति का गठन किया गया था जो वसूली की जाने वाली असंभावित संदिग्ध राशियों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखाओं में प्रावधान करने के संबंध में समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

समिति की सिफारिशों के आधार पर,वसूली की जाने वाली असंभावित संदिग्धं राशियों के संबंध में वित्तींय वर्ष 2018–19 के लिए निकसी के खातों में निम्नानुसार 'प्रावधान' किया गया है : –

(लाखों में)

अवधि	बकाया राशि	प्रतिशत में प्रावधान	राशि में प्रावधान
10 वर्षों से अधिक	5,105.01	100	5,105.01
5 से 10 वर्ष	7,853.17	50	3,926.59
3 से 5 वर्ष	3,432.76	25	858.00
3 वर्षों तक	9,476.78	शून्य	शून्य
योग	25,867.72		9,889.60

54. आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा – परीक्षा करते समय, पीएंडटी की लेखा – परीक्षा में यह पाया गया था कि "आपूर्तिकर्ताओं को 984.16 लाख रूपये की राशि हेतु दिया जाने वाला अग्रिम 3 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 3 से अधिक वर्षों तक पुराना होने के कारण, इस संबंध में प्रावधान किया जाये। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप, वर्तमान

परिसंपत्तियों का अधिमूल्यन हो गया है और प्रावधानों का कम आंकलन करने के कारण लाभ का अधिक आंकलन" हो गया है।

पीएंडटी की लेखा–परीक्षा में दिए गए उपर्युक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, निकसी में एक समिति का गठन किया गया, जो कि आपूर्तिकर्ताओं को निपटान किए जाने के लिए असंभावित राशियों के संबंध में किए जाने वाले प्रावधान पर विचार करने और उसकी सिफारिश करने हेतु उनकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनकेएन परियोजना को छोड़कर निपटान किए जाने के लिए असंभावित तथा 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3 से भी अधिक वर्षों तक रहने वाली बकाया राशियों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पूर्तिकारों को दी जाने वाली 1712.20 लाख रूपये की राशियों के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।

55. चालू तथा गैर–चालू परिसंपत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण

कंपनी परिचालन श्रेणी के भीतर वसूलनीय क्षमताध्भुगतान के अनुमान के आधार पर वित्तीय विवरणों में परिसंपतियों और देयताओं का श्श्चालू तथा गैर–चालूश्श के अंतर्गत द्विविभाजन की सुविधा प्रदान करती है।

56. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में व्यय

निकसी ने 27 दिसंबर, 2018 को आयोजित 108 वीं बोर्ड की बैठक के अनुसार, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के व्यय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 (पूर्व वर्ष 198.00 लाख) के लिए खातों में 176.00 लाख रुपयों का प्रावधान किया है।

57. अनुदान सहायता परियोजनाएं

अनुदान सहायता परियोजनाओं के संबंध में मंजूरियों में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुसार, कंपनी सीए फर्म से लेखा परीक्षा की गई सभी ऐसी परियोजनाओं के लेखा प्राप्त कर रही है। चालू वर्ष के लिए, एनकेएन परियोजना को छोड़कर, सभी जीआईए परियोजनाओं के खाते का लेखा परीक्षा किया जाता है, जिस पर कार्रवाई चल रही है।

58. जिला 2.0 – डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए जिला अवसंरचना का विस्तार'

निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100 वीं बैठक में इस परियोजना पर विचार किया और चरण –1 के लिए 9,900 लाख रुपये के कुल परिव्यय के लिए अनुमोदन दिया जिसकी निकसी द्वारा नकदी आरक्षिति में से पूरी तरह से पूर्ति की जायेगी ।

तथापि परियोजना में कोई 'राजस्व' आय नहीं होगी, क्योंकि इसमें एनआईसी के कुछ जिला केंद्रों में केवल आईसीटी अवसंरचना का विस्तार करना शामिल है। चूंकि, परियोजना से कोई आय नहीं होती है और संपत्तियां न तो निकसी से संबंधित हैं और न ही उसके कब्जे में है, इसलिए निकसी ने आय और व्यय लेखा में व्यय के रूप में वर्ष के दौरान उससे संबंधित 5804.99 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2687.54 लाख रूपये) की सम्पूर्ण व्यय राशि को सीधे ही भेज दिया है।

59. आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा – परीक्षा करते समय पी एंड टी की लेखा – परीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2014–15 के संबंध में आयकर विभाग से वसूलनीय टीडीएस/आयकर के कारण 2,281.03 लाख रूपये की राशि लंबित है। उपर्युक्त राशि 3 से भी अधिक वर्षों से पुरानी है, इस संबंध में कंपनी द्वारा प्रावधान किया

जाये। हालांकि, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण चालू परिसंपत्तियों का अधिमूल्यन हुआ है और प्रावधान का कम आंकलन होने के कारण आय का अधिक आंकलन हुआ है।

पीएंडटी की लेखा–परीक्षा में दिए गए उपर्युक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, निकसी में एक समिति का गठन किया गया जो वसूली किए जाने के लिए असंभावित आयकर वापिसी, बिक्री कर की वसूली और टीडीएस पर कार्य संविदा के संबंध में राशियों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के खातों में किए जाने वाले प्रावधान की समीक्षा और सिफारिशें करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निकसी के खातों में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

(लाखों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
आयकर	1,646.55
बिक्री कर/ वेट /डीवीएटी	117.70
कार्य संविदा पर टीडीएस	2.34
योग	1,766.59

60. अप्रचलित मदें

कंपनी के पास 31–03–2019 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की कुछ अप्रचलित मदें हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निकसी के खातों की समीक्षा करते समय, पीएंडटी की लेखा – परीक्षा दल ने यह पाया कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अप्रचलित मदों के मूल्यह्रसित मूल्य और उसी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच होने वाले अंतर के संबंध में उस वर्ष में खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तदनुसार, निकसी में एक समिति का गठन किया गया, जो 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार मूल्यह्रसित मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच अप्रचलित मदों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निकसी के खातों में किए जाने वाले 'प्रावधान' की जांच और उसकी सिफारिश करेंगी । समिति ने सिफारिश की है कि 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अप्रचलित परिसंपत्तियों की मदों के मूल्यह्रसित मूल्य अर्थात 49.89 लाख रूपयों को अनुमानित बिक्री मूल्य के रूप में लिया जाये और इसलिए, इन खातों में उस वर्ष के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

61. पूर्वावधि मदें

कंपनी ने केवल त्रुटियों और चूक को पूर्वावधि के रूप में माना है। चालू वर्ष में, कोई त्रुटि या चूक नहीं हुई है और इसलिए, टिप्पंणी संख्या 50 और 52 में दी गई रिपोर्ट को छोड़कर, कोई पूर्वावधि व्यय या आय नहीं है। तथापि, पिछले वर्ष के खातों के संबंध में निकसी द्वारा पीएंडटी लेखा–परीक्षा कार्यालय को दिए गए आश्वासन के अनुसार, सभी गैर–निष्पादित या आंशिक रूप से निष्पादित क्रय आदेशों/कार्य आदेशों की समीक्षा की गई है और इसके आधार पर 30.06.2017 तक जारी किए गए ऐसे सभी क्रय आदेशों/कार्य आदेशों को रद्द माना गया है।

62. कंपनी मुख्य रूप से माल और सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त करती है। 01 अप्रैल 2018 से, कंपनी ने संचयी कैच–अप ट्रांजिशन पद्धति का उपयोग करके "भारतीय लेखा मानक 115 (भारतीय लेखांकन मानक115) – 'ग्राहकों के पास संविदा से राजस्व " पद्धति को अपनाया है जो पारगमन तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार पूरा न

की गई संविदाओं पर लागू होती है1 तदनुसार, राजस्व की तुलनात्मक राशियों और तदनुरूपी संविदा परिसंपत्तियों/देनदारियों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव 'शून्य' रूपये है।

63. पूर्व वर्ष के आंकडे का पुनरू वर्गीकरण

कंपनी ने चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुषटि करने के लिए पूर्व वर्ष के आंकडों का पुनरू वर्गीकरण किया है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता सं. 539439

ह0/–
मनोज कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
पंकज कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
दीपक सक्सेना
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–07–2019

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों हेतु

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हतापूर्ण विचार

हमने नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंकोरपोरेटिड ('कंपनी') के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष से लेकर उसकी समाप्ति तक, तुलन पत्र और आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियां अैर अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचना के सार भी शामिल है।

हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा हमारी रिपोर्ट के अर्हता प्राप्त विचार के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानियों, इक्विटी में परिवर्तनों तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं।

अर्हतापूर्ण विचार का आधार

1. प्रबंधन द्वारा सूचित किए गए अनुसार एनकेएन परियोजना के संबंध में अनुदान सहायता प्राप्त परियोजना के खातों की लेखा परीक्षा पर अभी कारवाई चल रही है। तदनुसार, वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को एनकेएन परियोजनाओं के ऐसे गैर लेखा– परीक्षित खातों के आधार पर संकलित किया गया है। ऐसी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा करने के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों / देनदारियों और / या आय / व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है। (टिप्पणी 57 देखें)

2. कंपनी ने बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कार्यानवित की जाने वाली प्रणाली लेखा– परीक्षा को वैधीकृत किए बिना पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017–18) के दौरान 01 जुलाई, 2017 से ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर को कार्यानवित किया। डॉटा निष्ठा में संभावित प्रणाली में कमजोरी होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में बताये गए अनुसार परिसंपत्तियों/देनदारियों औरध्या आय/व्यय पर पड़ने वाला प्रभाव, यदि कोई हो, का इस समय पता नहीं है।

3. हमारे विचार में, परिसंपतति संयंत्र और उपस्कर का प्रत्यक्ष सत्यापन करने, विक्रेता की शेष राशियों की पुष्टि/ मिलान करने, विक्रताओं के कार्य–निष्पादन, बैंक गारंटियों को जारी करने की प्रक्रिया, ग्राहकों द्वारा बैंक खाते में ई–भुगतान के जरिये सीधे ही जमा राशि जमा करने/अन्यथा और देय राशियों की वसूली करने के संबंध में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण उसके परिचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। (अनुबंध 'क' देखें)

4. व्यापार देय राशि के संबंध में शेष राशियों (टिप्पणी –18), प्राप्ति योग्य व्यापार (टिप्पणी–9) ग्राहकों से प्राप्त की गई अग्रिम राशियों (टिप्पणी–20) बयाना जमा राशियों की प्राप्तियाँ (टिप्पणी–19), प्रतिभूति जमा राशियों

(टिप्पणी–17) और ग्राहकों से प्राप्त की गई अनुदान सहायता राशियों (टिप्पणी–20) के संबंध में शेष राशियां वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किये परिमाणात्मक मिलान करने और/अथवा प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली पुष्टियों के अनुसार होगी। ऐसी पुष्टि के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देयताओं और/अथवा आय/व्यय पर पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है ।

5. ग्राहकों से प्राप्त की गई अग्रिम राशियों, जो 1,11,852.70 लाख रुपये की राशि है, के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 20 देखें । संबंधित लेखाओं की समीक्षा करने पर बहुत से ग्राहकों के बारे में यह पता चलता है, जहाँ पर वर्ष की समाप्ति के अनुसार 3 से अधिक वर्षों के लिए बकाया राशियाँ शेष है । भारत सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अधिकांश रूप से प्राप्त की गई इन अग्रिम राशियों का कंपनी द्वारा विभिन्न बैकों में ब्याज की विभिन्न दरों पर सावधि जमा राशियों में और परिपक्वता प्रोफाइलों में निवेश किया गया है ।

इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशियों के संबंध में ऐसी बेकार पड़ी हुई निधियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उन्हें सावधि जमा राशियों में निवेश किया गया, इसलिए प्रत्येक ग्राहकों से संविदा की तदनरूपी निबंधन व शर्तों के आधार पर ऐसी प्रत्येक अग्रिम राशि और रिटर्न की प्रबंधन द्वारा समीक्षा किये जाने की जरूरत है । प्रत्येक ऐसे अग्रिम राशियों के संबंध में उपलब्ध की जाने वाली संविदाओं, दस्तावेजों और विवरणों के अभाव में ऐसे विवरण उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियोंध देयताओं औरध्अथवा आयध्व्यय के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफ के संबंध में मामलों पर पडने वाले संपूर्ण प्रभाव का इस समय पता नहीं हैं।

6. टिप्पणी संख्या 44 देखें जो कि स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32,383.09 लाख रुपये और लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65,445.02 लाख रुपये डी ओ टी द्वारा प्रस्तुत की गई मांग की गणना करने के संबंध में पिछली लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के दौरान डी ओ टी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/प्रदान की गई राशि के संबंध में है । भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने वाले मामले को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पडने वाला परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है और वह मात्रात्मक है ।

7. "नियंत्रण" का स्थानांतरण करते समय अर्थात् ग्राहकों द्वारा माल की स्वीकृति पर उसकी पहचान करने के बदले, महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी–2) (vii) देखें) के संबंध में बीजक प्रस्तुत करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान करने के संबंध में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित "ग्राहकों के पास संविदाओं से राजस्व राशि" पर भारतीय लेखांकन मानक 115 का कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है। भारतीय लेखांकन मानक 115 के संदर्भ में राजस्व राशि की पहचान करने के परिणामस्वरूप कंपनी की सूचित आय, हानि और परिसंपत्तियों/देयताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का इस समय पता नहीं है।

वर्ष के लिए परिसंपत्तियों/देयताओं और/ अथवा आय/ व्यय राशियों और हानियों के संबंध में उपर्युक्त पैराग्राफ (1) से (7) में संदर्भित मामलों के प्रभाव का पता नहीं है ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस ए) के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा–परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे और वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये नीति कोड के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों तथा उसके अधीन नियमावली के अनुसार हमारी

लेखा परीक्षा से संबंधी नीतिगत अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है और हमने नीति कोड और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा–परीक्षा साक्ष्य हमारे उपयुक्त विचार का आधार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है ।

मामले पर बल देना

1. वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने "डिजिटल इंडिया पहल की पूर्ति करने के लिए जिला अवसंरचना का जिला 2.0 प्रसार " कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिसका कुल परिव्यय चरण 1 के लिए 9900 लाख रुपये है, जिसकी कंपनी द्वारा अपनी "नकदी आरक्षिती" में से पूर्ति की जायेगी। अनुमोदन की शर्तों के अनुसार, कंपनी को कोई आय प्राप्त नहीं होगी और सृजित की गई तदनरूपी परिसंपत्तियाँ न तो उसकी अपनी होगी और न वह किसी के कब्जे में रहेगी। तदनुसार कंपनी ने 5804.99 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 2687.54 लाख रुपये) की संपूर्ण व्यय राशि को खर्च किया है इसलिए इस वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा में सूचित की गई हानियों पर उसका काफी प्रभाव पड़ा है। (टिप्पणी 58 देखे ।)

2. टिप्पणी संख्या 45 देखें ,जो कि प्रशासनिक प्रभारों के रूप में एन के एन परियोजना पर खर्च की गई व्यय राशि की 1% की दर पर पहचान की गई आय राशि के लिए परिचालन राजस्व से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संबंध में है। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से अनुमोदन मिलने पर कार्यान्वित किया जायेगा, जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।

3. टिप्पणी संख्या 46 देखें, जिसमें वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशन के अनुसार, कंपनी की परिचालन सीमांत राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 से सहसंबंधित किया गया और मूल आई सी टी अवसंरचना की लागत को उन्नत करने और ओ एंड एम की 7% की दर पर व्यय राशि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय डाटा केंद्र के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त परिचालन सीमांत राशि में इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त कमी आई ,जिसका वर्ष के आय और व्यय लेखा में सूचित की गई हानियों पर काफी प्रभाव पड़ा।

4. हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां प्रबंधन ने 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं (जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) के इस्तेमाल न की गई निधियों पर ब्याज की गणना की है, जो कि 4766.01 लाख रूपये है और उसने प्रारंभिक आरक्षिति और अधिशेष राशियों में से उक्त राशियों की कमी की है।

5. हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली में भवन के संबंध में सवारी/हक विलेख की 931.50 लाख रूपये की राशि वर्ष की समापति की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए लंबित है।

ऊपर दिए गए पैराग्राफ (1) से (5) में बताए गए मामलों के संबंध में हमारे विचार को संशोधित नहीं किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा–परीक्षक रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उससे संबंधित हमारी लेखा –परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। निदेशकों की रिपोर्ट इस लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन नहीं देगें।

भारतीय– लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दी गई हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपर्युक्त सूचना उपलब्ध हो जाने पर, अन्य बताई गई सूचना को पढ़ा जाये और ऐसा करते हुए यह विचार किया जाये कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा–परीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी अथवा अन्यथा गलत वक्तव्य देने के अनुरूप है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए शासन से साथ प्रभारित व्यक्तियों और प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कि भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति ,वित्तीय कार्य–निष्पादन, व्यापक आय के बारे में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करती है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपततियों की सुरक्षा करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करना तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनको रोकने की प्रक्रिया, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, अधिनिर्णय लेना, उचित और विवेक पूर्ण प्राक्कलन करना शामिल है तथा इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव करना, उसका डिजाइन बनाना और उसका कार्यान्वयन करना शामिल है जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकार्डों की पूर्णता और यर्थाथता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, जो एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें और जो सामग्री का गलत विवरण न दे ,चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण हो।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय,प्रबंधन कंपनी को चल रही संस्था के रूप में बनाए रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आंकलन करने,चल रही संस्था से संबंधित मामलों को बताने,जैसा कि लागू हो, तथा चल रही संस्था का लेखा आधार का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है,जब तक कि प्रबंधक कंपनी को बंद करने अथवा उसके कार्य व्यापारों को समाप्त करने का इरादा न कर ले, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए भी जिम्मेदार है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करने के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि होने के कारण और हमारे विचार को प्रस्तुत करने वाली लेखा–परीक्षक रिपोर्ट जारी करने के लिए कोई गलत विवरण नहीं दिए गए है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा से किसी सामग्री के गलत विवरण होने पर उसका पता हमेशा ही लगेगा । धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत विवरण प्रस्तुत हो सकते हैं और इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की काफी संभावना हो सकती है।

एसए के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भीः

- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के विवरण गलत प्रस्तुत करने के जोखिम की पहचान करना और उसका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, उन जोखिमों के लिए दायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उसे निष्पादित करना और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो कि हमारे

विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की अपेक्षा ज्यादा रहता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानबाजी, या आंतरिक नियंत्रण को समाप्त करना भी शामिल हो सकता है।

- लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस तथ्य पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता को परिचालित करने के लिए और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली यथावत् उपलब्ध है ।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए संबंधित प्रकटीकरण और लेखांकन प्राक्कलनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना ।
- चल रही संस्था के लेखांकन आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के आधार पर और प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, चाहे यह अनिश्चितता ऐसी घटनाओं या स्थितियों के कारण बनी हुई है, जो चल रही संस्था के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है ।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने विचार को बदलना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा –परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को चल रही संस्था के रूप में बने रहने से हटाया जा सकता है।
- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण करना भी शामिल है और क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में लेनदेनों और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जा सकें।
- ऐसी सामग्री वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत विवरणों को प्रस्तुत करने की संभावना पैदा करती है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों के संबंध में यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखा–परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, शासन से प्रभारित मामलों , लेखा–परीक्षा के नियोजित क्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों की सूचना देते है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में आने वाली कोई महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल है , जिसकी हम अपनी लेखा दृपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम विवरण तथा शासन से प्रभारित वे विवरण भी प्रदान करते हैं ,जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और संबंधित सुरक्षा उपाय ,जहां लागू हो, और हमारी स्वतंत्रता से संबंधित उचित विचारों से संबंधित सभी संबंध और अन्य मामलों की उनको सूचना देने के भी उनका अनुपालन किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) की शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा

जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले शुरू नहीं किए गए है, क्योंकि कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए कंपनी को उपलब्ध छूट को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

2. इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है किः

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे है और प्राप्त किये हैं जोकि हमारी बेहतर जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उदेश्य से आवश्यक थे।

(ख) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा करने से दिखाई देता है।

(ग) तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है ।

(घ) हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अंधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 से साथ पढ़ा जाये,का अनुपालन करते है।

(ङ) हमारे विचार में, उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों का कंपनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(च) चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अर्हता प्राप्त न करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा 164 की उप धारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर – 463 (ई) के संदर्भों के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है ।

(छ) इससे संबंधित अन्य मामलों और लेखा रखरखाव से संबंधित अर्हताएं उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए अर्हता प्राप्त विचार के आधार में बताये गए अनुसार है।

(ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध क में दी गई हमारी अलग रिर्पार्ट में देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की परिचालन प्रभावशीलता और पर्याप्तता के संबंध में हमारी रिपार्ट अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत करती है।

क) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है ,इसलिए इस अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा197 के प्रावधान दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर – 463 (ई) के संदर्भों के अनुसार सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते है ।

ख) कंपनी की (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की वित्तीय स्थिति (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 22 देखें) पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. कंपनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल है जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियां भी शामिल थी।

iii. किसी भी प्रकार की ऐसी राशियॉ नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को आंतरिक करना अपेक्षित था।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों से संबंधित हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है।

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई,2019

अक्षय सेठी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 539439
यूडीआईएनः– 19539439AAAACC3829

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं अनुभाग" पर रिपोर्ट के अधीन पैराग्राफ में देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के सहयोजन से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक. (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने और उसकी स्थापना करने का जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उसके कार्य व्यापार को प्रभावी रूप से चलाने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का डिजाइन, कार्यान्वयन करना तथा उसका रखरखाव करना शामिल है तथा इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों का बचाव करना, धोखा–धड़ी तथा त्रुटियों को रोकना तथा उनका पता लगाना और लेखा रिकार्डों की यथार्थता तथा उनकी पूर्णता प्रस्तुत करना तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा से संबंधित मानकों तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा आयोजित की और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए डीम्ड माना जायेगा। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं उनकी योजना बनाते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा–परीक्षा करते हैं और उसको प्रमाणित तथा उसका रखरखाव किया जाता है मानो कि ऐसे नियंत्रणों को सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किया गया हो।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की यथार्थता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने तथा उनको प्रभावी रूप से लागू करने की पद्धतियों को प्रस्तुत करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

की समझ प्राप्त करना और समग्र कमजोरी होने के जोखिम को निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण रखने के प्रभावशीलता को शीघ्रता लागू करना, उसका परीक्षण करना, उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा–परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करते हुए चुनी गई पद्धतियों में वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्य, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अर्हता प्राप्त करने के विचार का आधार उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा–सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में उसकी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल है। (1) रिकार्डों का रखरखाव करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना तथा उसके लेन–देनों के उचित विवरण प्रदान करना, यथार्थ रूप से तथा स्पष्ट रूप से उनको प्रतिबिम्बित करनाय (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेन–देनों को रिकार्ड किया जा सके और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय राशियों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन करने अथवा उसके अप्राधिकृत अर्जन करने तथा उसका इस्तेमाल करने के संबंध में समय पर उसका पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन देना जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भरसक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थितिवश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।

अर्हता प्राप्त विचार

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमने निम्नलिखित मामलों के संबंध में जहां वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, वित्तीय विवरणों पर अपने लेखा परीक्षा विचार प्राप्त किए है।

(क) विक्रेता की शेष राशियों का मिलान/पुष्टि क्योंकि जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष राशियों का गलत विवरण प्रस्तुत करने की संभावना हो गई ।

(ख) विक्रेताओं की निष्पादन बैंक गारंटी जारी करना, क्योंकि जिसके कारण चूक करने वाले विक्रेताओं से क्षतियों की वसूली न होने की संभावना हो गई ।

(ग) उपलब्ध निधियों के संभावित गलत उपयोग करने से बचने के उद्देश्य से ग्राहकों/विभागों द्वारा कंपनी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की गई/सीधे जमा की गई राशियों का लेखा रखना ।

(घ) विक्रेताओं को अग्रिम और ग्राहकों से देय राशियों की वसूली व उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, क्योकि जिसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं को दिए गए अग्रिम और ग्राहकों से बकाया देय राशियों के गलत विवरण प्रस्तुत करने की संभावना पैदा हो गई ।

(ङ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर का प्रत्यक्ष सत्यापन करना, जिससे पूर्वोक्त लेखांकन, वर्गीकरण और प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है ।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी' एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2019 के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करते हुए लागू लेखा–परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(FRN002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2019

अक्षय सेठी
भागीदार
(UDIN:& 19539439AAAACC3829)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा – परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशन से संबंधित रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा संबंधी लेनदेनों पर कार्रवाई करने के लिए यथावत प्रणाली है। यदि हाँ, तो लेखा निष्ठा तथा वित्तीय जटिलताओं, यदि कोई है, के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखा संबंधी लेनदेनों पर कार्रवाई करने की जटिलताओं का उल्लेख किया जाये।**

   कंपनी के पास ईआरपी लेखा सॉप्टवेयर के माध्यम से सभी लेखा संबंधी लेन देनों पर कार्रवाई करने के लिए यथावत लेखा प्रणाली उपलब्ध है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूर्व वर्षो के दौरान कार्यान्वित किया गया। तथापि, प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा वैधीकृत कराये बिना पूर्व वर्षों के दौरान ईआरपी सॉफ्टवेयर को बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कार्यान्वित किया गया । डॉटा निष्ठा में पाई गई प्रणाली की संभावित कमियों के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में बताये गये अनुसार परिसंपत्तियों/देयताओं और/अथवा आय/व्यय राशि पर पड़ने वाला कोई प्रभाव, यदि कोई है, का इस समय पता नहीं है ।

   इसके अलावा, आवर्धन/विलोपन /मूल्यह्रास के संबंध में अचल परिसंपत्तियों की लेखा प्रणाली पर इस समय मैन्युअल रूप से कार्रवाई की जा रही है और तत्पश्चात उसे ईआरपी प्रणाली में अपलोड किया जायेगा जिससे कि ईआरपी में कोई स्वचालन माड्यूल उपलब्ध न रहे। यह सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त प्रक्रिया को यथाशीघ्र स्वचालित किया जाये जिससे कि मैन्युअल रूप से आने वाली रूकावटों के कारण होने वाली संभावित त्रुटियां से बचा जा सके ।

2. **क्या ऋण की पुनः अदायगी करने के लिए कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने/उन्हें छोड़ने के लिए वर्तमान ऋण अथवा मामलों को पुनः संरचित करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाये।**

   यह लागू नही होता है क्योंकि कंपनी के पास वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, ऋण की पुनः अदायगी करने के लिए कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिये गये ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को छोडने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

3. **क्या केंद्र/राज्य एजेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्ति योग्य/प्राप्त की गई निधियों का उसकी निबंधन व शर्तों के अनुसार ठीक प्रकार से लेखा–जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? अंतर आने वाले मामलों की सूची बतायें। वर्ष 2018–19 के दौरान, किसी केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कंपनी द्वारा कोई निधियां प्राप्ति योग्य नहीं थी अथवा प्राप्त नहीं की गई। अतः उनका उपयुक्त रूप से लेखा रखने और उसका उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता ।**

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2019

अक्षय सेठी
भागीदार
(यूडीआईएनः 19539439AAAACC3829)

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)ख के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा -परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है । इस अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक/लेखा–परीक्षको की यह जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अधीन उनके वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें । इसे दिनांक 30 जुलाई, 2019 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय विवरणों की इस अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा–परीक्षा की है । इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा–परीक्षकों के कार्यगत कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया गया है और जिसे प्रारंभिक रूप से कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा करने तथा कंपनी के कार्मिकों और सांविधिक लेखा–परीक्षकों से पूछताछ करने के लिए सीमित किया गया है ।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर रोशनी डालना चाहूँगा जो कि मेरे ध्यान में आये हैं और जो कि मेरे विचार से वित्तीय विवरणों को बेहतर तरीके से समझने तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए आवश्यक है ।

1. तुलन पत्र

परिसंपत्तियां – गैर चालू परिसंपत्तियां

परिपसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (टिप्पणी–3) 5405.80 लाख रूपये

उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2018–19 के दौरान एनआईसी की क्लाउड सेवाओं को संवर्धित करने के लिए खरीद की गई सामग्री शामिल नहीं है, जिसकी लागत 245.00 लाख रूपये है ।इस तथ्य के बावजूद कि इसे कंपनी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को बीजक के साथ प्राप्त किया गया । इसका वर्ष 2019–20 में लेखा–जोखा रखा गया है ।

इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा देय व्यापार का 245.00 लाख रू. तक कम आंकलन हुआ है ।

2. इक्वटी और देयताएं

चालू वित्तीय देयताएं

देय व्यापार (टिप्पणी संख्या–18) 34932.17 लाख रूपये

वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न पार्टियों से प्राप्त सेवाओं के संबंध में राजस्व व्यय की प्रकृति के कारण विभिन्न पार्टियों को कंपनियों द्वारा देय 880.28 लाख रुपये की राशि उपर्युक्त शीर्ष में शामिल नहीं है। इसमें व्यय की निम्नलिखित दो श्रेणियाँ शामिल हैं ।

(क) 210.50 लाख रूपये की सेवाएं, जिसके लिए 26 दिसंबर 2018 और 31 मार्च 2010 के बीच बीजक प्रस्तुत किये गये ।

(ख) 669.78 लाख रूपये की सेवाएं, जिसके लिए 9 अप्रैल 2019 और 30 जून 2019 के बीच बीजक प्रस्तुत किये गये।

जिसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (देय व्यापार) तथा व्यय राशिध्हानियों का 880.28 लाख रूपये तक कम आंकलन किया गया।

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 30.09.2019

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(सौरभ नारायण)

प्रधान निदेशक, लेखा – परीक्षा

(डाक और दूरसंचार)

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2019)

Chairman	:	Shri Pankaj Kumar Additional Secretary, MeitY
Director	:	Smt. Kiran Soni Gupta Additional Secretary & FA (Additional Charge), MeitY
		Shri Sanjay Kumar Rakesh Joint Secretary, MeitY
		Dr. B. K. Murthy Scientist-G, MeitY
		Dr. Neena Pahuja Director General, ERNET India
		Shri D. C. Misra Deputy Director General, NIC
		Dr. (Smt) Ranjna Nagpal Deputy Director General, NIC
		Shri Vishnu Chandra Deputy Director General & AFA, NIC
		Shri Nagesh Shastri Deputy Director General, NIC
		Shri P. V. Bhat Deputy Director General, NIC, Karnataka
		Smt. Shalini Mathrani, Deputy Director General, NIC
		Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICSI
Company Secretary	:	Dr. Girish Kumar
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Corporation Bank & Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Punjab National Bank, & State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd., Safdarjung Enclave, New Delhi

BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-09-2019)

Chairman	:	Shri Pankaj Kumar Additional Secretary, MeitY
Director	:	Smt. Kiran Soni Gupta Additional Secretary & FA (Additional Charge), MeitY
		Shri Sanjay Kumar Rakesh Joint Secretary, MeitY
		Dr. B. K. Murthy Scientist-G, MeitY
		Dr. Neena Pahuja Director General, ERNET India
		Shri D. C. Misra Deputy Director General, NIC
		Dr. (Smt) Ranjna Nagpal Deputy Director General, NIC
		Shri Vishnu Chandra Deputy Director General & AFA, NIC
		Shri Nagesh Shastri Deputy Director General, NIC
		Shri P. V. Bhat Deputy Director General, NIC, Karnataka
		Smt. Shalini Mathrani, Deputy Director General, NIC
		Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICSI
Company Secretary	:	Smt. Anju Syal (Acting Company Secretary)
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Corporation Bank & Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Punjab National Bank, & State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd., Safdarjung Enclave, New Delhi

NOTICE
24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 24th Annual General Meeting is scheduled to be held on Thursday, 26th September, 2019 at 12.00 Noon at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March, 2019, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and
2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2018-19 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-

(Anju Syal)
Company Secretary

Place: New-Delhi
Date: 12.09.2019

NOTE:

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself.
2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his / her proxy unless such other person is also a member of such company.
3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-

(Anju Syal)
Company Secretary

Place: New-Delhi
Date: 12.09.2019

NICSI-CS/24th AGM/300

NOTICE

Notice is hereby given that the adjourned 24th Annual General Meeting of National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) will be held on Monday, the 30th September, 2019 at 5.00 p.m. at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Anju Syal)
Company Secretary
(Additional Charge)

To:

The Chairman, NICSI
All the Shareholders of NICSI
All the Members of the Board

Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Fourth Annual Report on the business and operations of the Company with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2019.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2019, as compared with the earlier year 2017-18, is as under:

(1) Financial Highlights

(Rupees in Crores)

S. No.	Description	2018-19	2017-18
(A)	**Receipts:**		
1	Sales	194.74	384.83
2	Services & Support	954.79	873.53
3	Interest / Other Income	90.80	78.08
	Total (A)	**1240.33**	**1336.44**
(B)	**Payments:**		
1	Purchases	*241.40	*395.71
2	Services & Support	852.53	767.20
3	Employees Remuneration and Benefits	10.92	8.29
4	Other Expenses	**182.49	74.37
5	Depreciation	50.86	40.21
	Total (B)	**1338.20**	**1285.78**
	Gross Surplus (A) – (B)	**(-) 97.87**	**50.66**
6	Provision for Tax	12.64	19.62
7	**Net Surplus**	**(-) 85.23**	**31.04**
	Reserves and Surplus as per last year Balance Sheet	**636.82**	**605.78**
	Less: Differential interest in GIA Projects/ Depreciation for prior period.	**(-) 52.21**	**0.00**
	Total Reserves and Surplus	**499.38**	**636.82**

* Includes Rs.26.88 crore in F.Y. 2017-18 & Rs.58.05 crore in F.Y.2018-19 towards augmentation of District Infrastructure.

** Includes Rs. 95.88 crore towards provision for Doubtful Debts, Rs.17.12 crore towards provision for Advances to Suppliers and Rs.1.18 crore towards provision for Sales Tax / VAT.

Note:

Expenditure on Data Centres at Bhubaneswar, Pune and Shastri Park are included in Fixed Assets under Assets.

(1) Operating Margin

The Board of Directors in its 103rd meeting held on 29.09.2017 has approved the modification in the rates of NICSI's Operating Margin (Earlier known as "Administrative Charges") for all types of Projects / Services i.e. hardware/software/manpower etc. as under:

Project Value	% of Project Value
Up to Rs. 50 Crore	7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]
Above Rs. 50 Crore	5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]

Above rates are effective with immediate effect. However, all existing MoUs/Agreements, Proforma Invoices (PIs) issued up to 31.10.2017 would be honored as per existing slab rates of Operating Margin.

The Office Order No.129/05-06/NICSI-CS dated 01.11.2017 had superseded the NICSI Office Order No. 129/05-06/NICSI-CS dated 15.01.2015.

(2) Dividend

The company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956, (Now Section 8 of the Companies Act, 2013) and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves.

(4) Grading By DPE

(i) Process for Evaluation

- DPE issues Guidelines every year to the CPSE's to enter into MoUs with Administrative Ministry (i.e. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in case of NICSI).

- DPE set up Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU consisting following:

1	Secretary, DPE	Chairman
2	Secretary of concerned administrative Ministry / Department or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
3	Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
4	Additional Secretary, NITI Aayog or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
5	Secretary DPE may co-opt any officer who is a Finance Expert in case the need is felt.	
6	Joint Secretary / Adviser (MoU), DPE would provide secretarial support to the committee.	

- Draft MoU, consisting of Financial and Non-Financial Parameters, is submitted by NICSI to its Board for approval before forwarding through MeitY to DPE.
- IMC negotiates the Parameters and fix the targets in the MoU in the meetings, in which JS Level Officer from MeitY/NIC and NICSI officials are present.
- MoU is signed between NICSI and MeitY.
- After closure of Financial Year, the Audited Accounts, duly approved by the Board, are submitted to DPE along with the details in the prescribed proforma.
- Based on above, DPE evaluates actual performance of NICSI against targets in the MOU and declare grading.

(ii) Grading of NICSI by DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2017-18	Fair
2016-17	Excellent
2015-16	Excellent
2014-15	Excellent
2013-14	Very Good
2012-13	Very Good
2011-12	Very Good
2010-11	Poor

(iii) Actual Performance on optional parameters against targets - MoU for F.Y. 2018-19

- Increase in number of Projects in difficult states like N/E, J & K, Uttarakhand, HP over previous years (%age) (10 Marks) : → **(-) 14.60%**
  (193 projects received in 2018-19, against 226 in 2017-18)
- Introduction of New products and Services (Nos.) (10 Marks) : → **09**
- % age increase in Number of e-Governance Projects from Central/ State/UT Governments/ Organizations over previous year (%) : (10 Marks) : → **(-)16.95%**
  (2395 projects received in 2018-19, against 2884 in 2017-18)
- Trade receivables (Net) as number of days of Revenue from Operations (Gross) (No. of Days) (10 Marks) : → **55.24**
- Setting up of Centre of Excellence and its Certifications (Date) (10 Marks): → **28.09.2018**

(5) Ongoing Activities in F.Y.2018-19

National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs. During F.Y.2018-19, NICSI has received Rs.320 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2019 being Rs.3776.06 crore. The project is to close in March, 2020 as per the existing approval.

NICSI Data Centre (NDC) at Shastri Park, Delhi

NDC at Shastri Park, Delhi has been providing the services with disaster management facility to the Government Departments and their Organizations with State-of-art tier-III facility. The activities continued to function smoothly and successfully during the year. NICSI has upgraded some of the racks at the centre with Cloud facility, on which the expenditure of Rs.33.47 crore incurred in F.Y.2018-19 and Rs.104.50 crore incurred in previous 3 years, out of the total approved outlay of Rs.191.83 crore. The remaining expenditure would be incurred in next year.

Data Centre at Laxmi Nagar, Delhi

NICSI has its own Data Centre at Laxmi Nagar with 62 racks. It is providing services to various government Ministries / Departments and their organizations in maintaining their data. A proposal has been under consideration to upgrade these racks with Cloud facility.

National Data Centre, Bhubaneswar, Odisha

NIC is having Data Centre Bhubaneswar with 96 racks. NICSI has provided Cloud facility on 48 racks thereat at a cost of Rs.97.76 crore, with Rs.44.62 crore incurred in F.Y.2018-19, Rs.6.18 crore in previous year and the balance of Rs.46.96 crore to be incurred in future.

NICSI Development Centre

The Development Centre on the 2nd floor at DMRC's IT Park, Shastri Park, Delhi with 417 workstations continued to provide services to the users towards implementation of the projects smoothly and satisfactorily.

(6) Other Projects

During F.Y. 2018-19, NICSI had received 2395 new projects for implementation, some of which are as under:

(i) Projects From MeitY

During the year, NICSI continued the activities under various projects from MeitY, as under:

Project Name
Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS)
Development of Common Minimum Framework (CMF)
Security Enhancement of NICNET
Establishing Security Evaluation Research & Exploratory Testing Centre
Augmentation of facilities for Cyber Security Product Assurance
Website Quality Evaluation to support e- Governance Implementation in India
Web Internationalization, Standardization and W3C India Initiative.
Pro-Active Governance and Time Implementation (PRAGATI)
e-Mail Solution
Securing the e-Mail Infrastructure for Government of India
Roll-out and Promotion of Open Government Data Platform for NDSAP.
National e-Gov AppStore at National Data Centre.
e-Hospital under Digital India Programme Training.
e-Taal

(II) Projects from Departments / Organizations (Other than MeitY)

Department / Organization	NICSI Project Code	Description
Department of Consumer Affairs	C180380MPND	Hiring of Manpower by Department of Consumer Affairs
RajComp Info Services Ltd.	S181195MPRJ	Hiring of Manpower by RajComp Info Services Ltd.
eCourts MMP (Department of Justice)	C182210GNND	Procurement of Various items at eCourts MMP (Department of Justice)
National Informatics Centre, Delhi	N180292GNND	Securing the e-Mail Infrastructure
Ministry of External Affairs, Delhi	C182098SWND	Procurement of S/W Items by Ministry of External Affairs, Delhi
RajComp Info Services Ltd.	S181113GNRJ	Procurement of Various items by RajComp Info Services Ltd.
Department of Food & Public Distributions	C180649GNND	Procurement of Various items by Department of Food & Public Distributions
Gujarat State Civil Supplies Corporation	S181066GNGJ	Procurement of Various Items by Gujarat State Civil Supplies Corporation
Indian Oil Corporation Ltd Refineries HQ	P181744EPND	GepNIC Application Support Charges for Indian Oil Corporation Ltd Refineries HQ

Panchayat Raj Division, Rural Development Department, Jharkhand	S180652GNJH	Procurement of various items at Panchayati Raj Division, Rural Development Department, Jharkhand
Unique ID Authority of India, Delhi	C181914MIND	SMS Services at Unique ID Authority of India, Delhi
Energy Efficiency Services Limited, U.P	P181285MPUP	Hiring of Manpower by Energy Efficiency Services Limited, U.P
Department of School Education & Literacy, Delhi	C181416GNND	Procurement of Various Items by Department of School Education & Literacy, Delhi
RajComp Info Services Ltd.	S182381WDRJ	Website Development at RajComp Info Services Ltd.
Directorate of Information Technology, Mumbai	S182330WDMH	Website Development at Directorate Of Information Technology, Mumbai

(7) Setting-up of new Business Divisions in NICSI.

Products Business Division (PBD)

To explore market in South Asean, African, Latin American etc. countries for Applications / Products developed by NIC. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.

Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)

Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.

Cloud Services & Data Centre Business Division

NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. Bhopal Center is also being created in next 3 years. New division is set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2018-19

		April 2018 to March 2019	April 2017 to March 2018
(a) Segment - wise-breakup of new projects received:	1. Hardware Items	35	126
	2. Software Items	01	13
	3. Manpower	1120	1547
	4. Web/Soft Dev	66	119
	5. Network	72	111
	6. General Projects	492	545
	7. Other items	609	423
	Total	**2395**	**2884**

(b) Segment-wise number of Work Orders issued:		**April 2018 to March 2019**	**April 2017 to March 2018**
	Hardware Items	19	1457
	Software Items	164	132
	Manpower	7357	8107
	Network & Misc.	2664	1158
	Total	**10204**	**10854**
(c) Proforma Invoice Issued	**No. of PI Issued**	**April 2018 to March 2019**	**April 2017 to March 2018**
	Hardware	543	1002
	Software	165	31
	Manpower	5925	7299
	Network	1056	703
	Miscellaneous	3391	2035
	Total	**11080**	**11070**
(d) Tenders Floated		**April 2018 to March 2019**	**April 2017 to March 2018**
	No. of Open Tenders	19	12
	No. of Limited Tenders	01	01
	Total	**20**	**13**
(e) MoU's / Agreements		**April 2018 to March 2019**	**April 2017 to March 2018**
	Entered into by NICSI with different Departments/ Organisations	51	61

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2019 was 29.

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 102nd Meeting held on 8th September, 2017 had re-constituted the CSR Committee. Subsequently, the CSR Committee was again re-constituted by the Board in its 106th meeting held on 28.06.2018, comprising the following:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Shri Sanjay Kumar Rakesh, Joint Secretary, MeitY	Chairman
2	Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC	Member
3	Shri D.C. Misra, DDG, NIC	Member
4	Dr. (Mrs.) Ranjna Nagpal, DDG, NIC	Member

As per the provisions in the CSR Policy, the Board, in its 109th meeting held on 27.03.2019, had approved in-principle the expenditure of Rs.1.76 crore to be incurred on the CSR activities for F.Y.2018-19.

The CSR Committee, in its meeting held on 15.04.2019, had considered the proposals and recommended to contribute Rs.1.76 crore through CSR to the Poor Patients Fund known as "ARPAN" (AIIMS Raipur Patients Assistance for Needy) of AIIMS, Raipur established by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna (PMMSY). The Board, in its 110th meeting held on 30.07.2019, had considered the same and approved.

(12) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business

with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2018-19

Sr. No.	F.Y. 2018-19	Date	Venue
1	Extraordinary General Meeting	14.06.2018	National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.
2	106th Board Meeting	28.06.2018	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
3	107th Board Meeting	26.09.2018	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
4	23rd Annual General Meeting	26.09.2018	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
5	108th Board Meeting	27.12.2018	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
6	Adjourned 23nd Annual General Meeting	27.12.2018	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
7	Extraordinary General Meeting	28.02.2019	National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.
8	109th Board Meeting	27.03.2019	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.

(13) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee."

The Board, in its 103rd meeting held on 29th September, 2017, had re-constituted the Audit Committee with the above Terms of Reference and also, towards strengthening the Internal Control System in NICSI.

Subsequently, the Board, in its 106th meeting held on 28.06.2018 and 109th meeting held on 27.03.2019, had re-constituted the Audit Committee due to relieving of Chairperson or Member of the Committee owing to

retirement on superannuation or repatriation to parent organization from time to time. The Audit Committee at present comprises of the following:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Smt. Kiran Soni Gupta, AS & FA (Additional Charge), MeitY	Chairperson
2	Shri Sanjay Kumar Rakesh, Joint Secretary, MeitY	Member
3	Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC	Member
4	Shri Vishnu Chandra, DDG, NIC	Member

The 3rd meeting of Audit Committee was held on 18.09.2018, in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2018 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the AGM.

The 4th meeting of the Audit Committee was held on 26.07.2019, in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2019 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the AGM.

(14) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(15) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(16) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Form MGT 9 i.e. Extract of Annual Return is placed at Annexure.

(17) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(18) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(19) Annual Accounts for the Financial Year 2018-19 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2018-19 have been prepared as per Ind AS. In this regard, the Certificate was received from M/s. S. Vaish, Chartered Accountants, 169, Golf Links, New Delhi-110003.

(20) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(21) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

(22) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil
2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

(23) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(24) Subsidiary Company

As on March 31, 2019, the Company does not have any subsidiary.

(25) Auditors

M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the

Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2019.

(26) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(27) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairman

Place: New Delhi
Date: 26th September, 2019

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2019

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	ICT Solutions – Hardware and Software	-----	16.94
2	Manpower, Network and Others	-----	83.06

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	NIL				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian a) Individual/HUF **b) Central Govt** c) State Govt (s) d) Bodies Corp. e) Banks / FI f) Any Other.... **Sub-total (A) (1)** (2) **Foreign** a) NRIs -Individuals b) Other Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... **Sub-total (A) (2)** **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)**	NIL NIL NIL	200000 NIL 200000	200000 NIL 200000	100 NIL 100	NIL NIL NIL	200000 NIL 200000	200000 NIL 200000	100 NIL 100	NIL NIL NIL
B. Public Shareholding **1. Institutions** a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds Others (specify) Sub-total (B)(1)	Not Applicable Not Applicable								

2. Non-Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2)**	Not Applicable								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	**200000**	**100**	**NIL**	**200000**	**100**	**NIL**	**NIL**

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1		**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
2	At the beginning of the year	No Change			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	At the beginning of the year	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	Not Applicable			
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Not Applicable			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
		Shri Manoj Kumar Mishra (01.04.2018 to 31.03.2019)	Rs. 38.61 Lakh p.a.
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC. The Managerial Remuneration for Financial Year 2018-19 to the Managing Director (01.04.2018 to 31.03.2019) of the Company was Rs.38.61 Lakh (PY. Rs.34.47 Lakh) only.	
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act		
	Total (A)		
	Ceiling as per the Act		

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
		-----	-----	-----	-----	
	1. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable				
	Total (1)					
	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board / committee Meetings • Commission • Others, please specify					
	Total (2)					
	Total (B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		
	CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	The Remuneration for Financial Year 2018-19 to Company Secretary of the Company is Rs.10,07,574/- (Py Rs.9,17,000/-)	Not Applicable	Rs. 10,07,574/-
2	Stock Option	Not Applicable		
3	Sweat Equity			
4	Commission - as % of profit - others, specify...			
5	Others, please specify			
	Total			**Rs.10,07,574/-**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

sd/-
Chairman

Place: New Delhi
Date: 26th September, 2019

National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

Addendum to the Directors Report for Financial Year 2018-19

Replies to the Observations of the Statutory Auditors Report from M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y.2018-19

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
Qualified Opinion We have audited the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services INC. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2019 and its loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.	
1. As informed by the management the audit of the accounts of the grants in aid project with respect to NKN Project is still in process. Accordingly, the Ind AS financial statements of the Company for the year have been compiled based on such unaudited accounts of NKN Projects. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to the audit of such grants in aid projects is presently not ascertainable. (Refer to Note. 57)	The audit of all the Grants in Aid Projects for F.Y.2018-19 is complete and certificates received from the Audit firm, except for NKN Project. However, it is in process and would be completed shortly.
2. The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017 during the previous year without being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.	NICSI had given a Work Order to M/s. Rolta India Limited on 22.03.2013 to procure, customize, implement and maintain the Oracle e-Biz ERP application on the certified framework. While customizing the same, the firm had migrated Trial Balance as on 31.03.2016 from Tally to ERP and did parallel run both in the Tally Package and ERP upto 30.06.2017. As the above had functioned satisfactorily to the maximum extent, NICSI had completely disbanded the working of Accounts in Tally package from 01.07.2017 and the Accounts for F.Y.2017-18 had been prepared in the ERP. F.Y.2017-18 having been the first year of

	completely working in the ERP, some shortcomings had been noticed, which were subsequently got rectified. Any deficiency being noticed therein is immediately getting rectified by an internal team in NICSI as per the ERP modules.
3. In our opinion, the internal controls existing in the Company with respect to physical verification of Property Plant & Equipment, reconciliation/ confirmation of vendor balances, process of releasing the Vendors Performance Bank Guarantees, direct deposits by clients into the bank account through e-payment/ otherwise and recovery of dues should be commensurate with the size and nature of its operations. (Refer to Annexure "A"**)**	The existing internal control systems towards Fixed Assets, Vendor Balances Confirmations, Performance Bank Guarantees, Un-identified Funds and Recovery of Outstanding Debtors are in existence. However, as per the observation of Audit, these activities would be more strengthened for future.
4. Balances relating to Trade Payables (Note 18), Trade Receivables (Note 9), Advances received from customers (Note 20), Earnest Money Deposits receipts(Note 19), Security deposits(Note 17) and Grants-in-aid received from customers(Note 20) are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable**.**	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2019. It is regular features that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same.
5. Reference is invited to Note No. 20 of the Ind AS financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,11,852.70 lakhs. Review of individual accounts reveal numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.	NICSI receives thousands of new Purchase Orders from the various Government Departments / Organisations / Public Sector Enterprises. After completion of the activities against those orders, NICSI prepares the Final Settlement of Accounts statement and send the same to the concerned user, to reimburse the amount against the excess expenditure or to intimate the Bank details for refund of the unspent balances therein. While some of the users provide the Bank details, in many cases these are not received and thus, the unspent amounts remain with NICSI. However, as per Audit Observation, NICSI would take further efforts on priority to review such cases and to refund the unspent amounts to the users at the earliest.

In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.	
6. Reference is invited to note no. 44 regarding the Company having provided/ paid for the Licence Fee and Spectrum charges to DOT during the year as per the past accounting practice with respect to calculation of the demand raised by DOT of Rs. 65,445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32,383.09 lakhs towards Spectrum Charges. In view of the matter being pending in the Hon'ble Supreme Court of India the consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is presently not ascertainable and quantifiable.	MeitY has been taking-up the matter with the Department of Telecommunications (DoT) from time to time on behalf of NICSI. However, the matter is still sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India. As per interim decision in the matter, the charges are to be paid as per the provisions in the Agreements / initial approvals by the DoT. NICSI had however, surrendered the Licence to the DoT on 31.03.2017, with no activity having been performed thereafter against the same and the Licence Fee and Spectrum Charges upto 31.03.2017having been paid as per DoT approvals.
7. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 with respect to erroneously recognising revenue on Sales of goods at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income, loss and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.	As per NICSI Policy, it has been recognising its revenue at the time of generation of Invoice towards Sale of Goods. The company has duly complied with all the provisions and requirements of applicable Ind AS, while preparing the financials for F.Y.2018-19 and as per matching concept described by Ind AS 18 on Revenue recognition.
The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (7) on the assets/liabilities and/or income/ expenditure and loss for the year is not ascertainable.	
We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of	

India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Ind AS Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.	
1. The Board of Directors during the year approved the "District 2.0 Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative" at a total outlay of Rs.9900 Lakhs for Phase-I to be met by the Company out of its "Cash Reserves". In terms of the approval, no income is to accrue to the Company and the corresponding assets created are neither owned nor in possession of the Company. Accordingly, the Company has expensed the entire expenditure of Rs. 5804.99 Lakhs (PY Rs. 2687.54 Lakhs) with a resultant impact on the loss reported in the Income & Expenditure Account for the year. (Refer to Note 58)	NICSI had been set-up in 1995 as a Section 25 Company (now Section 8) under National Informatics Centre (NIC), with main objective being promoting utilisation of information technology in the Government Sector. In the year 2016, MeitY / NIC had reviewed the status of surplus funds with NICSI to be used for its objectives. A Committee was constituted for the same consisting of representative from Meity / NIC. The Committee, amongst others had recommended "Augmentation of District Infrastructure to Cater to Digital India Initiative" as District 2.0 project in January, 2017 for upgrading 708 NIC District Centres across India in 3 years period at the Estimated Cost of Rs.296.78 crore bifurcated in 3 Phases i.e. Rs.99 crore per annum. NICSI Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had considered and approved Phase-I only of the District 2.0 project at Rs.99 crore without any return on investment. NICSI has made expenditure accordingly.
2. Reference is invited to note no. 45 of the Ind-AS financial statement on Revenue from operation relating to income having been recognized @ 1% of the expenditure incurred on NKN Project as administrative charges. The same is subject to the corresponding approval from the Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') which is still awaited.	NKN High Level Committee, in its 11th meeting held on 19.07.2011, had agreed in principle for NICSI Administrative Charges @1% in the project, with the view that NIC to send a proposal in this regard to be examined by IFD, MeitY within the overall approvals by the CCI. NIC had sent the proposal to IFD, MeitY for examination and concurrence. However, there had been some observations from the IFD, MeitY, which are under consideration. NICSI Board of Directors, in its 69th meeting held on 24.09.2010, had also approved charging of 1% in the project and NICSI has been taking the same accordingly, since F.Y.2010-11 itself.

3. Reference is invited to note no. 46 whereby on account of the direction of the Ministry of Electronics & Information Technology, Department of Information Technology during the year, the Company's Operating Margin with effect from FY 2018-19 was co-related and approved at 7% of the O&M expenditure and up-gradation cost of the basic / ICT infrastructure. This has resulted in a substantial decrease in the operating margin accruing to the Company during the year with respect to the Shastri Park and Bhubaneswar National Data Centre with a resultant impact on the loss reported in the Income & Expenditure Account for the year.	The matter had been considered by NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018. The Board after detailed deliberations had approved as under: ➢ NICSI may create a separate project pool account for NDCSP, Delhi and NDC, Bhubaneswar, Odisha; ➢ Income generated through Data Centre collocation services at NDC, SP, Delhi and NDC, Bhubaneswar, Odisha, shall be pooled under the proposed project head(s); ➢ This income shall be used for meeting the O&M expenditure and upgradation of both the National Data Centres basic infrastructure; ➢ In addition to existing 60 racks being used for co-location service at NDCSP by NICSI, NIC may add more racks to generate enough funds to meet the O & M expenses for years to come and also for upgrading of the basic infrastructure. ➢ NICSI would not incur Rs. 8 Crore per annum towards O & M expenditure of NDCSP from FY 2018-19 onwards. The revenue generated per annum through said 60 Racks and more racks to be added by NIC, would be utilized for meeting the O & M expenditure and upgradation of respective National Data Centres basic infrastructure. ➢ NICSI as per their norms would charge @7% Operating Margin and Taxes as applicable from FY 2018-19 onwards on the above mentioned O & M expenditure and expenditure to be incurred on upgradation of respective National Data Centres basic and / or ICT infrastructure. NICSI has been charging its Operating Margin plus applicable taxes thereon accordingly since 01.04.2018 as per the said approved process by the Board.
4. We draw attention to the note no. 50 of the Ind-AS financial statements whereby, the management has computed the interest on unutilized funds of the Grant-in-Aid projects (including NKN Project) for the period upto March 31, 2018 to the tune of Rs.4766.01 lakh and reduced the said amounts from the opening reserves and surplus.	There had been audit observations and also, the Draft Audit Para (DAP) from the P&T Audit Office continuously for the last 3-4 years on less refund of interest in grants in aid projects. The differential interest had been worked out by the P&T Audit Office at Rs.5281 lakh since inception of NICSI till 31.03.2018. The matter had been considered by the Board of Directors, in its 109th meeting held on 27.03.2019 and NICSI was advised to re-calculate the same and refund. Accordingly, NICSI has re-calculated the figures, based on which the differential interest works out to Rs.4766.01 lakh and the same has been provided in the Accounts . Refund of the same to the grantor departments is in process.

5. We draw attention to the note No. 40 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at Bhikaji Cama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.	NICSI has been following-up with the National Building Construction Corporation (NBCC) to get the Sale Deed registered for Hall Nos. 2 & 3 at the 6th floor of NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, Bew Delhi purchased by NICSI in the years 2003 and 2000 respectively. The matter is still pending with NBCC.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in paragraphs (1) to (5) above.

Information other than the Ind AS Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). The Directors Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Ind AS Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS Financial Statements, including the disclosures, and whether the Ind AS Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account:

   d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   e) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above , in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

   f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

   g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

   h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

   i) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

   j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note no. 22 to the Ind AS financial statements);

      ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

      iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as **Annexure B**.

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report on the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2019

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting.

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2019 in respect of the following matters wherein the existing internal controls need to be strengthened:

Audit Observations	NICSI Reply
a. Reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material mis-statement of the outstanding balances;	The audit observation has been noted and the letters to the vendors to reconcile / confirm the balances would be sent in future.
b. Release of the Performance Bank Guarantees of the vendors as it could potentially result in non-recovery of damages from defaulting vendors;	The audit observation has been noted and the status towards outstanding Performance Bank Guarantees (PBGs) would be reviewed. Based on the same, the amounts against the PBGs, for which the empanelment periodicity is over, would be refunded / released.
c. Accounting of the amounts directly deposited / electronically transferred in the bank account of the Company by the clients/departments to avoid possible inefficient utilization of the available funds;	The user departments/organisations transfer the funds to NICSI through electronic mode. While most of such receipts are linked to the Purchase Orders, some of them remain un-identified despite various efforts. The audit observation has been noted and more efforts would be put-in in future to reconcile such amounts.
d. Recovery and follow up of the dues from clients and advance to vendors as this could possibly result in a material misstatement of the outstanding dues from the Clients and Advance to Vendors; and	The audit observation has been noted and more efforts would be made in future to pursue with the clients and the vendors towards recovery or settlement of such amounts.
e. Physical verification of Property Plant & Equipment which could materially impact the accounting, classification and disclosure of the aforesaid.	Physical verification of all the fixed assets is being carried out every year by the management. However, more care would be taken in future towards accounting, classification and disclosure of the same.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2019 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

Annexure 'B' to the independent auditor's report on the Ind as financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2019

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

   The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented during the previous year w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented during the previous year without being validated by a Systems Audit by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Further more Fixed Assets accounting with respect to addition/deletion/depreciation is currently being done manually and thereafter uploaded into the ERP system as no automation module is available in the ERP. It is advisable that the said process is also automated at the earliest to avoid possible errors on account of manual intervention.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loans/interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have any outstanding loan during the year 2018-19. Accordingly, there was no case of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   During the year 2018-19 no funds were either received or receivable by the company from any Central/ State agencies. Hence the question of their proper accounting and utilization does not arise.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairman

Place: New Delhi
Date: 30.07.2019

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Balance Sheet as at March 31, 2019

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31-03-2019	As at 31-03-2018
	ASSETS			
1	**Non-current assets**			
	Property, Plant and Equipment	3	5,405.80	5,741.46
	Intangible assets	4	7,065.06	3,693.68
	Financial assets:			
	(a) Loans	5	728.42	686.16
	(b) Others Financial Assets	6	325.06	322.62
	Deffered Tax Assets (Net)	7	3,516.83	-
	Other non-current assets	8	1,650.48	2,539.99
2	**Current assets**			
	Financial assets:			
	(a) Trade receivables	9	17,398.08	28,835.15
	(b) Cash and cash equivalents	10	62,678.42	40,298.20
	(c) Bank balances other than '(b)' above	11	87,350.17	114,724.37
	(d) Others Financial Assets	12	4,612.61	3,923.41
	Current Tax Assets (Net)	13	14,034.31	11,164.64
	Other current assets	14	23,947.46	27,947.12
	Total Assets		**228,712.70**	**239,876.81**
	EQUITY AND LIABILITIES			
	Equity			
	Equity Share capital	15	200.00	200.00
	Other Equity	16	49,937.83	63,682.41

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31-03-2019	As at 31-03-2018
	LIABILITIES			
	Non-current liabilities			
	Financial Liabilities			
	(a) Other financial liabilities	17	40.45	40.45
	Deferred tax liabilities (Net)	7	-	145.62
	Current liabilities			
	Financial liabilities:			
	(a) Trade payables	18	34,932.17	47,192.00
	(b) Other financial liabilities	19	1,466.94	1,321.17
	Other current liabilities	20	142,060.79	127,220.64
	Provisions	21	74.52	74.52
	Total Equity and Liabilities		**228,712.70**	**239,876.81**
Significant accounting policies		2		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 07652553

Sd/-
Pankaj Kumar
Chairman
DIN:08176055

Sd/-
Dr. Girish Kumar
Company Secretary
FCS: 6468

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of Income and Expenditure for the period ended 31.03.2019

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2019	Year ended 31-03-2018
	INCOME			
I	Revenue From Operations	22	114,952.84	125,836.36
II	Other Income	23	9,080.50	7,806.36
III	**III Total Income (I+II)**		**124,033.33**	**133,642.72**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	24	24,139.51	39,571.03
	Services Support Expenses		85,252.84	76,779.95
	Employee benefits expense	25	1,092.63	828.84
	Depreciation and amortization expense	3	5,086.44	4,020.75
	Other expenses	26	18,248.79	7,377.05
	Total Expenses (IV)		**133,820.21**	**128,577.62**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		(9,786.87)	5,065.10
VI	**Tax expense:**		**(1,263.53)**	**1,960.83**
	(1) Current tax		752.37	2,268.01
	(2) Deferred tax		(3,662.45)	(361.69)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		1,646.55	54.51
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**(8,523.35)**	**3,104.27**
VIII	**Other Comprehensive Income**		-	-

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2019	Year ended 31-03-2018
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**(8,523.35)**	**3,104.27**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic	27	(4,261.67)	1,552.13
	(2) Diluted	27	(4,261.67)	1,552.13
	Significant Accounting Policies	2		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 07652553

Sd/-
Pankaj Kumar
Chairman
DIN:08176055

Sd/-
Dr. Girish Kumar
Company Secretary
FCS: 6468

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

₹ in lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**(9,786.87)**	**5,065.10**
Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	5,086.44	4,020.75
Profit/(Loss) on sale of fixed assets	(1.49)	3.06
Interest expense	5,434.04	777.72
Interest income	(9,094.45)	(8,285.61)
Provision for Doubtful Debts	9,588.17	-
Provision against Advances	1,712.20	-
Provision against Sales Tax & TDS & WCT	120.04	-
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes	**3,058.08**	**1,581.02**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	1,848.91	(705.02)
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(546.65)	(5,940.70)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	2,726.08	19,786.19
Cash Generated from Operations	**7,086.42**	**14,721.49**
Income tax Paid	(752.37)	(2,268.01)
Income tax for Previous Years	(1,646.55)	(54.51)
Interest of Earlier Year related to GIA Project	(4,766.01)	-
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)	**(78.51)**	**12,398.97**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(8,582.47)	(5,728.25)
Sale of fixed assets	6.59	1.10
Interest received	9,094.45	8,285.61
Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**518.57**	**2,558.46**
Cash Flow from Financing Activities		

Interest paid	(5,434.04)	(777.72)
Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	(5,434.04)	(777.72)
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**(4,993.98)**	**14,179.70**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**155,314.18**	**141,134.48**
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	**150,320.19**	**155,314.18**

Notes

1) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

Particulars	**As at March 31, 2019**	**As at March 31, 2018**
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	28,395.00	13,294.98
Imprest Account	0.50	0.07
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	121,924.69	142,019.13
	150,320.19	**155,314.18**

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 07652553

Sd/-
Pankaj Kumar
Chairman
DIN:08176055

Sd/-
Dr. Girish Kumar
Company Secretary
FCS: 6468

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2019

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

₹ in lakhs

Particulars	Note	Amount
As at 1 April 2017	15	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2018	15	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2019	15	200.00

B. Other equity (Refer note 16)

₹ in lakhs

	Reserves and Surplus Retained earnings	Total other equity
As at 1 April 2017	60,578.14	60,578.14
Net income / (loss) for the year	3,104.27	3,104.27
As at March 31 2018	**63,682.41**	**63,682.41**
Effece of Prior Period Error		
Interest related to GIA Project other than NKN (Refer Note No. 50)	(3,351.27)	-
Interest related to GIA Project NKN (Refer Note No. 50)	(1,414.74)	-
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 52)	(455.22)	**-**
As at March 31 2018 Restated	**58,461.18**	**63,682.41**
Net income / (loss) for the year	(8,523.35)	(8,523.35)
As at March 31 2019	**49,937.83**	**55,159.06**

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 07652553

Sd/-
Pankaj Kumar
Chairman
DIN:08176055

Sd/-
Dr. Girish Kumar
Company Secretary
FCS: 6468

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2019

Corporate Information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated July 30, 2019.

1. Significant Accounting Policies

i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards(herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

- Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lakhs rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors has been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;

- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful live)

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(c) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of three years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

v. Financial instruments

a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement And

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

- Disclosures for significant estimates and assumptions
- Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
- Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation

& the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the yearend or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the total cost of each order, as

per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, in each year, is in receipt of a few expenditure invoices pertaining to the reporting period, after the reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period but before the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors are considered as adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period to which they pertain. The corresponding income on such expenditure invoices is also accounted for in the same reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period & even after the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors, are considered as non-adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period in which they are received. The corresponding income is also accounted for in the reporting period in which the expenditure invoices are received &

accounted for.

xiii. Leases- As a lessee

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Minimum Alternate Tax

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing

evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre -tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A provision @5% is recognized towards Trade Receivables which are outstanding for more than three years at Balance Sheet date.

xvii. Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the

proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors."

xviii. Provisions and Contingencies

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

xix. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts are form an integral part of Company's cash management."

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various

accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Recent accounting pronouncements Ind AS 116:

On March 30, 2019, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified Ind AS 116 Leases, under Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019 which is applicable with effect from April 1, 2019. Ind AS 116 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases for both parties to a contract i.e., the lessee and the lessor. Ind AS 116 introduces a single lease accounting model for lessee and requires the lessee to recognize right of use assets and lease liabilities for all leases with a term of more than twelve months, unless the underlying asset is low value in nature. Currently, operating lease expenses are charged to Income & Expenditure accounts. Ind AS 116 substantially carries forward the lessor accounting requirements in Ind AS 17.

As per Ind AS 116, the lessee needs to recognise depreciation on rights of use assets and finance costs on lease liabilities in Income & Expenditure accounts. The lease payments made by the lessee under the lease arrangement will be adjusted against the lease liabilities. The Company is currently evaluating the impact on account of implementation of Ind AS 116 which would be insignificant impact on income & loss and balance sheet.

3. Property, plant and equipment

₹ in Lakhs

	Buildings	Plant and equipment	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost							
As at April 1, 2017	1,985.85	147.37	561.88	7.02	2,268.91	6,589.97	11,561.01
Additions	-	126.43	3.09	-	1,443.69	480.57	2,053.78
Disposals	-	-	1.27	-	9.17	130.11	140.55
As at March 31, 2018	**1,985.85**	**273.80**	**563.70**	**7.02**	**3,703.43**	**6,940.44**	**13,474.23**
Additions	-	-	1,028.01	-	339.72	77.83	1,445.56
Disposals	-	-	-	-	18.35	88.72	107.07
As at March 31, 2019	**1,985.85**	**273.80**	**1,591.71**	**7.02**	**4,024.80**	**6,929.55**	**14,812.72**
Depreciation							
As at April 1, 2017	962.58	119.77	437.92	5.90	1,499.89	3,901.48	6,927.55
Depreciation charge for the year	50.06	82.37	34.30	0.37	473.93	300.36	941.41
Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	1.21	-	8.79	126.19	136.19
As at March 31, 2018	**1,012.65**	**202.14**	**471.01**	**6.27**	**1,965.03**	**4,075.65**	**7,732.76**
Depreciation charge for the year	47.61	51.13	288.55	0.25	720.61	212.76	1,320.91
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 52)			455.22				455.22
Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	17.44	84.54	101.98
As at March 31, 2019	**1,060.26**	**253.27**	**1,214.79**	**6.52**	**2,668.20**	**4,203.87**	**9,406.92**
Net book value :							
As at March 31, 2019	925.60	20.52	376.92	0.50	1,356.59	2,725.67	5,405.80
As at March 31, 2018	973.21	71.65	92.69	0.75	1,738.39	2,864.78	5,741.47

4. Intangible assets

₹ in Lakhs

	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2017	4,064.34	4,064.34
Additions	3,674.45	3,674.45
Disposals	-	-
As at March 31, 2018	**7,738.80**	**7,738.80**
Additions	7,136.90	7,136.90
Disposals	-	-
As at March 31, 2019	**14,875.70**	**14,875.70**
Amortisation		
As at April 1, 2017	965.77	965.77
Amortisation charge for the year	3,079.34	3,079.34
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2018	**4,045.12**	**4,045.12**
Amortisation charge for the year	3,765.53	3,765.53
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2019	**7,810.65**	**7,810.65**
Net book value :		
As at March 31, 2019	**7,065.05**	**7,065.05**
As at March 31, 2018	**3,693.68**	**3,693.68**

5 - Loans

₹ in Lakhs

Particulars	**Non-current**	
	As at March 31, 2019	**As at March 31, 2018**
Security deposits		
Unsecured, considered good	728.42	686.16
TOTAL	**728.42**	**686.16**

Note: - Non-current Security Deposit have been discounted to their present value using a pre-tax discount rate of 10.85% per annum.

6 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Fixed Deposits		
Fixed Deposit having maturity more than 12 months*	291.60	291.60
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	33.46	31.02
TOTAL	**325.06**	**322.62**

* Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee.

7 - Income Taxes

The major components of income tax expense for the year.

A. Income and Expenditure Account:

₹ in Lakhs

	Particulars	Year End March 31, 2019	Year End March 31, 2018
(i)	**Income or Loss Section**		
	Current income tax charge	752.37	2,268.01
	Adjustments in respect of current income tax of previous year	1,646.55	54.51
	Deferred tax:		
	Relating to origination and reversal of temporary differences	(3,662.45)	(361.69)
	Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	**(1,263.53)**	**1,960.83**
(ii)	**Other Comprehensive Income (OCI) Section**		
	Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
	TOTAL	**(1,263.53)**	**1,960.83**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2018 and 31 March 2019:

₹ in Lakhs

	Year End March 31 2019	Year End March 31 2018
Accounting Income before tax from continuing operations	(9,786.87)	5,065.10
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	**(9,786.87)**	**5,065.10**
At India's statutory income tax rate of 34.944% (31 March 2018: 34.608%)	(3,419.93)	1,752.93
Adjustments in respect of current income tax of previous years	1,646.55	54.51
Government grants exempted from tax	-	-
Exempt income	-	-
Non-deductible expenses for tax purposes	509.85	153.39
At the effective income tax rate of 12.91% (31 March 2018: 37.34%)	**(1,263.53)**	**1,960.83**
Income tax expense reported in the statement of profit and loss	(1,263.53)	1,960.83
Income tax attributable to a discontinued operation	-	-
TOTAL	**(1,263.53)**	**1,960.83**

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following: **₹ in Lakhs**

Particulars	**Balance sheet**		**Statement of Income & Expenditure**	
	As at 31 March 2019	**As at 31 March 2018**	**Year End 31 March 2019**	**Year End 31 March 2018**
Accelerated depreciation for tax purposes	(20.10)	(324.90)	(304.80)	(354.32)
Provision for Doubtful Debts	3,455.43	104.32	(3,351.11)	0.63
Provision for Employee benefits	-	-	-	
Present valuation of Security Deposits (assets)	81.51	74.96	(6.55)	8.00
Deferred tax expense/(income)			**(3,662.45)**	**(345.69)**
Net deferred tax assets/(liabilities)	**3,516.83**	**(145.62)**		

Reflected in the balance sheet as follows: **₹ in Lakhs**

Particulars	**As at 31 March 2019**	**As at 31 March 2018**
Deferred tax assets (continuing operations)	3,536.93	179.28
Deferred tax liabilities (continuing operations)	20.10	324.90
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**3,516.83**	**(145.62)**

8 - Other Non-Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Deferred Lease Expense	640.41	711.25
Advances to Suppliers	1,010.07	1,828.74
	1,650.48	**2,539.99**

9 - Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Unsecured, considered good	17,398.08	28,835.15
Unsecured, considered doubtful*	9,889.60	301.43
Less: Provision for doubtful debts	(9,889.60)	(301.43)
Total	**17,398.08**	**28,835.15**

* Provision for Doubtful Debts amounting to Rs. 3,01,43,419/- of F Y 2017-18 has been reversed during FY 2018-19. Further, during FY 2018-19 provision for doubtful debts has been made as per committee recommendations instead of @ 5% towards which are outstanding for more than 3 years at Balance Sheet date refer Note No. 53.

10 - Cash and Cash Equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
a. Balances with banks		
Saving Account	28,395.00	13,294.98
b. Others		
Imprest Account	0.50	0.07
Fixed Deposit (Maturity less than 3 months)	34,282.92	27,003.15
Total	**62,678.42**	**40,298.20**

11 - Other Bank Balances

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Fixed Deposit*	83,073.38	112,975.19
Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee	4,276.79	1,749.18
Total	**87,350.17**	**114,724.37**

12 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	4,612.61	3,923.41
Total	**4,612.61**	**3,923.41**

13 - Current Tax Assets (Net)

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Income tax paid (Net of provision Rs.10,454.36 Lakhs (Previous Year Rs.9,701.99 Lakhs))	15,680.86	11,164.64
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received)	(1,646.55)	-
(See Notes to Accounts No. 59)		
Total	**14,034.31**	**11,164.64**

14 - Other Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	36.11	31.19
Total	**36.11**	**31.19**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	20,066.86	19,271.52
Prepaid expenses	336.28	318.98
Taxes Recoverable*	3.21	120.04
Total(B)	**20,406.35**	**19,710.54**
Advances to Suppliers	5,217.21	8,205.39
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	1,712.20	-
(See Notes to Accounts No. 59)		
Total (C)	3,505.01	8,205.39
GRAND TOTAL (A+B+C)	**23,947.46**	**27,947.12**

*** Break-up of Taxes Recoverable**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Sales Tax/DVAT Recoverable (1996-97 to 2013-14)	120.71	117.70
TDS On Works Contract 2000-2001	2.54	2.34
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	117.70	-
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	2.34	-
(See Notes to Accounts No. 59)		
Total	**3.21**	**120.04**

15 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
TOTAL	**200.00**	**200.00**

a. Information on shareholders*

Name of Shareholder	Relationship	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
		No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	Shareholder	199,995	99.9975	199,995	99.9975
Sh. Shyam Bihari Singh	Shareholder	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Nagesh Shastri	Shareholder	1	0.0005	-	-
Sh, Deepak Chandra Misra	Shareholder	1	0.0005	-	-
Sh. Sanjay Singh Gahlout	Shareholder	-	-	1	0.0005
Dr. Ambreesh Kumar	Shareholder	-	-	1	0.0005
Sh. Vishnu Chandra	Shareholder	1	0.0005	1	0.0005
Sh. R S Mani	Shareholder	1	0.0005	1	0.0005
Total		**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

* Held on behalf of Government of India

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

₹ in Lakhs

Particluars	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2019, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

16 - Other Equity

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	63,682.41	60,578.14
Effece of Prior Period Error		
Interest related to GIA Project other than NKN (Refer Note No. 50)	(3,351.27)	-
Interest related to GIA Project NKN (Refer Note No. 50)	(1,414.74)	-
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 52)	(455.22)	
Opening Balance Restated	**58,461.18**	**60,578.14**
Add: - Surplus for the year	(8,523.35)	3,104.27
TOTAL	**49,937.83**	**63,682.41**

17 - Other Financial Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Security Deposits Payable	40.45	40.45
Total	**40.45**	**40.45**

18 - Trade Payables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Trade Payables		
- Due to Micro and Small Enterprises*	466.66	-
- Other than Micro and Small Enterprises	34,465.51	47,192.00
Total	**34,932.17**	**47,192.00**

19 - Other Financial Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Earnest Money Deposit Payable	931.11	921.36
Employee Benefits Payable	274.45	147.57
Expenses Payable	19.00	9.87
Retention Money (Performance Bank Guarantee)	242.38	242.37
Total	**1,466.94**	**1,321.17**

* Refer Note No.58

20 - Other Current Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Statutory Dues and Taxes	413.85	1,992.35
Advances received from customers	111,852.71	115,804.50
Grants-in-Aid received from customers	29,518.24	9,225.79
Corporate Social Responsibilities	276.00	198.00
Total	**142,060.79**	**127,220.64**

21 - Provisions

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Provision for Stamp Duty	74.52	74.52
Total	**74.52**	**74.52**

22 Revenue From Operations

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
Revenue from operations		
Sale of Traded Goods	19,433.70	38,476.45
Service Income	95,479.47	87,352.48
Total (A)	**114,913.17**	**125,828.93**
Administrative Charges	39.66	7.43
Total (B)	**39.66**	**7.43**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**114,952.84**	**125,836.36**

23 Other Income

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
Interest Income*	9,094.45	8,285.60
Other non-operating income	598.77	250.56
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	587.22	428.48
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	77.45	349.23
Unwinding of discount on security deposits	51.96	47.28
Gain on de-recognition of financial assets	-	0.63
	9,080.50	**7,806.36**

*Includes Rs. 120.69 Lakhs (PY Rs. NIL) towards interest on refund of Income Tax.

24 Purchases of Stock-in-Trade

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Purchases: -		
Hardware	17,145.55	34,239.03
Software	1,188.97	2,644.47
Augmentation of District Infrastructure	5,804.99	2,687.53
Total	**24,139.51**	**39,571.03**

25 Employee Benefits Expense

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Salaries and incentives	1,057.11	794.41
Staff Welfare	35.52	34.43
Total	**1,092.63**	**828.84**

26 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Audit Fees (2018-19)	7.22	7.22
Bank Charges	4.29	13.14
Board Meeting Expenses	0.20	0.34
Books & Periodicals	14.94	10.05
Business Promotion	8.22	-
Call Centre charges	-	-
GST (Non-Cenvatable)	28.42	22.23
Conference Seminar W/Shop Expenses	133.99	68.22

Consumable Stores	41.14	43.56
Conveyance Expenses	7.71	4.79
Corporate Social Responsibilities Expenses	176.00	198.00
Diesel for D.G. Set	2.29	4.69
Doubtful Debts	9,588.17	-
Electricity & Water Charges	561.75	613.92
Foreign Exchange Variation	-	0.38
Hire Charges	7.04	-
House Keeping & Cleaning Charges	327.70	291.05
House Lease Charges	4.37	7.24
Internal Audit Fee	0.25	0.60
Krishi Kalyan Cess & Swachch Bharat Cess (Non-Cenvatable)	1.28	613.74
Membership & Subscription Charges	1.43	1.01
Miscelleneous Expenses	7.43	13.31
News Paper	0.95	0.86
Office Expenses	1,804.48	1,289.18
Office Rent	2,186.94	2,585.51
Printing & Stationery	6.98	9.22
Professional & Consultancy Charges	220.83	234.56
Rent for DTH	0.45	0.45
Rent Rates & Taxes	9.94	4.27
Repairs & Maintenance	597.97	385.88
Service Tax (Non - Cenvatable)	30.49	222.37
Taxi Hire Charges	273.37	328.60
Telephone Expenses	42.72	52.31
Travelling Expenses	315.92	348.48
Vehicle - Petrol	1.69	1.45
Vehicle Maintenance	-	0.42
Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	1,712.20	-
Provision Sales Tax/ VAT	117.70	-
Provision TDS on WCT	2.34	-
Total	**18,248.79**	**7,377.05**

The figures under the head Electricity & Water Charges and Housekeeping & Cleaning Charges are shown after net of reimbursement.

27 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders	(8,523.35)	3,104.27
Weighted average number of equity shares	2.00	2.00
Basic earning per share	**(4,261.67)**	**1,552.13**
Diluted earning per share	**(4,261.67)**	**1,552.13**
Face value per share	100.00	100.00

28. Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2019		As at 31 March 2018	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets				
Trade receivables	-	17,398.08	-	28,835.15
Cash and cash equivalents	-	62,678.42	-	40,298.20
Other bank balances	-	87,350.17	-	114,724.37
Interest Accrued (current)	-	4,612.61	-	3,923.41
Security deposits	-	728.42	-	686.16
Fixed deposits	-	291.60	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	-	33.46	-	31.02
Total financial assets	**-**	**173,092.75**	**-**	**188,789.92**
Financial liabilities				
Trade payables	-	34,932.17	-	47,192.00
Other financial liabilities (current)	-	1,466.94	-	1,321.17
Other financial liabilities (non-current)	-	40.45	-	40.45
Total financial liabilities	**-**	**36,439.55**	**-**	**48,553.62**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, short term borrowing, trade payables and other current financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

29. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly.

Credit risk management

The Company provides for expected credit loss based on the following:

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables and other financial assets	credit loss

Payments within the agreed time period as per contract. Loss rates reflecting defaults are based on actual credit loss experience and considering.

₹ in Lakhs

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2019	As at 31 March 2018
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	150,757.01	155,708.74
Moderate credit risk	Trade receivables, Loan and other financial assets	22,739.11	33,444.72

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company provides for 12 month expected credit losses for following financial assets –

₹ in Lakhs

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Credit losses
As at 31 March 2019			
Trade Receivables	27,287.68	(9,889.60)	17,398.08
As at 31 March 2018			
Trade Receivables	29,136.59	(301.43)	28,835.15

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

₹ in Lakhs

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2017	**303.28**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	(1.85)
Amounts written of	
Loss allowance As at March 31, 2018	**301.43**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	9,588.17
Amounts written of	
Loss allowance As at March 31, 2019	**9,889.60**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended						
As at March 31, 2019						
Trade payables	34,932.17	-	-	-	-	34,932.17
Other financial liabilities (non-current)	-	-	-	40.45	-	40.45
Other financial liabilities (current)	1,466.94	-	-	-	-	1,466.94
Total	**36,399.11**	**-**	**-**	**40.45**	**-**	**36,439.55**
Year ended						
As at March 31, 2018						
Trade payables	47,192.00	-	-	-	-	47,192.00
Other financial liabilities (non-current)	-	-	-	40.45	-	40.45
Other financial liabilities (current)	1,321.17	-	-	-	-	1,321.17
Total	**48,513.17**	**-**	**-**	**40.45**	**-**	**48,553.62**

30 . Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate.

No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2019.

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2019	As at 31 March 2018
Borrowings		
Trade payables	34,932.17	47,192.00
Other payables	143,642.69	128,656.78
Less: Cash & cash equivalents	(62,678.42)	(40,298.20)
Net Debt	**115,896.44**	**135,550.58**
Total equity	**50,137.83**	**63,882.41**
Capital and Net debt	**166,034.27**	**199,432.99**
Gearing ratio (%)	**69.80%**	**67.97%**

31. Contingent Liabilities

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of offsite warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: -

₹ in Lakhs

i.

Particulars	**As at March 31, 2019**	**As at March 31, 2018**
Claim against the Company not acknowledged as debts.	99.66	69.72
Guarantees	1848.84	1493.32
Income Tax Demand (Assessment Year 2010-11)	-	7.91
Income Tax Demand (Assessment Year 2012-13)	-	14.90
Income Tax Demand (Assessment Year 2015-16)	350.60	-
Total	**2299.10**	**1585.85**

ii. Rs.65,445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32,383.09 Lakhs towards Spectrum Charges for the period 2009 to 2016 against DoT licence has been provisionally assessed by DOT (Refer Note No.44). No further communication is respect of above for FY 2016-17 onwards.

iii Penalty @ 2% on Income from V-sat Services (CSC Project and NDRF Project) towards said DOT license since surrendered by NICSI to DoT on March 31, 2017.

iv No provision against the above has been made as management believes that there would not be any actual payable/demand in future also.

32. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.23.23 Lakhs (PY Rs.21.32 Lakhs) as at March 31 2019. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
1	National Data Centre, Bhubaneswar	4,696.00	9,248.00
2	Enhancement of NIC Cloud Services	5,386.00	12,034.00
3	District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative	1,407.00	7,213.00
4	NICSI Centre for Excellence	-	2,650.00
5	Up-gradation of Laxmi Nagar Data Centre	-	816.00
6	Development Centre at IT Park, Shastri Nagar	-	2,480.00
	Total	**11,489.00**	**34,441.00**

33. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

34. Auditor Remuneration*

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2019	Year Ended March 31, 2018
Auditor Fee including Tax Audit Fee	7.21	7.21
For Reimbursement of expenses	1.99	1.99
Total	**9.12**	**9.12**

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs.2.30 Lakhs (PY Rs. 3.42 Lakhs) are paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

35. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident

Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

36. Related Party disclosures

I List of related parties

Name of the Party	Relationship
Sh. Manoj Kumar Mishra (Managing Director)	Key Managerial Personnel

ii Transactions with Related Parties :

₹ in Lakhs

Name of Party	Nature of Transaction	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
Sh. Manoj Kumar Mishra	Managerial Remuneration	38.61	34.47
	Total	**38.61**	**34.47**

Balance payable as on March 31, 2019 to Related Parties: Rs. 2.59 Lakhs (PY Rs.2.37 Lakhs)

37. Operating Lease

The Company has hired office space under operating lease. Further, as per IND AS-17 ' Leases' the details of total future minimum lease payments is as under: -

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
i.	Not Later than one year	1,425.11	1,302.78
ii.	Later than one year and not later than five years	7,809.99	7,578.28
iii.	Later than five years	12,275.94	13,932.76

38. Disclosure pursuant to IND AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

39. Balance Confirmation

The balance confirmation letters have been issued under various heads. The response there against is awaited.

40. Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deed / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50 lakhs (PY 931.50 lakhs) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. M/s. NBCC is being reminded regularly in the matter by the company. Hence, the initial provision of Rs 74.51 lakhs (PY Rs 74.51 lakhs) towards amount of Stamp Duty has been kept in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in year the same got registered.

41. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

42. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier.	466.66	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

43. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets', the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2018-19 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon.

44. Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOP License No. 815-100/ NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon

NICSI had entered into a commercial VSAT License Agreement with DOT on 25.11.2009 and had been paying the License Fee and Spectrum Charges to DOT accordingly. During the year, two projects i.e. CSC and NDRF have been implemented against this License. C&AG Audit in October, 2015 had pointed out that Hon'ble Supreme Court of India, in its Order dated 11.10.2011, had stated that "If the wide definition of Adjusted Gross Revenue so as to include revenue beyond the License was in any way going to affect the Licensee, it was open for the Licensees not to undertake activities for which they do not require License under clause (4) of the Telegraph Act and transfer these activities to any other person or firm or company". NICSI thereafter, took up the matter with DOT through MeitY that the DOT charges in respect of NICSI should be levied on the revenue generated through these projects only and not on whole revenue of the Company, as per the initial agreed terms. DOT, vide DO No. 32-4/ CCA-Delhi/2015-LFP (KW-2) dated 10.05.2016, has informed that the AGR matter is presently under "Appeal" in Hon'ble Supreme Court and in the hearing on 29.02.2016, the Court has stated that "The Union of India will continue to raise demands as per its understanding, however, the same will not be enforced till the final decision of the controversy by this Court". DOT has further stated that the assessment shall continue to be made in accordance with the terms & condition of the relevant License Agreements and the guidelines/ instructions/ clarifications issued from time to time, as is being done hitherto, until further orders. However, DoT, vide its letters No. 7-16/ 2009-LF/ VSAT 2015-16/ 107 dated 09.02.2017 and No. WPF-1000/ NICSI/ Comm. VSAT/ 2010-11/ 107 dated 09.02.2017, had sent a provisional assessment to NICSI at Rs.65445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges for the period 2009 to 2016. Against the demand, NICSI had taken-up the matter with MeitY and with DoT. Further feedback in the matter is awaited. NICSI had however, paid/ provided the charges to DOT for F.Y.2016-17 as per past practice. Project-wise position is as under:

(a) VSAT for CSC Project

During FY 2018-19, an amount of Rs. NIL (P.Y. Rs.NIL) has been generated as revenue towards V-Sat for CSC in North East Project against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows: -

₹ in Lakhs

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
(a)	Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company	1,24,033.33	1,33,642.72
(b)	Income from V-sat Services (CSC Project) towards said DOT license*	NIL	NIL
(c)	Revenue from Projects other than at (b)	1,24,033.33	1,33,642.72

The additional fee of DOT or Penalty against the above license towards this project on NICSI's revenue would be charged to the project No.80752/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied. However, NICSI had surrendered the said licence to DoT on 31.03.2017 and thereafter, no activity had been undertaken by the company during F.Y.2018-19.

(b) VSAT for NDRF Project

During FY 2018-19, an amount of Rs. NIL (P.Y. NIL) has been generated as revenue towards V-Sat for NDRF Project against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows: -

₹ in Lakhs

S. No.	Particulars	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
(a)	Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company	1,24,033.33	1,33,642.72
(b)	Income from V-sat Services (NDRF Project) towards said DOT license*	NIL	NIL
(c)	Revenue from Projects other than at (b)	1,24,033.33	1,33,642.72

The additional fee of DOT or Penalty against the above license towards this project on NICSI's revenue would be charged to the project No. 111116/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied. However, NICSI had surrendered the said licence to DoT on 31.03.2017 and thereafter, no activity had been undertaken by the company during F.Y.2018-19.

45. Operating Margin (Administrative Charges) on NKN Project

As per the minutes of the High Level Committee meeting held on 19/07/2011 towards NKN Project, specific approval from Integrated Finance Division (IFD) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) towards levying 1% Operating Margin on the expenditure under NKN Project is awaited. However, as per the approval from the Board of Directors, the company has been booking its Operating Margin @1% of expenditure, subject to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY's) approval.

46. Income/Expenditure on National Data Centre Project, Shastri Park, Delhi

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakhs per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure headwise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakhs on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centres
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centres shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and upgradation of basic infrastructure at both these Data Centres.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs.800 Lakhs per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and upgradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes as per Board approved rates from F.Y.2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure and upgradation of basic / ICT infrastructure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2018-19 both for Shastri Park & Bhubaneswar at National Data Centre.

47. LTC to NICSI employees on deputation from NIC

The company had reimbursed an amount of Rs. 189 Lakhs towards LTC, based on the Service Rules of NICSI to the NICSI employees deputed from NIC during the Financial Years 2010-11 to 2013-14. This amount had been reimbursed by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 and amended in 69th meeting held on 24.09.2010, which were not in line with DPE/ DOPT guidelines & CCS LTC Rules. These Service Rules had thereafter, been sent by NICSI to NIC/MeitY on 11.11.2014 for ratification. As per Board approval that the recovery be made in installments, NICSI had recovered the amount from the salary of employees in May, 2015. Against the same, the employees had filed a Writ Petition in the Hon'ble Delhi High Court against the recovery and the Court, vide "Order" dated 09.06.2015, had granted the "Stay" on the recovery of amount from the employees, pending the final decision by the Court in the matter. Finally, the Hon'ble Delhi High Court, in its judgment dated 18.03.2016, had decided that "Service conditions which induce the present appellants to apply for NICSI for deputation and continue their held out a liberalized LTC option. That option was availed of continuously. The LTC regulations were amended further-it is not in dispute that the original regulations of NICSI and the amendments continue in force. In these circumstances, the recovery sought to be made without altering the conditions of service could not have been upheld. Accordingly, the respondents are permitted to recover only amounts paid in excess of the deputation terms either pre-2010 as existing with some of the employees joined the organization or those which are contrary to the 2010 amendments. The Appeal is allowed to that extent".

MeitY, vide letter dated 14.07.2016, had directed NICSI to continue recovery of over-payment to the employees who had irregularly drawn LTC. NICSI, vide letter dated 29.07.2016, informed MeitY that in view of the current directives, NICSI has re-started the process of recovery of over-payment made to the employees on account of LTC and an Office Memorandum was also issued towards the same on 29.07.2016 itself, informing that the recovery would start from the salary for the month of August, 2016. The matter was simultaneously submitted by NICSI to MeitY on 16.08.2016.

The affected employees had then gone to Hon'ble Delhi High Court by filing a contempt petition against the re-started process of recovery as per the said NICSI O.M. dated 29.07.2016, in which NICSI and MeitY were both made Respondents. MeitY had re-considered the matter and advised NICSI, vide note dated 17.03.2017, to adhere to the said decision dated 18.03.2016 from Hon'ble Delhi High Court in the matter. Based on MeitY directive, NICSI issued O.M. dated 21.03.2017 mentioning "not to effect recovery of LTC claims by NIC/ NICSI employees and further, the recovery of amounts already made to be paid back to concerned officers in due course. The Respondents accordingly, informed the decision to Hon'ble Delhi High Court in its hearing on 23.03.2017 by handing over a photocopy of the O.M. dated 21.03.2017. The contempt petition was thus treated as disposed off as satisfied and the respondents were directed to forthwith give effect to the O.M. dated 21.03.2017. NICSI had accordingly taken action and refunded the recovered amount to each individual.

In the meantime, the matter was included by the C&AG Office in its "Report for the year ended March, 2014 – Union Government (Communications & IT Sector) – No. 55 of 2015" presented to Parliament. It is currently with Public Accounts Committee (PAC) of Parliament.

MeitY had informed the C&AG Office as per above, including the said Hon'ble Delhi High Court decision. The C&AG Office had thereafter, desired the copy of the Hon'ble Court decision and also, the Government approval towards ratification of NICSI Service Rules. While the copy of Hon'ble Court decision was provided to the C&AG Office, it was informed that the matter towards ratification of NICSI Service Rules was still under consideration of the Government. The para is thus, still under consideration of the PAC for want of ratification of NICSI Service Rules from the Government.

48. Project Incentive to NICSI employees on deputation from NIC

The Company had paid an amount of Rs. 211 Lakhs towards Project Incentive to the NICSI employees deputed from NIC for the Financial Years 2007-08 to 2013-14. In addition, an amount of Rs. 44.84 Lakhs had been provided in the Accounts for F.Y. 2014-15, Rs. 45.80 Lakhs for F. Y. 2015-16 towards the same, based on the guidelines approved by the Board of Directors in its 60th meeting held on 22.12.2008 which are not in line with DPE guidelines. Matter had been taken up by NICSI with NIC/ MeitY to approve the guidelines. TDS on Project Incentive was to be deducted at the time actual payment. Approval to the guidelines from the Government is still awaited. Since no feedback in the matter is yet received, no provision towards Project Incentive has been made during financial years 2016-17 to 2018-19. Further, in the financial years 2018-19, the provisions towards Project Incentive of Rs.44.84 lakhs for F.Y.2014-15 and Rs.45.80 lakhs for F.Y.2015-16 have been reversed.

49. Transport Allowance and House Rent Allowance to NICSI employees on deputation from NIC

The Company has paid an excess amount of Rs. 49 Lakhs towards Transport Allowance and Rs. 17 Lakhs towards House Rent Allowance to the NICSI employees deputed from NIC during the period from 01.07.2007 to 31.03.2014. This amount has been paid by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 which is not in line with GOI Rules. These Service Rules have been sent by NICSI to NIC/ MeitY on 11.11.2014 for ratification. Further feedback in the matter is awaited. However, as per approval by the Board of Directors, NICSI has followed Government Rules towards these allowances in F.Y.2018-19.

50. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest

in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis.

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and also, in F.Y.2018-19 and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 and for F.Y.2018-19, as per below:

₹ in Lakhs

Period	**NKN Project**	**Other GIA Proejcts**	**Total**
For the period upto 31.03.2018	1414.74	3351.27	4766.01
For F.Y.2018-19	77.45	535.60	613.05
Total	**1492.19**	**3886.87**	**5379.06**

The interest on unutilized fund on Grant-in-Aid projects (including NKN Project) for the period upto 31.03.2018 amounting to Rs.4766.01 lakh and Rs.613.05 kakh for the F. Y. 2018-19 (P. Y. Rs.777.72 Lakhs including NKN Project) has been reduced from interest income for the year.

51. Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, result in Trade Receivables, disclosed in note no. 9 of the financial statements, amount of trade receivables of Rs. 27287.68 Lakhs (PY Rs. 29136.59 Lakhs) as at March 31, 2019, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

52. Prior Period Depreciation towards 5th Floor, Shastri Park, Delhi

NICSI had given interior work to M/s NBCC Ltd. for 5th Floors, Shastri Park, Delhi after completion of works, the floors had become operational during F Y 2016-17. However, the final payments to M/s NBCC Ltd. has been made by NICSI during FY 2018-19. Accordingly, the Depreciation of Rs.455.22 Lakhs for FY 2016-17 & 2017-18 has been charged under other equity in FY 2018-19.

53. Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

As per Accounting Policy of the Company, a provision @ 5% is recognized towards trade receivables which are outstanding for more than 3 years at balance sheet date. P&T Audit has observed that the adopted policy for provision for doubtful debts of the company is deficient.

Considering the above observation of P&T Audit and assurance given by NICSI to that office on previous year's accounts, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2018-19 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

Based on the recommendations of the Committee, the "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2018-19 towards doubtful amounts un-likely to be recovered as per below: -

₹ in Lakhs

Duration	**Outstanding amount**	**Provision in % age**	**Provision in amount**
More than 10 years	5,105.01	100	5,105.01
5 to 10 years	7,853.17	50	3,926.59
3 to 5 years	3,432.76	25	858.00
Upto 3 years	9,476.78	NIL	NIL
Total	**25,867.72**		**9,889.60**

54. Provision for Advances to Suppliers.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakhs are more than 3 years old. Being more than 3 years old provisioning should have been created in this respect. Non-provision has resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation of P&T Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled.

Based on the Committee recommendations, the provision towards Advances to Suppliers amounting to Rs. 1712.20 Lakhs has been made in Accounts for F. Y. 2018-19 for amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2019 and un-likely to be settled, except for NKN Project.

55. Classification of Assets and Liabilities into current and non-current

The company provides the bifurcations of Assets & Liabilities into 'Current' and 'Non-Current' in the financial statements on the basis of estimation of recoverability/payment within operating cycle.

56. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

NICSI has made a provision of Rs.176.00 Lakhs in the Accounts for F.Y.2018-19 (PY 198.00 Lakhs) towards Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR) as per 108th Board Meeting held on December 27, 2018.

57. Grants-in-Aid Projects

As per the terms & conditions stipulated in the sanctions towards grants in aid projects, the Company is getting the accounts of all such projects audited from a CA firm. For the current year, the accounts of all the GIA Projects are since audited, except for NKN project, which is in process

58. District 2.0 – Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative"

The Board of Directors, in its 100th meeting held on March 28, 2017, had considered the project and approve at a total outlay of Rs.9,900 Lakhs for Phase-I to be met entirely by NICSI out of its "Cash Reserves". However, there would be no "Revenue" income in the project, as it involves augmentation only of ICT Infrastructure at NIC's some District Centres. Since, no income is there in the project and the assets created neither belong to NICSI nor in its possession, NICSI has directly routed the entire expenditure of Rs. 5,804.99 Lakhs (PY Rs. 2687.54 Lakhs) towards it during the year to Income & Expenditure Account as an expense.

59. Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakhs on account of TDS/Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation of P&T Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract un-likely to be recovered. Based on the Committee recommendations the provision has been made in NICSI accounts for FY 2018-19 as per below: -

Particulars	**Year Ended March 31, 2019**
Income Tax	1,646.55
Sales Tax/VAT/DVAT	117.70
TDS on Works Contract	2.34
Total	**1,766.59**

60. Obsolete Items

The Company has certain obsolete items of Fixed Assets as on 31-03-2019. While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the P&T Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards Obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee has recommended that the Depreciated

Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 i.e. Rs.49.89 Lakhs be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account is required to be made in the Accounts for that year.

61. Prior Period Items

The company has treated only errors and omissions as prior period. In current year no error or omission is there and hence, no prior period expense or income is there except as reported in Notes No. 50 and 52. However, as per assurance given by NICSI to the P&T Audit Office on the Accounts of Previous year, all the un-executed or partial executed Pos/WOs have been reviewed and based on that all such Pos/WOs issued till 30.06.2017 have been treated as cancelled.

62. The Company derives revenues primarily from sale of goods and services. Effective 01 April 2018, the Company has adopted Indian Accounting Standard 115 (Ind AS 115) -'Revenue from contracts with customers' using the cumulative catch-up transition method, applied to contracts that were not completed as on the transition date i.e. 01 April 2018. Accordingly, the comparative amounts of revenue and the corresponding contract assets / liabilities have not been retrospectively adjusted. Similar impact on the financial results for the year ended March 31, 2019 is Rs. "Nil".

63. Previous year figure reclassification

The company has reclassified previous year figures to confirm current year classification.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-	**Sd/-**
Manoj Kumar Mishra	**Pankaj Kumar**
Managing Director	Chairman
DIN: 07652553	DIN:08176055
Sd/-	**Sd/-**
Dr. Girish Kumar	**Deepak Saxena**
Company Secretary	FA&CA
FCS: 6468	

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services INC. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equityand the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2019 and its loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. As informed by the management the audit of the accounts of the grants in aid project with respect to NKN Project is still in process. Accordingly, the Ind AS financial statements of the Company for the year have been compiled based on such unaudited accounts of NKN Projects. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to the audit of such grants in aid projects is presently not ascertainable. (Refer to Note. 57)

2. The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017 during the previous year (FY 2017-18) without being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

3. In our opinion, the internal controls existing in the Company with respect to physical verification of Property Plant & Equipment, reconciliation/ confirmation of vendor/user balances, process of releasing the Vendors Performance Bank Guarantees, direct deposits by clients into the bank account through e-payment/ otherwise and recovery of dues should be commensurate with the size and nature of its operations. (Refer to Annexure "A")

4. Balances relating to Trade Payables (Note 18), Trade Receivables(Note 9), Advances received from customers(Note 20), Earnest Money Deposits receipts(Note 19), Security deposits(Note 17) and Grants-in-aid received from customers(Note 20) are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/

liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable.

5. Reference is invited to Note No. 20 of the Ind AS financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,11,852.70 lakhs. Review of individual accounts reveal numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.

   In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.

6. Reference is invited to note no. 44 regarding the Company having provided/ paid for the Licence Fee and Spectrum charges to DOT during the year as per the past accounting practice with respect to calculation of the demand raised by DOT of Rs. 65,445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32,383.09 lakhs towards Spectrum Charges. In view of the matter being pending in the Hon'ble Supreme Court of India the consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is presently not ascertainable and quantifiable.

7. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 with respect to erroneously recognising revenue on Sales of goods at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income, loss and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.

The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (7) on the assets/liabilities and/or income/ expenditure and loss for the year is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Ind AS Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

1. The Board of Directors during the year approved the "District 2.0 Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative" at a total outlay of Rs.9900 lakhs for Phase-I to be met by the Company out of its "Cash Reserves". In terms of the approval, no income is to accrue to the Company and the corresponding assets created are neither owned nor in possession of the Company. Accordingly, the Company has expensed the entire expenditure of Rs. 5804.99 Lakhs (PY Rs. 2687.54 Lakhs) with a resultant impact on the loss reported in the Income & Expenditure Account for the year. (Refer to Note 58)

2. Reference is invited to note no. 45 of the Ind-AS financial statement on Revenue from operation relating to income having been recognized @ 1% of the expenditure incurred on NKN Projectas administrative charges. The same is subject to the corresponding approval from the Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') which is still awaited.

3. Reference is invited to note no. 46 whereby on account of the direction of the Ministry of Electronics & Information Technology, Department of Information Technology during the year, the Company's Operating Margin with effect from FY 2018-19 was corelated and approved at 7% of the O&M expenditure and upgradation cost of the basic/ ICT infrastructure. This has resulted in a substantial decrease in the operating margin accruing to the Company during the year with respect to the Shastri Park and Bhubaneshwar National Data Centre with a resultant impact on the loss reported in the Income & Expenditure Account for the year.

4. We draw attention to the note no. 50 of the Ind-AS financial statements whereby, the management has computed the interest on unutilized funds of the Grant-in-Aid projects (including NKN Project) for the period upto March 31, 2018 to the tune of Rs.4766.01 lakh and reduced the said amounts from the opening reserves and surplus.

5. We draw attention to the note No. 40 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at BhikajiCama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in paragraphs (1) to (5) above.

Information other than the Ind AS Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). The Directors Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level ofassurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Ind AS Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS Financial Statements, including the disclosures, and whether the Ind AS Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

    b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

    c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account:

    d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS

financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraphabove , in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewithare as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

b) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note no. 22 to the Ind AS financial statements);

   ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure B.

For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

Akshay Sethi
Partner
Membership No.: 539439
UDIN:-19539439AAAACC3829

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report on the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2019

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013,Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating

effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2019 in respect of the following matters wherein the existing internal controls need to be strengthened:

a. Reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material misstatement of the outstanding balances;

b. Release of the Performance Bank Guarantees of the vendors as it could potentially result in non-recovery of damages from defaulting vendors;

c. Accounting of the amounts directly deposited/electronically transferred in the bank account of the Company by the clients/departments to avoid possible inefficient utilization of the available funds;

d. Recovery and follow up of the dues from clients and advance to vendors as this could possibly result in a material misstatement of the outstanding dues from the Clients and Advance to Vendors; and

e. Physical verification of Property Plant & Equipment which could materially impact the accounting, classification and disclosure of the aforesaid.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2019 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Place: New Delhi
Date: July 30, 2019

Akshay Sethi
Partner
UDIN:-19539439AAAACC3829

Annexure 'B' to the Independent Auditor's Report on the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2019

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

   The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented during the previous year w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented during the previous year without being validated by a Systems Audit by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Further more Fixed Assets accounting with respect to addition/deletion/depreciation is currently being done manually and thereafter uploaded into the ERP system as no automation module is available in the ERP. It is advisable that the said process is also automated at the earliest to avoid possible errors on account of manual intervention

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loans/interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have any outstanding loan during the year 2018-19. Accordingly, there was no case of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   During the year 2018-19 no funds were either received or receivable by the company from any Central/ State agencies. Hence the question of their proper accounting and utilisation does not arise.

For: **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
(FRN-002405C)

Place: New Delhi
Dated: July 30, 2019

Akshay Sethi
Partner
Membership No.: 539439
UDIN: 19539439AAAACC3829

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019.

The preparation of financial statements of National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) for the year ended 31st March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Audit General of India under Section 139 (5) of the Act are/is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30th July 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICSI for the year ended 31st March 2019 under Section143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Balance Sheet

Assts-Non-Current Assets

Property, Plant and Equipment (Note-3) Rs.5405.80 lakh

The above head does not include the material purchased for enhancement of NIC Cloud Services during the year 2018-19 amounting to Rs.245.00 lakh inspite of the fact that it was received by the Company along with the invoice on 07.03.2019. The same has been accounted for in the year 2019-20.

This has resulted into understatement of Property, Plant and Equipment and Trade payable by Rs.245.00 lakh.

Equity and Liabilities

Current financial liabilities

Trade payable (Note No. 18) Rs.34932.17 lakh

The above head does not include Rs.880.28 lakh amount payable by the company to various parties on account

of expenditure of revenue nature related to the Services received from them during the year 2018-19. This includes the following two categories of expenditure.

(a) The services worth Rs.210.50 lakh for which invoices were raised between 26th December 2018 and 31st March 2019.

(b) The services worth Rs.669.78 lakh for which invoices were raised between 9th April 2019 and 30th June 2019.

This has resulted into understatement of Current Liabilities (Trade payable) and understatement of expenses/ losses by Rs.880.28 lakh.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 30.09.2019

Sd/-
(Saurabh Narain)
Principal Director of Audit
(Post and Telecommunication)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

Design & Printed by: **D&P Enterprises**, 9311222602